सर्व शिक्षा अभियान तथा बालिकाओं में अधिगम गुणवत्ताः रायबरेली जनपद के सरेनी ब्लाक के परिषदीय विद्यालयों का समाजशास्त्रीय अध्ययन

(Sarva Shiksha Abhiyan and Learning Quality among Girls: A Sociological Study of Government Schools in Sareni Block of Raebareli District)

लघु शोध प्रबन्ध

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय में एम0फिल0 उपाधि हेतु प्रस्तुत

मास्टर ऑफ फिलॉसफी
(एम0फिल0)

शोधार्थी

श्वेता सिंह
नामांकन सं0 503/17

शोध निर्देशक

प्रो0 बीरेन्द्र नारायण दुबे

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करूणा
ESTABLISHED 1996

समाजशास्त्र विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ (उ0प्र0)

2019

उद्घोषणा

मैं श्वेता सिंह यह घोषणा करती हूँ कि मैंने **सर्व शिक्षा अभियान तथा बालिकाओं में अधिगम गुणवत्ताः रायबरेली जनपद के सरेनी ब्लाक के परिषदीय विद्यालयों का समाजशास्त्रीय अध्ययन (Sarva Shiksha Abhiyan and Learning Quality among Girls: A Sociological Study of Government Schools in Sareni Block of Raebareli District)** विषय पर शोध कार्य **प्रो0 बीरेन्द्र नारायण दुबे**, समाजशास्त्र विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के निर्देशन में पूर्ण किया है। एम.फिल. की उपाधि हेतु प्रस्तुत यह शोध–प्रबन्ध मेरा मौलिक कार्य है। प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध इससे पहले इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय में एम. फिल. उपाधि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध पूर्णतः प्लैग्यरिज्म मुक्त है।

दिनांक 28/06/19

शोधार्थी

Shweta Singh

श्वेता सिंह

नामांकन सं0 503/17

समाजशास्त्र विभाग

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर

विश्वविद्यालय ,लखनऊ

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केंन्द्रीय विश्वविद्यालय)– नैक 'A' ग्रेड
विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ –226025

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
(A Central University)-NAAC 'A'Grade
Vidya Vihar, Raebareli Road, Lucknow -226025

CERTIFICATE

This is certify that M.Phil.Dissertation titled सर्व शिक्षा अभियान तथा बालिकाओं में अधिगम गुणवत्ताः रायबरेली जनपद के सरेनी ब्लाक के परिषदीय विद्यालयों का समाजशास्त्रीय अध्ययन **(Sarva Shiksha Abhiyan and Learning Quality among Girls: A Sociological Study of Government Schools in Sareni Block of Raebareli District)** submitted by Ms. Shweta Singh is an original research work and has not been previously submitted in part or full for the award of any other degree or diploma to this or any other University.

The M.Phil Dissertation submitted to **Babasaheb Bhimrao Ambedkar University Lucknow,** satisfies all the requirements as stipulated in the ***Master of Philosophy (M.Phil.) Regulations, 2015*** and it is fit for submission and evaluation for the award of the degree of Master of Philosophy of the University.

Date: 28/6/2019

Supervisor

Head of the Department

आभार

प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध को प्रस्तुत करते हुए सर्वप्रथम मैं ईश्वर की आभारी हूँ। तत्पश्चात मैं अपने गुरूजनों को कृतज्ञता व आभार व्यक्त करती हूँ ,जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन के बिना यह लघु शोध प्रबन्ध सम्भव नहीं था। इस लघु शोध–प्रबन्ध को पूरा करने में मेरे गुरूजनों, मित्रों एवं सहपाठी मित्रों का भी पूर्ण योगदान रहा है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। इनके सहयोग से ही मैं यह शोध कार्य पूर्ण कर सकी हूँ।

मैं परम आदरणीय प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष बीरेन्द्र नारायण दुबे जी की जीवन पर्यन्त अभारी रहूँगी, जिन्होंने मुझे इस शोध कार्य के लिए प्रेरित एवं निर्देशित किया है तथा समय–समय पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा की है। उनके विद्वतापूर्ण मार्गदर्शन और स्नेहपूर्ण व्यवहार के फलस्वरूप ही मैं यह शोध कार्य पूर्ण कर सकी हूँ। अतः मैं उनके प्रति अपना कोटि–कोटि धन्यवाद व्यक्त करती हूँ।

समाजशास्त्र के आचार्य एवं सहायक आचार्य प्रो0 कामेश्वर चौधरी जी, प्रो0 मनीष कुमार वर्मा जी, प्रो0 विभूति भूषण मलिक जी, डॉ जया श्रीवास्तव जी, डॉ बृजेश कुमार जी की भी मैं हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने समय–समय पर अपना मार्गदर्शन दिया एवं प्रोत्साहन देकर इस लघु शोध प्रबन्ध को पूर्ण कराने मे मुझे पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। मैं समाजशास्त्र विभाग के कर्मचारियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। शोध अध्ययन हेतु सामग्री संकलन के लिए मैंने बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के गौतम बुद्व पुस्तकालय का पूर्ण सहयोग लिया है, जिसके लिए मैं पुस्तकालय के सभी

कर्मचारियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने मूझे पूर्ण सहयोग प्रदान किया है।

मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों विशेष रूप से अपनी माता श्रीमती मीना सिंह पिता श्री सियाराम सिंह, पति शिवेन्द्र सिंह, भाई अभिजीत सिंह, अभिषेक सिंह तथा अभिकृत राज सिंह का भी आभार व्यक्त करती हूँ , जिन्होंने मुझे सहयोग प्रदान कर मेरा मनोबल बनाये रखा है। मैं अपने सहपाठी मित्रों विशेष रूप से शशि कुमारी रावत, मंजू सिंह, मोनिका वर्मा, की अभारी हूँ, जिन्होंने मुझे समय–समय पर प्रेरित किया एवं पूर्ण सहयोग प्रदान किया। इसके अलावा मैं अपने वरिष्ठ शोधार्थियों को भी आभार व्यक्त करती हूँ , जिन्होंने शोध कार्य हेतु मुझे सहयोग प्रदान किया।

अन्त में मैं उन सभी उत्तरदाताओं के रूप में शामिल बालिकाओं, अभिभावकों प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों, ग्राम प्रधानों का भी सहृदय आभारी हूँ , जिन्होंने शोध अध्ययन से सम्बन्धित सभी प्रश्नों का उत्तर सहयोगपूवर्क दिया। इनके सहयोग के बिना यह शोध कार्य सम्भव नहीं था।

शोधार्थी

Shweta Singh

श्वेता सिंह

तालिका संख्या	तालिका–सूची	पृष्ठ संख्या
1.1	भारत की साक्षरता दर में वृद्धि	23
1.2	अध्ययन की इकाई का विवरण	39
2.1	भारत में नामांकन की स्थिति	46
2.2	भारत में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय में सुविधा संकेतक	47
2.3	भारत में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों का विवरण	48
2.4	भारत में प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा की प्रवृत्ति	49
2.5	उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति	52
2.6	उत्तर प्रदेश में कुल शिक्षक, छात्र–शिक्षक अनुपात तथा छात्र–कक्षा अनुपात	53
2.7	उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन की स्थिति का विवरण	54
2.8	उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का विवरण	55
2.9	उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की सामान्य स्थिति	56
2.10	रायबरेली जनपद के प्राथमिक विद्यालय के संकेतक	57
2.11	रायबरेली जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की स्थिति	58

2.12	रायबरेली जनपद के प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति	60
2.13	रायबरेली जनपद के प्राथमिक विद्यालय में नामांकन की स्थिति	61
3.1	विद्यालय में कक्षा के कमरे की स्थिति तथा छात्रों के बैठने की व्यवस्था	64
3.2	कक्षा में छात्रों के बैठने के लिए मिलने वाली सुविधा	65
3.3	फर्नीचर टाटपट्टी तथा चटाई की स्थिति	66
3.4	छात्रों के लिए फर्नीचर, टाट्पट्टी तथा चटाई की समुचित व्यवस्था	66
3.5	विद्यालय के कक्षाओं में प्रकाश की उचित व्यवस्था	67
3.6	संख्या कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड की सुविधा	68
3.7	ब्लैक बोर्ड की स्थिति	68
3.8	विद्यालय में पेयजल की सुविधाएं	69
3.9	पेयजल के स्रोत	70
3.10	विद्यालय में शौचालय सुविधाएं	70
3.11	विद्यालय में उपलब्ध शौचालयों की स्थिति	71
3.12	विद्यालय में पुस्तकालय	72
3.13	खेल के मैदान की स्थिति	73
3.14	विद्यालयों में शिक्षकों को शैक्षणिक योग्यता का विवरण	75
3.15	शिक्षकों के प्रशिक्षण योग्यता का विवरण	76
3.16	विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति एवं उपस्थिति की स्थिति	77

4.1	बालिकाओं के अभिभावकों की आर्थिक–शैक्षणिक स्थिति	81
4.2	परिवार का स्वरूप	83
4.3	बालिकाओं के अभिभावकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति	84
4.4	श्रेणी एवं लिंग के आधार पर बालक–बालिकाओं का नामांकन तथा उपस्थिति	86
4.5	जाति श्रेणी के आधार पर बालिकाओं का हिन्दी पढ़ने का ज्ञान	88
4.6	जाति श्रेणी के आधार पर बालिकाओं का अंग्रेजी पढ़ने का ज्ञान	90
4.7	जाति श्रेणी के आधार पर बालिकाओं का गणितीय क्षमता का ज्ञान	92
4.8	विद्यालय में बुनियादी सुविधाओ की स्थिति एवं शिक्षक की गुणवत्ता का बालिकाओ की अधिगम गुणवत्ता से सम्बन्ध	94
4.9	बालिकाओं के अभिभावकों की सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता से सम्बन्ध	96

विषय–सूची

	उद्घोषणा	**पृष्ठ संख्या**
	प्रमाण –पत्र	
	आभार	
	तालिका सूची	
	संक्षिप्त–शब्द सूची	
अध्याय 1 :	**प्रस्तावना**	**1–40**
	भारत में शिक्षा नीति	
	राष्ट्रीय शिक्षा आयोग / कोठारी आयोग (1964–66)	
	नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)	
	संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति / कार्य योजना (1992)	
	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1994)	
	सर्वशिक्षा अभियान(2000–2001)	
	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (2009)	
	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (2013)	
	भारतीय संविधान तथा प्राथमिक शिक्षा	
	शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)	
	सर्वशिक्षा अभियान तथा अधिगम गुणवत्ता	
	अधिगम गुणवत्ता के प्रमुख निर्धारक तत्व	
	सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा	
	शोध अन्तराल	
	अध्ययन की समस्या	
	शोध अध्ययन का उद्देश्य	
	अध्ययन की शोध पद्धति	
	अध्याय योजना	
अध्याय 2 :	**सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम**	**41–63**
	सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं	
	भारत मे ंसर्व शिक्षा अभियान का प्रभाव	
	भारत में नामांकन की स्थिति	
	सर्व शिक्षा अभियान तथा विद्यालय में सुविधाएं	
	सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षकों का विवरण	
	सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा की प्रवृत्ति	

उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान
उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन एंव बुनियादी सुविधाओं की स्थिति
रायबरेली जनपद मे सर्व शिक्षा अभियान
रायबरेली जनपद के प्राथमिक विद्यालय के संकेतक
निष्कर्ष

अध्याय 3 : सरेनी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी सुविधाएं तथा शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता **64–80**

छात्रों को बैठने के लिए मिलने वाली सुविधाएं
विद्यालय में पेयजल एंव शौचालय की सुविधाएं
विद्यालय में पुस्तकालय, खेल–कूद से सम्बन्धित सुविधाएं
विद्यालयों मे शिक्षकों की शैक्षणिक एंव प्रशिक्षण योग्यता का विवरण
विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति एवं उपस्थिति की स्थिति
निष्कर्ष

अध्याय 4 : अभिभावकों की सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति तथा बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता **81–114**

बालिकाओं के माता–पिता की शिक्षा एवं व्यवसाय
बालिकाओं के अभिभावकों की धर्म, श्रेणी एवं मासिक आय का वर्गीकरण
बालक–बालिकाओं का नामांकन तथा उपस्थिति का विवरण
जाति श्रेणी के आधार पर बालिकाओं का हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणितीय क्षमता का ज्ञान
विद्यालय में बुनियादी सुविधाओ की स्थिति एवं शिक्षक की गुणवत्ता का बालिकाओ की अधिगम गुणवत्ता से सम्बन्ध
बालिकाओं के अभिभावकों की सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता से सम्बन्ध
अधिगम गुणवत्ता को बढ़ाने मे हितधारकों की भूमिका
निष्कर्ष

अध्याय 5 : निष्कर्ष 115–124
निष्कर्ष एवं सुझाव

ग्रन्थ सूची

परिशिष्ट

LIST OF ABBREVIATIONS

BDO	Block Development Office
BSA	Basic Shiksha Adhikari
CABE	The Central Advisory Board of Education
DPEP	District Primary Education Program
EMIS	Education Management Information System
MHRD	Ministry of Human Resource Development
NCERT	National Council of Educational Research and Training
NCTE	National Council for Teacher Education
NPE	National Policy of Education
NUEPA	National University of Educational Planning and Administration
OBC	Other Backward Class
POA	Program of Action
PMIS	Primary Management Information System
RMSA	Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan
RTE	Right to Education
RUSA	Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan
SC	Scheduled Caste
ST	Scheduled Tribe
SMC	School Management Committee
SSA	Sarva Shiksha Abhiyan
TSG	Technical Specification Group
UDISE	Unified District Information on School Education
UPE	Universal Primary Education
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF	United Nations International Children's Education Fund

अध्याय–1

प्रस्तावना

भारत की आधी आबादी महिलाओं की है जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है। अतः उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करना सरकार का महत्वपूर्ण दायित्व है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही महिलाएं समाज में फैली लैंगिक असमानता, शोषण व उपेक्षा जैसी समस्याओं का मुकाबला करने में सक्षम होगी। इसलिए महिलाओं की शिक्षा एवं क्षमता का विकास करके ही विकसित समाज एवं राष्ट्र की कल्पना करना सम्भव है। अतः महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी एवं आत्मविश्वासी बनाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता के पश्चात से ही पूर्ण साक्षरता की प्राप्ति हेतु संविधान के अनुच्छेद 45 (भाग–4) में प्रत्येक राज्य को संविधान लागू होने के दस वर्षो के अन्दर 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना होगा। परन्तु लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने के पश्चात वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। इसका परिणामी विधान 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया।

इन प्रावधानों के द्वारा ही सरकार प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का प्रयास कर रही है, जो समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्वान्तों पर आधारित है। इसके अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने लैंगिक असमानता को दूर करने तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं जैसे–बालिका शिक्षा कार्यक्रम, कस्तूरबा गॉधी बालिका

विद्यालय, मिड डे मिल आदि योजनाएं चलायी। सरकार के इन प्रयासों से बालिकाओं की शिक्षा में काफी सुधार हुआ।

प्राथमिक शिक्षा में सामाजिक एवं लैगिक असमानता को दूर करने तथा गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान (2001) की शुरूआत एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत की, इसके परिणाम स्वरूप बालिकाओं की नामाकंन दर (2000–2001) में 67.3 प्रतिशत से बढकर (2014–15) में 98 प्रतिशत हो गयी तथा इनके विद्यालय छोड़ने की दर में भी कमी आयी है, यह (2000–2001) में 49.8 प्रतिशत से घटकर (2014–15) में 4.31 प्रतिशत रह गयी (यू0डी0आई0एस0ई0 2005–06 तथा 2015–16,एन0यू0ई0पी0ए0)। निःसन्देह इस कार्यक्रम के शुरूआत से लेकर अब तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति देखने को मिली है तथा केन्द्र एवं राज्यों के संयुक्त प्रयासों से लगभग सभी बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश दिला दिया गया है।

परन्तु इन विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर समय–समय पर चिंताए व्यक्त की गयी है तथा यह भी सवाल उठा है कि क्या ये बच्चें कुछ सीख भी पा रहे है या नही ? अध्ययनों के अनुसार– भारत में तीसरी कक्षा के केवल 35 प्रतिशत बच्चें ही पहली कक्षा के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते है (विश्व बैंक रिपोर्ट 2018)। बालिकाओं के अधिगम के सम्बन्ध में यह स्थिति और भी दयनीय है, 14–18 वर्ष की केवल 72.9 प्रतिशत बालिकाएं ही दूसरी कक्षा की किताब पढ़ सकती है, 40.7 प्रतिशत अंग्रेजी के सामान्य वाक्य तथा केवल 25.4 प्रतिशत बालिकाएं ही गणित में भाग कर सकती है (असर रिपोर्ट, 2017)।

उत्तर प्रदेश में यह स्थिति और भी दयनीय है केवल 44.7 प्रतिशत बच्चें दूसरी कक्षा की पाठ्यक्रम पढ़ सकते है तथा 46.7 प्रतिशत सरल घटाना कर सकते है और 21.1 प्रतिशत बच्चें ही अंग्रेजी के सरल वाक्य पढ़ सकते है (असर रिपोर्ट 2017)। अतः हम कह सकते है कि देश की भावी पीढ़ी के लिए इसके गम्भीर परिणाम हो सकते है क्योंकि इन्हीं बच्चों को बड़े होकर राष्ट्र के विकास की दिशा तय करनी है, इसलिए शुरूआत में पढ़ना–लिखना और समझना तथा गणित का ज्ञान देश में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

भारत में शिक्षा नीति

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही भारत के राष्ट्रीय विकास के नए युग का प्रारम्भ हो गया, इस युग में सरकार का प्रमुख उद्देश्य सभी व्यक्तियों के रहन–सहन के स्तर का विकास, गरीबी उन्मूलन, कृषि एवं उद्योगों का विकास, आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विदेश के सभी वर्गों में समाजवादी समाज की स्थापना तथा राष्ट्रीय संसाधनों का समान वितरण और 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आदि की व्यवस्था करना है। यह सभी लक्ष्य एक सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षा के ढ़ाचा में आवश्यक परिवर्तन करना अति आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन के इसी उद्देश्य से विभिन्न आयोगों का गठन किया गया, जिसने शिक्षा के अलग–अलग स्तरों पर अपने सुझाव दिये। परन्तु आवश्यकता इस बात की थी कि शिक्षा के सभी स्तरों की जांच एक साथ किया जाए, इसी उद्देश्य

की प्राप्ति के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया जो सरकार को शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सुधार हेतु सुझाव दे सके।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग/कोठारी आयोग (1964–66)

सम्पूर्ण देश की समृद्धि एवं विकास शिक्षा के विकास पर आधारित है तथा इसमें सुधार के लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर जांच करना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा के सभी स्तर आपस में एक–दूसरे से जुड़े हैं, अतः यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को एक–इकाई मानकर उनका गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाए। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 14 जुलाई, 1964 में डा0 दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया, इस आयोग ने 29 जून, 1966 को सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग में कुल 17 सदस्य शामिल किये गये थे। जो राष्ट्रीय शिक्षा के उत्थान के लिए अपने प्रमुख सुझाव दिये। आयोग द्वारा प्रस्तुत किये शिक्षा के पंचमुखी उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना।
2. शिक्षा के द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करना।
3. लोकतन्त्र को सुदृढ़ करना।
4. शिक्षा के द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का विकास करना।
5. शिक्षा के द्वारा सामाजिक नैतिक एवं अध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके चरित्र का निर्माण करना।

इस आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर समीक्षा करके अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये। इसमें प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार है :

- पहली कक्षा में 5–7 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चें का नामांकन लिया जाए।
- 1985–1986 तक 5–14 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए।
- प्राथमिक स्तर पर बच्चों के अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने का उचित उपाय किया जाए।
- सन् 1975–76 तक देश के सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
- बच्चों के बस्ती के एक किलोमीटर के दूरी के भीतर प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था करना।
- पिछड़े वर्गों के बच्चें जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए अधिक संख्या में प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था की जाए।
- प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है।

बालिका शिक्षा सम्बन्धी सुझाव

कोठारी आयोग के अनुसार बच्चों के चरित्र निर्माण, परिवारों की उन्नति और राष्ट्रीय प्रगति के लिए बालिकाओं की शिक्षा पुरूषों की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं :

- बालिकाओं की प्राथमिक एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिक से अधिक प्रयास किये जाए।
- बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- बालिकाओं की शिक्षा का विस्तार करने के लिए सहशिक्षा की व्यवस्था की जाए।
- बालिकाओं के लिए अल्पकालीन तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
- स्त्री शिक्षा का निरीक्षण करने के लिए केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर शक्तिशाली प्रशासकीय संगठनों का निर्माण किया जाना चाहिए।
- बालिकाओं को कला, विज्ञान एवं तकनीकी से सम्बन्धित विषयों के चुनाव की स्वतंत्रता हो।
- बालिकाओं के लिए निःशुल्क छात्रावासों तथा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए।
- बालिकाओं के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए।
- बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन दिया जाए।

शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित सुझाव

- प्रत्येक राज्य में शिक्षक शिक्षा परिषदों की स्थापना की जाए।
- सभी स्तरों पर शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की जाए तथा उनके चयन की विधियों में परिवर्तन की जाए।
- महिला शिक्षकों की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया जाए।
- शिक्षकों को अपनी व्यवसायिक योग्यता बढ़ाने के अवसर प्रदान किया जाए।
- प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।
- शिक्षक प्रशिक्षण की पृथकता समाप्त की जाए तथा प्रत्येक राज्य में काम्प्रीहेन्सिव कॉलेजों की स्थापना की जाए।
- प्रशिक्षण महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों एवं विषय सामग्री में आवश्यक सुधार करना।
- पत्राचार पाठ्यक्रम तथा अंशकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करना।
- छात्राध्यापकों को निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

भारतीय शिक्षा के विकास में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय शिक्षा को इसने एक नया आयाम दिया है। जनवरी 1985 में भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति की घोषण की। जिसे 1986 में स्वीकार कर लिया गया। इस शिक्षा नीति में आधुनिकीकरण, कार्य कुशलता और

नवाचार को शैक्षिक प्रबन्ध का आधार माना गया है। इसक प्रारूप को निम्न चार भागों में बांटा गया :

1. शिक्षा में किताबी ढ़ांचे को बदलना।
2. सामाजिक दायित्व का भाव पैदा करना।
3. शिक्षा का 21वीं सदी में पदार्पण तथा सामाजिक परिवर्तन की वाहिका बनाना।
4. शिक्षा में तकनीकी से सम्बन्धित दृष्टिकोण को अपनाना।

इसमें शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर विशेष बल दिया गया है। जैसे–निरक्षता उन्मूलन, प्रौढ़ शिक्षा प्रसार, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण शिक्षा का व्यावसायीकरण, उच्च शिक्षा, मूल्य शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा आदि।

प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव

14 वर्ष तक की आयु वर्ग वाले बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा के संरचनात्मक विस्तार के साथ–साथ गुणात्मक विकास पर भी ध्यान दिया जाए। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को रोचक प्रभावशाली तथा बाल केन्द्रित बनाया जाए। विद्यालय की बुनियादी संरचना के अंतर्गत कम से कम दो कमरों की व्यवस्था, आवश्यक शिक्षण सामग्री, ब्लैक बोर्ड आदि की व्यवस्था करना। शिक्षण को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कम से कम दो अध्यापकों की नियुक्ति पर बल दिया गया।

बालिका की शिक्षा सम्बन्धी सुझाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बालिकाओं की शिक्षा में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए अनेक सुझाव दिये गये है :

- बालिकाओं के प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में आने वाली समस्याओं का निराकरण करना।
- विभिन्न पाठ्यक्रमों के भाग के रूप में स्त्री अध्ययनों को बढ़ावा दिया जाए।
- महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना।
- महिलाओं के मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करना।
- विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक तकनीकी एवं विज्ञान की शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी पर विशेष बल देना।

शिक्षक प्रशिक्षण सम्बंधी सुझाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया उनके शिक्षण एवं प्रशिक्षण से संबंधित प्रमुख सुझाव इस प्रकार है :

- प्रत्येक जनपद में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना किया जाएगा तथा प्रशिक्षण से संबंधित निम्न स्तरीय संस्थाओं को बन्द किया जाएगा।
- इन संस्थाओं में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक अनौपचारिक शिक्षक तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित राष्ट्रीय परिषद को समुचित संसाधन उपलब्ध कराये जाएगे।
- शिक्षक शिक्षा प्रणाली की जांच की जाएगी।

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति/कार्य योजना (1992)

1990 में केन्द्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के समीक्षा के लिए आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसने 09.जनवरी 1991 को संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार केन्द्र सरकार ने 1992 में संसोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कर दी, इसे कार्यान्वयन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विभिन्न खण्डों में कुछ प्रमुख संशोधन किये गये। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित संसोधन की व्याख्या इस प्रकार है : इस योजना के तहत 1995 तक 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इन नामांकित बच्चों को विद्यालय में ठहराव पर बल दिया जाना चाहिए। 300 की जनसंख्या वाले प्रत्येक गाँव में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना। पहाड़ी क्षेत्रों में 200 की जनसंख्या पर 1 प्राथमिक विद्यालय की स्थापना। शिक्षा की गुणवत्ता में

पर्याप्त सुधार किया जाए। इन विद्यालयों में कार्य दिवसों की संख्या 200 से कम नहीं होनी चाहिए।

भारत में शैक्षणिक कार्यक्रम

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1994)

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992) के अनुसंशा में शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने के लिए ''जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1994)'' को प्रारम्भ करने की सिफारिश की गयी थी। जिसे केन्द्र सरकार की सहायता से राज्यों में प्रारम्भ किया गया। प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक एवं अनिवार्य बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुलभ एवं गुणवत्तायुक्त बनाना है। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है :

- सामाजिक असमानता एवं लैंगिक भेदभाव को प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन तथा गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पाँच प्रतिशत से कम करना।
- प्राथमिक विद्यालयों में ड्रापआउट को 10 प्रतिशत तक कम करना।
- प्राथमिक विद्यालयों की शैक्षिक उपलब्धि को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की कार्य योजना

- नये प्राथमिक विद्यालय खोलना, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना, कक्षा–कक्षों का निर्माण करना।
- ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना करना, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को सृदृढ़ बनाना।
- शिक्षकों की नियुक्ति करना तथा शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

- सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के बच्चों, बालिकाओं एवं विकलांगों की प्राथमिक शिक्षा में नवीन तकनीक को बढ़ावा देने पर बल देना।
- सभी नामांकित बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करा कर उनके अधिगम स्तर में वृद्धि करना।

इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जनपद की विशिष्टताओं के आधार पर 5 वर्षों का अपना लक्ष्य तय करना एवं अपने वार्षिक कार्य योजना एवं बजट से प्रत्येक वर्ष का लक्ष्य निर्धारित करना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को तीन चरणों में लागू किया गया, प्रथम चरण में देश के 7 राज्यों के 42 जनपदों में, दूसरे चरण में इन 7 राज्यों के 56–60 जिलों के अलावा 4 अन्य राज्यों जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, में इसका विस्तार किया गया। इसके बाद यह सम्पूर्ण देश में लागू हो गया।

सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान देश भर में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए राज्य सरकारों की भागीदारी से संचालित और केन्द्र द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसकी शुरूआत एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत नवम्बर (2000) में किया गया तथा यह जनवरी (2001) से देश के सभी राज्यों में लागू हो गया। इस कार्यक्रम में पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं) के बच्चों तथा ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। अतः इसका मुख्य लक्ष्य विविध रणनीतियों के माध्यम से स्कूल से बाहर रह रहे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने

का है। इसके अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर 6–11 वर्ष के आयु वर्ग तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 11–14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को उपयोगी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 1999)।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

- 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2003 तक शिक्षा गारण्टी केन्द्रों, ब्रिज पाठ्यक्रमों, तथा वैकल्पिक विद्यालयों में दाखिल करना है।
- वर्ष 2007 तक सभी बच्चों को पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को आठ वर्ष की बुनियादी शिक्षा पूर्ण करवाना।
- जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा पर बल देते हुए संन्तोषजनक एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना।
- विद्यालय में सभी प्रकार के लैंगिक तथा सामाजिक अन्तराल को प्राथमिक स्तर पर 2007 तथा बुनियादी स्तर (उच्च प्राथमिक) पर 2010 तक समाप्त करना।

सर्व शिक्षा अभियान तथा बालिकाओं की शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा में बालक–बालिका और सामाजिक अन्तर को समाप्त करना सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित बालिकाओं की शिक्षा में सुधार पर विशेष बल दिया गया है। इस अभियान में बालिकाओं के लिये कई महत्वाकांक्षी योजनायें शामिल की गयी हैं। इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (2004) जो शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में

स्थापित किये जाते हैं, जहां बालिकाओं का विद्यालय आवास से काफी दूर हो तथा उनकी सुरक्षा की चुनौती होती हो। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिये 75 प्रतिशत तथा गरीबी रेखा के नीचे की बालिकाओं के लिये 25 प्रतिशत सीटे आरक्षित है (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रिपोर्ट 2016)। स्वच्छ विद्यालय के पहल के अन्तर्गत देश के सभी विद्यालयों में बालक–बालिकाओं के लिये अलग से शौचालय बनवाना अनिवार्य है। इसके अलावा भी बालिकाओं के लिये अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है जो इस प्रकार है :

- आठवीं कक्षा तक की सभी बालिकाओं के लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा दो सेट वर्दी उपलब्ध कराना।
- बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय की सुविधा।
- बीच में छोड़ चुकी बालिकाओं के लिये स्कूल शिविरों की व्यवस्था करना।
- अधिक उम्र की बालिकाओं के लिये सेतु पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना।
- बालिकाओं के शिक्षण के लिये 50 प्रतिशत महिला शिक्षकों सहित अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करना।
- बालक–बालिकाओं को एक समान शिक्षा देने के लिये शिक्षक संवेदीकरण (संवेदनशील) कार्यक्रम का आयोजन करना।
- बालिकाओं की शिक्षा के लिये सामुदायिक सहयोग का प्रयास।
- विद्यालय में बालिकाओं के नामांकन, उपस्थिति एवं ड्राप आउट को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यकता आधारित सुविधा प्रदान करने हेतु प्रत्येक जिले को 'अभिनव कोष' की सुविधा प्रदान करना।

- बालिकाओं के लिये विशेष प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन और सीखने के लिये सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना।

सर्व शिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के कारण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन बढ़ा है तथा साक्षरता दर में वृद्धि हुयी है। बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने की दर में भी काफी कमी आयी है, जो वर्तमान में लगभग 4 प्रतिशत रह गयी हैं। परन्तु उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने की दर अभी भी बहुत अधिक है। बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बस्ती के एक किलोमीटर की दूरी के अन्दर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की भी व्यवस्था की गयी है, अतः सर्व शिक्षा अभियान बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये हर संभव प्रयासरत है। इस कार्यक्रम के प्रयासों के कारण बालिकाओं के नामांकन दर में तेजी से वृद्धि हुई है, परन्तु अधिगम की गुणवत्ता का स्तर गिरता जा रहा है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (2009)

यह माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। राष्ट्रीय स्तर पर गठित 'केन्द्रिय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब) ने वर्ष 2005 में माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए इस कार्यक्रम को बनाने की योजना का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के सामने प्रस्तुत की। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2009 में केन्द्र सरकार ने कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान कर दिया। इसे हम 'सक्सेस स्कीम' के नाम से जानते हैं। जहां सक्सेस (SUCCESS) का अर्थ–''स्कीम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस टू कम्प्रूवमेन्ट आफ क्वालिटी एट सेकण्डरी स्टेज'' है। इस कार्यक्रम का

प्रमुख उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा को सार्वजनिक बनाना है। यह 14–18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने से सम्बन्धित है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य

- वर्ष 2017 तक 14–18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- वर्ष 2020 तक माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित हुए 100 प्रतिशत बच्चों को विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना।
- माध्यमिक शिक्षा से जुड़े सभी बच्चों को 5 किलोमीटर की दूरी के अन्दर माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध करना।
- प्रत्येक बच्चे को 7 से 120 किलोमीटर की दूरी के अन्दर उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराना।

यह योजना केन्द्र तथा राज्य सरकार की साझेदारी से चलायी जाती है, इसमें शुरूआत में यह साझेदारी 75:25 की थी। जिसे नवम्बर 2016 में 60:40 कर दी गयी। वर्तमान में इसके अंतर्गत 50:50 के केन्द्र तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (2013)

केन्द्र सरकार द्वारा इस कार्यक्रम की शुरूआत वर्ष 2013 में की गयी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों के पात्र उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य

- निर्धारित मानदण्डों के अनुसार चिन्हित राज्य स्तरीय उच्च शिक्षण संस्थाओ को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। चिन्हित संस्थानों के लिए रकम केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जो राज्य सरकार के माध्यम से राज्य के उच्चतर शिक्षा परिषदों और संस्थानों को उपलब्ध करायी जाती है।
- इन सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार कराना।
- राज्य स्तर पर नये योजना और मॉनीटरिंग के लिए संस्थानिक ढ़ाचे का निर्माण करना। राज्य विश्वविद्यालयों में स्वायत्ता को प्रोत्साहित करके उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सुधार करना।
- राज्य विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थाओं के शैक्षिक एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार को सुनिश्चित करना।
- सहायता प्राप्त सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में नवाचार एवं अनुसंधान के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना।
- नामांकन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नये विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थाओं का निर्माण करना।
- समाज के पिछड़े वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, विकलांग एवं महिलाओं के लिए उच्चतर शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराना।

भारतीय संविधान तथा प्राथमिक शिक्षा

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही केन्द्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के महत्व को समझा तथा पूर्ण साक्षरता की प्राप्ति हेतु संविधान में अनुच्छेद (45) को शामिल किया। संविधान के अनुच्छेद 45 (भाग–4) के अनुसार देश के सभी राज्यों को संविधान लागू होने के दस वर्षों के अन्दर 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। परन्तु इस समयावधि के अन्दर पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल नहीं किया गया, इसके पश्चात् वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार की घोषणा की गयी। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) एक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक के रूप में संसद में पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से सम्पूर्ण देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के रूप में लागू हो गया।

- **अनुच्छेद 28**–के अनुसार शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है।
- **अनुच्छेद 29**–देश के सभी नागरिकों की अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षा व समृद्धि एवं शैक्षिक अधिकारों के लिए पूर्ण अवसर प्रदान किये गये है।
- **अनुच्छेद 15**–इसके अनुसार धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश एवं जन्म स्थान के विविधता के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।

- **अनुच्छेद 30**—अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा का प्रावधान। अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति की रक्षा के लिए शिक्षण संस्थानों को खोलने, उनका प्रबंध तथा विकास करने का पूर्ण अधिकार होगा और सरकार उन्हें आर्थिक सहायता देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी।
- **अनुच्छेद 21 (क)**— 86 वें संविधान संशोधन के द्वारा 6—14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया है।
- **अनुच्छेद 51 (ए)**— बच्चों को शिक्षा देना माता—पिता का मूल कर्तव्य है।
- **अनुच्छेद 350 (ए)**— बच्चों को मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए।

सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)

शिक्षा के अधिकार अधिनियम (2009) के लागू होने से सर्व शिक्षा अभियान को एक नये रूप में कार्यान्वित किया गया है, जिससे सभी बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त करने में मदद मिल सके। यह कानून सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो और इसे परिवार, समुदाय, राज्य तथा केन्द्र की सहायता से पूरा किया जाए।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)

दिसम्बर, 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया और इसके अनुच्छेद 21 ए (भाग—3) के अर्न्तगत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया।

इसके परिणामस्वरूप निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009),1 अप्रैल, 2010 से देश भर में लागू हो गया। यह अधिनियम 6–14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को विद्यालय में अवसर की समानता के आधार पर, प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अर्थात् आरक्षित वर्ग के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ बाल श्रमिक, प्रवासी बच्चों, विशिष्ट जरूरतों वाले बच्चों या सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसे किसी अन्य विशिष्टता वाले सभी बच्चों को एक समान अवसर उपलब्ध कराता है (उमर फारूकी, 2011)।

इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान यह है कि :

- 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- बच्चों को शिक्षा देना माता–पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया गया है। अतः अब अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी कि वे बच्चों को विद्यालय भेजे।
- प्रत्येक बस्ती के एक किलोमीटर से दूरी से अन्दर प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना किया जाए।
- सभी निजी विद्यालयों में पहली कक्षा में प्रवेश के समय कमजोर वर्ग (सामाजिक–आर्थिक) वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जाएगी।
- कोई भी विद्यालय बच्चों को प्रवेश देने से मना नहीं करेगा।
- प्रशिक्षित शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेगे व अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

- प्रत्येक 40 बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम दो प्रशिक्षित शिक्षक होगे। विकलांग, मंदबुद्धि छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी।
- निजी विद्यालयों में बच्चों से किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं ली जाएगी तथा उनके स्क्रीनिंग टेस्ट पर भी प्रतिबंध होगा।
- बच्चों को न तो अगली कक्षा में पहुँचने से रोका जाएगा, ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा और न ही उनके लिए बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
- शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना, चुनाव कार्य एव आपदा राहत के अलावा अन्य किसी भी कार्य में नहीं लगायी जाएगी।
- इस अधिनियम को लागू करने में जो भी खर्च आएगा उसे केन्द्र व राज्य सरकार मिलकर वहन करेगें।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को सर्व शिक्षा अभियान के जरिये कार्यान्वित किया जाता है। इसलिए इस अधिनियम की आवश्यकता के अनुरूप सर्व शिक्षा अभियान के कार्यों में आवश्यकता के अनुरूप संशोधन किए गए है। इसके माध्यम से विकेन्द्रित, नियोजन, सामुदायिक भागीदारी, बच्चों की आवश्यकता की शिक्षा, दुर्गम तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय, विशेष जरूरतों वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए अधिगम उपलब्धि के अन्तिम स्तर के निर्धारण के लिए 20, फरवरी 2017 को शिक्षा के अधिकार अधिनियम (2009) को संशोधित किया गया और प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विषय के लिए अधिगम का परिणाम निर्धारित किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख उपलब्धियाँ

सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कार्यक्रम के आरम्भ से लेकर अब तक अनेक उपलब्धियां प्राप्त किया है जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है :

- सर्व शिक्षा अभियान की शुरूआत से लेकर अब तक (2001–17) विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति देखने को मिली। सर्व शिक्षा अभियान पर केन्द्र सरकार का बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। यह 2009–10 में 19598.07 करोड़ से बढ़कर 2015–16 में लगभग 21590 करोड़ हो गया।
- सर्व शिक्षा अभियान के तहत 3,59,826 विद्यालयों की स्थापना की गयी है।
- पुराने विद्यालयों में कक्षा–कक्ष की कमी को ध्यान में रखकर 18,37,445 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया कराया गया है।
- इस कार्यक्रम में शिक्षक–छात्र अनुपात में भी सुधार हुआ है यह 2009–10 में 32 से घटकर 2015–16 में 25 हो गया है।
- सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में शिक्षकों की कमी को देखते हुए 2015–16 में लगभग 15.59 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2015–16)।
- सर्व शिक्षा अभियान के लागू होने से साक्षरता दर में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। जिसे तालिका संख्या 1.1 में दिखाया गया है :

तालिका संख्या 1.1 : भारत की साक्षरता दर में वृद्धि (प्रतिशत में)

वर्ष	पुरूष	स्त्री	कुल वृद्धि	वृद्धि में अंतर
2001	75.26	53.67	64.8	21.59
2011	82.14	65.46	74.04	16.58

स्रोत–भारत की जनगणना 2011

सर्व शिक्षा अभियान तथा अधिगम गुणवत्ता

शिक्षा की गुणवत्ता – गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा से है जो प्रत्येक बच्चों की क्षमताओं के सम्पूर्ण विकास में समान रूप से उपयोगी हो। शिक्षा की गुणवत्ता की प्रकृति बहुत जटिल है अतः इसकी सर्वसम्मत परिभाषा देना कठिन है। शिक्षा की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो समाज में बदलाव के साथ स्वयं को बदलने में सक्षम हो, तथा जो नवीन अनुसंधान पर आधारित हो (ग्लैसर, 1990)।

शिक्षा की गुणवत्ता प्रशिक्षित शिक्षक, बाल केन्द्रित शिक्षण विधि, पर्याप्त संसाधन एवं सुविधाएं, उपयुक्त पाठ्यक्रम, परिवार तथा समुदाय का सहयोग, लैगिक संवदेनशीलता तथा सुरक्षित एवं अधिगम युक्त वातावरण पर निर्भर करता है (यूनिसेफ, 2000)। अतः गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को परिभाषित करते हुए यूनिसेफ ने इसमें कुछ प्रमुख बिन्दुओं का समावेश किया है जिनका समुच्चय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहलाता है :

- अधिगमकर्ता वह है जो स्वस्थ हो, अधिगम में भागीदारी के लिए तैयार हो तथा उसके परिवार और समुदाय के द्वारा भी उसे सहयोग प्राप्त हो।

- शिक्षा की गुणवत्ता के लिए ऐसा वातावरण, जो स्वस्थ, सुरक्षित, संरक्षित, लैंगिक भेदभाव से रहित हो तथा बच्चों को पर्याप्त संसाधन और सुविधांए उपलब्ध हो।
- शिक्षा का पाठ्यक्रम उपयुक्त हो जो बुनियादी कौशल के विकास में सहायक हो, साक्षरता बढ़ाये तथा जीवन के लिए आवश्यक कौशल का विकास करें।
- शिक्षा की गुणवत्ता में प्रशिक्षित शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है जो बाल केन्द्रित शिक्षण विधियों से बच्चों के अधिगम का सरल बनाते है तथा समाज में असमानता को कम करते हैं।
- शिक्षा से प्राप्त परिणाम ऐसा हो जिसमें ज्ञान, कौशल, तार्किकता तथा शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य एवं समाज को सकारात्मक भागीदारी से जोड़ना शामिल हो।

यह परिभाषा शिक्षा व्यवस्था में अन्तर्निहित सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक जटिलता को समझने से सहायक है। अतः शिक्षा की गुणवत्ता वह है, जो सभी बच्चों का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, विकास से सम्बन्धित हो तथा उनका लैगिक, नृजाति, प्रजाति, भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर बिना किसी भेदभाव के उनको जीवन कौशल के लिए तैयार करें न कि केवल कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए।

अधिगम–अधिगम जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है यह शिक्षा से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित है। अतः अधिगम और शिक्षा एक ही क्रिया की ओर संकेत करते है जो व्यक्ति के जीवन पर्यन्त चलती रहती है। गेट्स के अनुसार ''अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है।

''स्किनर प्रगतिशील व्यवहार–व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं (डॉ0 मालती सारस्वत, डॉ0 मधुरिमा सिंह, 2012)। विद्यालय में अधिगम मात्र विषयवस्तु को सीखना नहीं है बल्कि दुनिया को तथा अपने आपको समझने का नजरिया विकसित करना भी है, विचारों को निर्मित करना, मतों एवं अनुभव के द्वारा आस–पास के घटनाओं को समझाना भी सीखता है (रोहित धनकर, 2010)।

गुणवत्ता – किसी समरूप वस्तु की उपलब्धि के स्तर का मापन की व्यवस्था को गुणवत्ता कहते है। शिक्षा के क्षेत्र में अधिकांशतः विषयगत ज्ञान में छात्र की प्राप्तांक उपलब्धि के आधार पर गुणवत्ता को मापने का प्रचलन है। अतः शिक्षा की गुणवत्ता के प्रमुख घटको में मूल्यांकन (ऑकलन), स्वायत्ता, जवाबदेही (उत्तरदायित्व), शिक्षकों की योग्यता शामिल है (यूनेस्को, 2005)।

अधिगम गुणवत्ता के प्रमुख निर्धारक तत्व

शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले अनेक कारक मौजूद है, परन्तु कक्षा में होने वाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इसमें एक निर्णायक की भूमिका निभाता है। अधिगम की गुणवत्ता का निर्धारण कुछ प्रमुख तत्वों पर निर्भर है :

- अधिगम की गुणवत्ता शिक्षक की योग्यता पर निर्भर करता है। एक प्रशिक्षित शिक्षक बाल केन्द्रिक विधियों के द्वारा शिक्षण को प्रभावी बना देता है तथा बच्चों के अधिगम को प्रभावी बना देता है तथा बच्चों के अधिगम को सरल बना देता है। अतः शिक्षक की उच्च शैक्षिक विकास में विशेष रूप से सहायक होता है। समय–समय पर शिक्षकों को दिये गये

नवीन ज्ञान एवं प्रशिक्षण विद्यार्थियों के उपलब्धि के स्तर को बढ़ाता है (डार्लिंग एंड हैमंड, 1997)।

- गुणवत्तायुक्त अधिगम अनुकूल वातावरण पर निर्भर करता है। जो विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं एवं संसाधनों की पहुँच कर निर्भर है। इसके अन्तर्गत कक्षाओं, कार्यालयों, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, शौचालय, शिक्षक आवास, खेल का मैदान, पुस्तकालय, आदि शामिल है। विद्यालय का वातावरण सुरक्षित, शान्तिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण हो तथा कक्षा स्वच्छ, हवादार एवं प्रकाशयुक्त और उसका माहौल सरल, रोचक तथा जिज्ञासापूर्ण हो। इस प्रकार के वातावरण में अधिगम की उन्नति होती है। इस सुविधाओं के अभाव में अधिगम की उन्नति होती है। इन सुविधाओं के अभाव में विद्यार्थी विद्यालय में अधिक समय नहीं व्यतीत कर सकते है जिससे उनकी उपलब्धि स्तर में गिरावट आती है (मिस्की एंड डॉउड, 1998)।
- गुणवत्तापूर्ण अधिगम के लिए विद्यार्थियों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का ठीक होना आवश्यक है जो बालक शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्वस्थ एवं पोषित होते है वे अधिगम में रूचि लेते है तथा शीघ्र सीख जाते है (मैक्केन एवं मस्टर्ड, 1999)।
- अधिगम गुणवत्ता के निर्धारण में बच्चों के परिवार तथा समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इनके सहयोग के बिना बच्चों की शिक्षा सम्भव नहीं है। परिवार के द्वारा बच्चों की अच्छी देखभाल उन्हें अच्छे शैक्षिक परिणाम दिलाते है। बच्चों के अभिभावकों की शिक्षा तथा आय का उनके

अधिगम उपलब्धि पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसके अभाव में बच्चे गुणवत्ता युक्त शिक्षा पाने से वंचित रह जाते है (विल्लम्स, 2000)।

- शिक्षा की गुणवत्ता में पाठ्यक्रम अधिगम को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम बाल केन्द्रित, समानता पर आधारित, त्रुटिरहित, गुणवत्ता के मानकों पर आधारित तथा कौशल का विकास करने वाला होना चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय एवं स्थानीय विशिष्टताएँ एवं मूल्य शामिल हो (यूनिसेफ 2000)। विषयवस्तु की प्रकृति, भाषा शैली, उदाहरण, विभिन्न विषयों के कठिनाई का स्तर, तथा अध्याय के क्रम के निर्धारण में सावधानी बरतने से अधिगम रूचिकर एवं स्थायी होगा (ग्लाथोर्न जैलल, 2000)।
- शिक्षा की गुणवत्ता के लिए यह आवश्यक है कि अधिगम की उपलब्धि का आकलन (मूल्यांकन) सतत एवं व्यापक माध्यमों के द्वारा हो। इससे बच्चों के अन्तर्निहित कौशलों का विकास होगा तथा उन्हें परीक्षाओं के तनावपूर्ण स्थिति से छुटकारा मिलेगा।

सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा

सरोजा (1999) द्वारा किया गया यह अध्ययन प्राथमिक स्त्रोतो पर आधारित है, जो गदग जिले के रोन तालुका कर्नाटक से सम्बन्धित है। लेखिका ने विद्याालय की बुनियादी संरचना का विश्लेषण किया तथा ऐसे अनेक कारण बताये जिसकी वजह से बालिकाओं में विद्यालय छोड़ने के दर में वृद्धि हुई है। उन्होने वैयक्तिक अध्ययन में ग्रामीण विद्यालयों मे लड़कियो के स्कूल छोड़ने के कारणों से सम्बन्धित शोध कार्य किया तथा कारणों को जानने के बाद सुझाव दिया कि गॉव में बालिकाओं के लिये पृथक विद्यालय, महिला

शिक्षकों की नियुक्ति, विद्यालय का शान्त एवं सुरक्षित वातावरण, शैक्षिक एवं खेलकूद की सामग्री उपलब्ध होनी चाहिये। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिये नीति निर्माताओं को ऐसे कदम उठाना चाहिये जिससे बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने की दर में कमी आयें।

सुधाकर, उमा मोहन एवं कुमारी सुगुना (1999) का यह अध्ययन बच्चों के नामांकन तथा विद्यालय छोड़ने की समस्या पर आधारित है। इसमें परिवार के सदस्यों के बच्चों के पढ़ाई में रूचि लेने तथा उनके आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले के सोमनपाली गा¡व का है। शोध अध्ययन से उपलब्ध परिणामों के अनुसार 56.6 प्रतिशत अभिभावक पढ़ाई में बच्चों का मार्गदर्शन करते है, तथा 43.3 प्रतिशत अभिभावक अपने बच्चो के शिक्षा में रूचि लेते है और उन्हे घर पर भी पढने का समय एवं सहयोग देते है। 54 प्रतिशत अभिभावक विद्यालय व्यवस्था में रूचि रखते है और इनमें से 50 प्रतिशत अभिभावकों नें माना कि गॉव में ग्रामीण शिक्षा समिति की आवश्यकता है जो विद्यालयों के कामकाज एवं रख–रखाव का ध्यान रखे। अधिकांश अभिभावक ने माना कि 3 साल विद्यालय में पढ़ने के बाद ही बच्चा साक्षर हो जाता है।

बनर्जी, रूकमिनी (2000)) द्वारा किया गया यह अध्ययन मुम्बई तथा दिल्ली के प्राथमिक विद्यालयों तथा गरीबी पर आधारित है। इसका अध्ययन प्राथमिक स्रोतो के द्वारा किया गया है। इस अध्ययन में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में आने वाली समस्याओं का अध्ययन किया गया है तथा निष्कर्ष में उन्होने बताया कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा नहीं मिलने की वजह परिवार की आय नहीं, बल्कि विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार है,

क्योकि सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत दयनीय है। इसलिये गा¡वों तथा शहरों में निजी विद्यालयों में बच्चों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है किन्तु सरकारी विद्यालय उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने में असफल रहे है कक्षा III तथा IV के उपलब्धि स्तर के बीच ज्यादा अन्तर नहीं होता है। उन्होने यह भी अनुभव किया कि बहुत से बच्चें जो बहुत वर्षो तक विद्यालय में बिताने के बाद भी पूर्ण साक्षर नहीं है।

अग्रवाल, यश (2000) का यह अध्ययन शिक्षा की गुणवत्ता पर आधारित है, इसमें भारत में शिक्षा की मात्रात्मक उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। यह अध्ययन प्राथमिक स्रोतो पर आधारित है, जिसमें दिल्ली के 169 सरकारी तथा निजी विद्यालयों को शामिल किया गया है। इसमें कक्षा 1 से 4 तक विद्यार्थियों को लिया गया है जिनका मौखिक तथा लिखित टेस्ट लिया गया। इस शोध के परिणाम से पता चलता है कि बच्चों की अधिगम क्षमता लगातार घट रही है। गणित तथा भाषा में यह अन्तराल बहुत अधिक है। हिन्दी माध्यम के विद्यालयों में भाषा में 56.5 प्रतिशत जबकि गणित में 40.46 प्रतिशत बच्चे ही उत्तीर्ण हुये।

राजाराम (2000) का यह अध्ययन भारत में शिक्षा का स्तर, विद्यालयों में उपस्तिथि और नियमित विद्यालय आने के विश्लेषण से सम्बंधित है। प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि एक–तिहाई भारतीय परिवारों में से किसी ने भी ग्रेड 1 की शिक्षा प्राप्त नहीं की है। आधा भारतीय परिवारों में किसी महिला ने औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की है। उच्चतम ग्रेड वाले स्थानों का विश्लेषण करे तो ज्ञात होता है कि पुरुषों में उच्चतम ग्रेड दिल्ली का तथा महिलाओं में केरल का है। बच्चों की शिक्षा पर माता–पिता की

शिक्षा का बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चों की उपस्थिति एवं नियमित विद्यालय आने पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। देश के सभी वर्गों के लिए औपचारिक शिक्षा का बहुत महत्व है, विशेषकर पिछड़े वर्गों के लिए यह अति आवश्यक है जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके ।

रेड्डी (2001) द्वारा किया गया अध्ययन मणिपुर के दो जिलो के उपलब्ध प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है। यह प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विश्लेषण से सम्बन्धित है। इस अध्ययन से पता चलता है कि जिले के अधिकांश विद्यालय (200 में से) तीन किलोमीटर या उससे भी अधिक दूरी पर स्थित है। प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर कुछ प्रमुख सुझााव दिये गये है, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति, प्रोत्साहन,समुदाय की सहभागिता, कक्षा–कक्ष का निर्माण, अधिगम युक्त वातावरण की व्यवस्था करना शामिल है।

अधिकारी, तेजस्विनी (2001) द्वारा किया गया यह अध्ययन शिक्षा के गुणवत्ता से संबंधित है, इन्होंने वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा में मिल रहे सेवाए, छात्रों एवं शिक्षकों के प्रमुख आवश्यकता के बीच अंतर का अध्ययन किया है। यह अध्ययन एम.पी. के 5 विद्यालयों के प्राथमिक सर्वे पर आधारित है । अध्ययन में यह पाया गया कि विद्यालय के बुनियादी सुविधाएं अच्छी नहीं है। यहां कक्षा–कक्ष, शिक्षक एवं फर्नीचर पर्याप्त मात्रा में नहीं है । 420 विद्यार्थियों के लिए केवल तीन ही कक्षा–कक्ष तथा दो शिक्षक ही पूरे विद्यालय की व्यवस्था को संभाल रहे थे। यहां शौचालय एवं पेयजल की स्थिति अच्छी नहीं थी। अर्थात विद्यालय की स्थिति बहुत ही खराब थी । इस अध्ययन में उन्होंने यह सुझाव दिया कि शिक्षकों को छात्रों के व्यवहारों को समझकर उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया को

रचनात्मक बनाना चाहिए। विद्यालय में समुदाय की सहभागिता होनी चाहिए तथा कार्य कर रहे लोगों को प्रशिक्षण की जरूरत है ताकि शिक्षकों का बोझ कम हो सके ।

यद्दपनवर (2002) ने अपने अध्ययन में प्राथमिक विद्यालयों की प्राभावित करने वाले मुख्य बिन्दुओं का विश्लेषण किया है। यह अध्ययन कर्नाटक के रायचूर जनपद के प्राथमिक विद्यालयों पर आधारित है, इसमें शिक्षा के निम्न स्तर तथा बच्चों के विद्यालय छोड़ने के कारणों को जानने का प्रयास किया गया है। इसमें प्रमुख कारणों में गरीब परिवारो के बच्चें अभिभावकों के साथ मजदूरी करते है तथा लड़कियो की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता है। अभिभावकों की आर्थिक स्थिति तथा उनका बच्चों की शिक्षा में रूचि न लेना, विद्यालयेां में बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, स्वच्छ पीने का पानी, खेल के मैदान का अभाव आदि बच्चों के विद्यालय छोड़ने के लिये विवश करते है।

सिंह, जोशी और गरिया (2003) के अनुसार प्राथमिक शिक्षा वह स्तम्भ है जिस पर उच्च शिक्षा की इमारत खड़ी है। यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के आगरा और फैजाबाद जनपद के प्राथमिक विद्यालयों पर आधारित है। जिसका आधार प्राथमिक स्रोत है। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर विद्यालय में नामांकन दर, आधारभूत ढ़ॉचा तथा शिक्षकों की कमी अधिगम क्षमता को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। अतः परिषदीय विद्यालयों की स्थिति को सुधारने के लिये शिक्षकों का प्रशिक्षण, रिक्त पदों पर नियुक्ति, अच्छा वेतन तथा शैक्षिक संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

अमैधी, देवराज (2005) का यह शोध अध्ययन कर्नाटक के चाम राजानगर जिले के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की शिक्षा के गुणवत्ता पर आधारित है।

अध्ययन से पता चलता है कि इस जिले में साक्षरता दर बहुत कम है। यहॉ के अधिकांश आबादी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की है। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो से ज्ञात होता है कि प्राथमिक शिक्षक के स्तर में ज्ञात सुधार के लिये सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये है तथा यह प्रयास किया गया है कि विभिन्न समुदायों को प्राथमिक शिक्षा से कैसे जोड़ा जायें। इस अध्ययन में मंदबुद्धि बच्चों का पता लगाने के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के बात की गयी है।

मेहता, अरुण (2006) का यह शोध अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है । लेखक ने देश के 581 जिलों के प्राथमिक शिक्षा के 2005 के रिपोर्ट की समीक्षा प्रस्तुत की है। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से यह ज्ञात होता है कि प्राथमिक विद्यालयों के अधिकांश शिक्षकों की आयु 26 से 45 वर्ष के आयु वर्ग की है, जिसमें 52 प्रतिशत पुरुष तथा 48 प्रतिशत महिलाएं है। शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता स्नातक या उससे अधिक है वर्ष 2007 में 379000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जिसकी संख्या प्राथमिक विद्यालय में लगभग 65 प्रतिशत है। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की जरूरत है ताकि ना जा सके तथा विद्यालयों में छात्रों को रोका जा सके ।

प्रथम, नई दिल्ली (2006) का यह लेख शिक्षा के वार्षिक स्थिति से सम्बंधित है। इसके अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षा का स्तर ,बच्चों का नामांकन ,विद्यालय छोड़ने की प्रवृति ,लैंगिक अंतर ,तथा विद्यालय की व्यवस्था का अध्ययन किया। यह रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर का विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों से पता चलता है, कि देश के प्रत्येक राज्यों में प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन दर में वृद्धि हुई है, परन्तु सामान्य भाषा समझ और

गणितीय क्षमता बहुत कमजोर है। जिसमें सुधार अति आवश्यक है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के सामान्य अधिगम पर जोड़ देना पड़ेगा।

शर्मा, सुरेश (2009) ने अपने अध्ययन में साक्षरता और विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति विषय को शामिल किया है। उनके अनुसार 'ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड' और सर्व शिक्षा अभियान में साक्षरता दर और बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिये अनेक महत्वपूर्ण कदम उठायें गये है। इन कार्यक्रमों में विशेष रूप से नामांकन, विद्यालय की बुनियादी सुविधायें, एवं सामाजिक एवं लैगिंक अन्तराल को कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। बच्चों के परिवार की आर्थिक स्थिति तथा शिक्षा पर होने वाले व्यय को शामिल किया गया है। विद्यालय छोड़ने के मुख्य कारणों में लड़कों के लिये शिक्षा पर अधिक व्यय होना तथा लड़कियों के लिये घरेलू कार्य है। अध्ययन में पाया गया है कि 10 प्रतिशत लड़कों को अपना पारिवारिक व्यवसाय सम्भालना पड़ता है और 15 प्रतिशत लड़कियों को घरेलू कार्य करने पड़ते है।

किंगडम (2015) ने अपने अध्ययन में भारत के प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता के विश्लेषण को शामिल किया है। यह अध्ययन द्वितीयक आंकड़ो पर आधारित है। इसमें विद्यालय के नामांकन दर, उपस्थिति दर, शिक्षा की गुणवत्ता, साक्षरता दर, अधिगम उपलब्धि, विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं को शामिल किया गया है। इसमें नीजि विद्यालयों की स्थिति का भी अध्ययन किया गया है। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो में बताया गया है कि विगत दशकों में भारत में साक्षरता एवं नामांकन दर में वृद्धि हुई है लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में उपस्थिति बहुत कम है। इसमें मुख्य उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बच्चों की उपस्थिति दर कम है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में

अधिगम गुणवत्ता बहुत ही कम है जिसका प्रमुख कारण विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओ का अभाव है। भारत में नीजि विद्यालयों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है जिसमें अधिकांश असंगठित रूप से चलाये जा रहे हैं।

वनिथा (2016)) द्वारा किया गया यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित हैं इसमे भारत के प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता का विश्लेषण किया गया है। इसमें मुख्य रूप से विद्यार्थियों के पढ़ने, लिखने तथा गणित क्षमता का परीक्षण किया गया है, जिसका आधार असर रिपोर्ट (2007) तथा इण्डियन लेबर रिपोर्ट (2007) है। अध्ययन के निष्कर्षो से ज्ञात होता है कि प्राथमिक विद्यालय के 18.6 प्रतिशत बच्चे अंक को नही पहचानते तथा 70 प्रतिशत बच्चें जोड़, घटाना एवं भाग नहीं कर पाते है। इसमें निम्न अधिगम गुणवत्ता के कारण भी बतायें गये है, जिसमें उच्च छात्र–शिक्षक अनुपात, शिक्षण सामग्री, विद्यालय की बुनियादी सुविधाएं तथा बच्चों की अनुपस्थिति को मुख्य रूप से जिम्मेदार कारण माना गया है।

शोध अन्तराल

उपरोक्त साहित्य की समीक्षा से स्पष्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान तथा बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता से सम्बन्धित बहुत ही सीमित शोध साहित्य उपलब्ध है। शोधकर्ताओं, सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन द्वारा किये गये शोध अध्ययनों में बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता पर सूक्ष्मस्तरीय विशेष शोध कार्यों की उपलब्धता कम है। अतः प्रस्तुत शोध सर्व शिक्षा अभियान तथा बालिकाओं में अधिगम गुणवत्ता उपलब्ध शोध अन्तराल को पूरा करने में सहायक होगा।

अध्ययन की समस्या

सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा बालिकाओं के नामांकन दर में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, परन्तु उनमें अधिगम गुणवत्ता की स्थिति बहुत ही दयनीय है। विश्व बैंक के अनुसाार ''भारत में शिक्षा की निम्न गुणवत्ता कमजोर अधिगम के रूप में देखी जा सकती है।'' यहां 5वीं कक्षा के आधे बच्चे ही तीसरी कक्षा के स्तर की किताब अच्छे से पढ़ सकते है तथा सरल गणित के सवाल हल कर सकते है। समान्यतः भारत में प्राथमिक स्तर पर नामांकन की दर अधिक है लेकिन अनेक शोध अध्ययनों में यह पाया गया है कि विद्यालय के अचानक निरीक्षण के समय अधिकांश विद्यार्थी (लगभग 60 प्रतिशत) अनुपस्थित पाये गये। यह समस्या मुख्यतः सभी पिछड़े राज्यो में देखी गयी है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी एक है। इस कार्यक्रम के द्वारा पिछले वर्षों में शिक्षकों की नियुक्ति में वृद्धि हुई है परन्तु वर्तमान में कई विद्यालय ऐसे है जहां छात्र–शिक्षक अनुपात अधिक है। कुछ विद्यालय एक शिक्षक के द्वारा चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा 50 प्रतिशत महिला शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है परन्तु उत्तर प्रदेश में अभी भी 77.9 प्रतिशत विद्यालयों में ही महिला शिक्षक उपलब्ध हैं।

विद्यालय में शैक्षणिक बुनियादी सुविधायें जैसे–ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय का आभाव, विद्यालय भवन की कमी, महिला शिक्षकों की कमी, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, स्वच्छ पेयजल, यातायात सुविधाओं का अभाव आदि भी बालिकाओं की शिक्षा के स्तर को प्रभावित करते है। ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के लिये पृथक विद्यालय की कमी आज भी उनके शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। बालिकाओं के परिवार की कमजोर आर्थिक

एवं शैक्षणिक स्थिति भी अधिगम गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अभिभावक बालिकाओं के शिक्षा पर धन व्यय नहीं करना चाहते है, क्योंकि उन्हें उनकी शिक्षा का कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता है।

अतः इन समस्याओं का अध्ययन करना आवश्यक है। जिससे यह ज्ञात हो सके कि निम्न अधिगम गुणवत्ता के क्या कारण है ? तथा यह अधिगम गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करता है ?

शोध अध्ययन के उद्देश्य

1. सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का मूल्यांकन करना।
2. परिषदीय विद्यालयों के बालिकाओं के अभिभावकों की सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना।
3. परिषदीय विद्यालयों की बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करना।

अध्ययन पद्धति

शोध अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध 'सर्व शिक्षा अभियान तथा बालिकाओं में अधिगम गुणवत्ता' पर आधारित है। इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद के सरेनी ब्लाक को चुना गया है । सरेनी ब्लाक के आठ परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा पाँच के 130 बालिकाओं का चयन किया गया है। प्रत्येक विद्यालय के समस्त बालिकाओं का चयन किया गया है। इसके अलावा परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय प्रबंध समिति, ग्राम प्रधान तथा समस्त बालिकाओं के अभिभावकों का चयन किया गया है।

शोध अध्ययन की प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन 'सर्व शिक्षा अभियान तथा बालिकाओं में अधिगम गुणवत्ता : रायबरेली जनपद के सरेनी ब्लाक के परिषदीय विद्यालयों का समाजशास्त्रीय अध्ययन' की प्रकृति गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों प्रकार की है। गुणात्मक विधि में गहन साक्षात्कार, केन्द्रित समूह चर्चा, के प्रश्नों को शामिल किया गया है तथा परिमाणात्मक विधि में कलोज्ड इण्डेड प्रश्नों को शामिल किया गया है । प्रस्तुत शोध में आकड़ों का संकलन वैयक्तिक, पारिवारिक तथा विद्यालय के स्तर पर किया गया है।

शोध प्रारूप

प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्णनात्मक तथा अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप का प्रयोग किया गया है। इस प्रारूप में शोध विषय के सम्बन्ध में वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसके अन्तर्गत उद्देश्यों का निरूपण, तथ्य संकलन, परिणामों का विश्लेषण तथा अंतिम स्तर पर प्रस्तुतीकरण किया गया है ।

तथ्य संकलन के स्रोत

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोत के रूप में अध्ययन क्षेत्र से चयनित उत्तरदाताओं से शोध विषय से सम्बन्धित सूचना प्राप्त कर संकलित सूचनाओं का विश्लेषण किया गया है। द्वितीयक स्रोतों के रूप में सरकारी/गैर सरकारी संस्थानो के प्रतिवेदनों (जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, NUEPA,नई दिल्ली, गैर सरकारी संस्था प्रथम, नई दिल्ली, द्वारा जारी असर रिपोर्ट तथा विश्व बैंक की रिपोर्ट, UNICEF की रिपोर्ट) सर्वेक्षण

के आकड़े, शोध प्रतिवेदन, शोध पत्र, शोध आलेख, इण्टरनेट से प्राप्त सामग्री तथा शोध विषय से सम्बन्धित अन्य सामग्री का प्रयोग किया गया है ।

अध्ययन का निदर्शन

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु दैव निदर्शन तथा उद्देश्यपूर्ण निदर्शन को शामिल किया गया है। दैव निदर्शन तथा उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के द्वारा सरेनी ब्लाक के आठ परिषदीय विद्यालयों तथा शोध अध्ययन से सम्बन्धित उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।

अध्ययन की इकाई / उत्तरदाताओं का चयन

प्रस्तुत शोध अध्ययन के क्षेत्र के रूप में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद का चुनाव किया गया है क्योंकि रायबरेली विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए जनपद में आता है, अर्थात यह आर्थिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा जनपद है। रायबरेली जनपद की साक्षरता दर (67.25 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर से कम है। शोधार्थी द्वारा रायबरेली जनपद के समस्त ब्लाको में से सरेनी ब्लाक को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है क्योंकि यहां प्रति विद्यालय बालिकाओं का नामांकन दर 36.30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियो का नामांकन दर 32.43 प्रतिशत (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय 2017) । जो अन्य ब्लाकों की तुलना में सबसे कम हैं। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के माध्यम से सरेनी ब्लाक के आठ विद्यालयों का चयन किया गया है तथा प्रत्येक विद्यालय की समस्त बालिकाओं का चयन किया गया है। अध्ययन के उद्‌देश्य को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाताओं को वैयक्तिक, पारिवारिक तथा समुदायिक स्तर पर विभाजित किया गया है। इसके अंतर्गत बालिकाओ की अधिगम गुणवत्ता के स्तर का परीक्षण उनके

भाषा तथा गणितीय ज्ञान के समझ के आधार पर किया गया है तथा अभिभावक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों से साक्षात्कार किया गया है ।

तालिका संख्या 1.2 : अध्ययन की इकाई का विवरण

अध्ययन की इकाई	प्रति विद्यालय चयनित प्रतिदर्श की संख्या	कुल प्रतिदर्श की संख्या
बालिका	समस्त	130
अभिभावक	समस्त	130
प्रधानाध्यापक	1	8
अध्यापक	समस्त	समस्त
विद्यालय प्रबंध समिति	समस्त	समस्त
ग्राम प्रधान	1	8

तथ्य संकलन के उपकरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक तथ्यों, आकड़ों एवं सूचनाओं के संकलन हेतु सर्वेक्षण तथा अवलोकन विधियों का प्रयोग किया गया है। इसमें आंकड़ों का संकलन हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है ।

संकलित आकड़ों का सम्पादन, वर्गीकरण व सरणीयन

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचना को संकलित कर सम्पादन प्रक्रिया के माध्यम से यह ज्ञात किया गया है, कि समस्त सूचना संकलित कर ली गयी है। संकलित एवं सम्पादित सूचना का वर्गीकरण करके

इन्हें सूचीबद्ध एवं श्रेणीबद्ध किया गया है। समस्त संकलित सूचना का वर्गीकरण एवं तालिकाबद्ध करने के पश्चात इनका विश्लेषण सांख्यिकी या तार्किक आधार पर किया गया है। आकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर विवरणात्मक रूप से प्रतिवेदन आलेख तथा अध्ययन की प्राप्तियों के आधार पर उपयोगी सुझावों को भी प्रस्तुत किया गया है ।

अध्याय योजना

1. प्रस्तावना
2. सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम
3. सरेनी ब्लाक के प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी सुविधाएं तथा शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता
4. परिषदीय विद्यालयों के बालिकाओं के अभिभावकों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति तथा बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता
5. निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय–2

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम

शिक्षित होना प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, परन्तु यह तभी सम्भव है जब इसकी पहुँच समाज के सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति तक सम्भव हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने सर्व शिक्षा कार्यक्रम की शुरूआत की, जिसके माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान देश भर में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए राज्य सरकारों की भागीदारी से संचालित और केन्द्र द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसकी शुरूआत एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत नवम्बर 2000 में किया गया तथा यह जनवरी 2001 से देश के सभी राज्यों में लागू हो गया। इस कार्यक्रम में पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं) के बच्चों तथा ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, अतः इसका मुख्य लक्ष्य विविध रणनीतियों के माध्यम से विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का है। इसके अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर 6–11 वर्ष के आयु वर्ग तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 11–14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को उपयोगी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है (मानव संशाधन विकास मंत्रालय, 1999)।

सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं

- सर्व शिक्षा अभियान देश भर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग को ध्यान में रखकर बनाया गया कार्यक्रम है।
- सर्व शिक्षा अभियान सार्वभौमिक शिक्षा के लिए एक निर्धारित समय सीमा के लिए चलाया गया कार्यक्रम है।

- यह बुनियादी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय के बढ़ावा देने का एक अवसर प्रदान करता है।
- सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र राज्य और स्थानीय सरकार के बीच एक साझेदारी है।
- यह कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के अपने स्वयं के विचारों को विकसित करने के लिए राज्यों के लिए अवसर प्रदान करता है।
- सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन में पंचायती राज्य संस्थाओं, विद्यालय प्रबंधन समितियों, गांव और शहरी झुग्गी स्तरीय शिक्षा समितियों, अभिभावक, शिक्षक संघों, आदिवासी स्वायत परिषदों और अन्य जमीनी स्तर की संरचनाओं से जुड़े प्रभावी प्रयास।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत देश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां इनकी संख्या अधिक है, वहां पर्याप्त संख्या में विद्यालय खोले जा रहे हैं। इन वर्गों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यह कार्यक्रम उन बस्तियों तथा दुगर्म क्षेत्रों में विद्यालय खोलने पर अधिक जोर देता है, जहां विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों के वंचित बच्चों आपदा के कारण विस्थापित हुए परिवारों के बच्चों, मलिन बस्तियों के बच्चों की शिक्षा का भी ध्यान रखा गया है। इसके अन्तर्गत मुस्लिम तथा अन्य अल्पसंख्यक बहुल राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मदरसो में दी जाने वाली शिक्षा को भी सर्व शिक्षा अभियान में शामिल किया गया है तथा इस समुदाय की लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

शारीरिक रूप से असमर्थ बच्चों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार विद्यालय भवनों एवं शिक्षण की व्यवस्था पर बल दिया जा रहा है। जिससे उन्हें अर्थपूर्ण एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त हो।

ऐसे बच्चों की पहचान के लिए सभी राज्यों में गृह सर्वेक्षण और विशेष सर्वेक्षण करवाए गये है। 2015–16 में विशेष आवश्यकता वाले 27.79 लाख बच्चों की पहचान की गयी है। इनमें से 20.03 लाख बच्चे विद्यालयों में दाखिल है। ऐसे बच्चों के लिए विद्यालयों को अवरोधक मुक्त बनाना इस कार्यक्रम की संरचना में शामिल है तथा बच्चों के लिए चिकित्सा जांच, शैक्षिक सामग्री की सहायता, शिक्षको का प्रशिक्षण, अभिभावको को नियमित दिशा–निर्देश एवं काउसलिंग की व्यवस्था की गयी है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी बच्चों के शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षको का प्रशिक्षण, कम्प्यूटर सहायक अध्ययन पद्धति को अपनाने पर बल दिया जा रहा है। बच्चों के अधिगम स्तर पर जांच के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाया गया है जिससे मूल्यांकन बच्चों के लिए अवरोधक एवं तनावपूर्ण न हो। इस कार्यक्रम में समुदाय आधारित कार्यन्वयन और विद्यालयों का स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर विकेन्द्रीकरण और विचार विमर्श पर बल दिया गया है। विद्यालय के प्रबन्ध में विद्यालय प्रबन्ध समिति की मुख्य भूमिका है। विभिन्न राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने आवश्यकतानुसार आदर्श रूप में इस कार्यक्रम को लागू करे ताकि बच्चें और अभिभावक विद्यालय प्रणाली को उपयोगी महसूस कर सके और उसे अपने स्वाभाविक और सामाजिक वातावरण के अनुसार अपना सके।

भारत में सर्व शिक्षा अभियान का प्रभाव

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्यता के साथ–साथ उपयोगी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। सर्व शिक्षा अभियान अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है। इसका प्रभाव प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लक्ष्य पर विशेष रूप से देखा जा सकता है। यह केन्द्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। जिसका प्रभाव देश के सभी राज्यों में दिखायी देता है। सर्व शिक्षा अभियान के प्रारम्भ से लेकर अब तक प्राथमिक शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश के सभी राज्यों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हो रही है तथा नये विद्यालय भवनों तथा कक्षा–कक्ष का निर्माण भी जारी है। सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप अब घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर के दायरे में रह गयी है। इस कार्यक्रम का लाभ उन बच्चों को विशेष रूप से मिला है जो विद्यालय नहीं जाते है या फिर गरीबी के कारण जिनकी पढ़ाई के बीच मे छूट जाती है।

सर्व अभियान का लक्ष्य सन् 2007 तक सभी बालक–बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध कराना है। सामाजिक तथा लैंगिक भेदभाव को दूर कर सभी को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना है। बेहतर शिक्षा के अलावा कम्प्यूटरयुक्त शिक्षा के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का नतीजा कई राज्यों में दिखने भी लगा है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे कई प्रान्तों में लड़कियां उन सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही है, जहां पहले पुरूषों का दबदबा था। छत्तीसगढ़ में महिलाएं स्वयं सहायता समूह चलाकर

स्वावलंबी बन रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों की शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान के कारण शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। अब अधिकाधिक लोग अपने बच्चों को विद्यालय भेज रहे है तथा बीच में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आयी है। बच्चों के नामांकन में दिन–प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, लेकिन इसी के साथ–साथ शिक्षा के गुणवत्ता में कमी भी आयी है। विद्यार्थी के सीखने के स्तर में गिरावट देखी गयी है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत उन 12 देशों की सूची में दूसरे नंबर है जहां दूसरी कक्षा के छात्र एक छोटे से पाठ का एक भी शब्द नहीं पढ़ पाते। अनेक कोशिशों के बाद भी अभी भी दूर–दराज के क्षेत्रों तथा आदि बहुत क्षेत्रों में लोग शिक्षा की मुख्य धारा से कम ही जुड़ पाते है, यहां कार्यक्रम का संचालन भी समुचित ढंग से नहीं किया जाता है जिससे लोग शिक्षा के प्रति उदासीन है।

भारत में नामांकन की स्थिति

तालिका संख्या 2.1 : भारत में नामांकन की स्थिति

क्रम संख्या	नामांकन	2005–06	2015–16
1	प्राथमिक विद्यालय में नामांकन	124615546	129122784
2	बालिका नामांकन (प्रतिशत में)	47.8	48.2
3	अनुसूचित जाति नामांकन (कक्षा 1–8) (प्रतिशत में)	18.6	19.8
4	अनुसूचित जनजाति नामांकन (कक्षा 1–8) (प्रतिशत में)	9.0	10.4
5	अन्य पिछड़ा वर्ग नामांकन (प्रतिशत में)	41.7	45.1
6	अल्पसंख्यक नामांकन (प्रतिशत में)	9.4	14.4

स्रोत–भारत में प्रारम्भिक शिक्षा की प्रवृत्ति–2017,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

तालिका संख्या 2.1 से स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालय में सकल नामांकन बढ़ा है। वर्ष 2005–06 में नामांकन 12,46,15,546 था जो 2015–16 में बढ़कर 12,91,22784 हो गया है। प्राथमिक विद्यालय में बालिका नामांकन वर्ष 2005–06 में 47.8 प्रतिशत से बढ़कर 48.2 प्रतिशत हो गया है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नामांकन में बढ़ोत्तरी देखने को मिली। वर्ष 2005–06 में अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन (कक्षा 1 से 8 तक) 18.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 19.8 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन (कक्षा 1 से 8) वर्ष

2005–06 में 9.0 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2015–16 में 10.4 प्रतिशत हो गया है। प्राथमिक विद्यालय में अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों का नामांकन वर्ष 2005–06 में 41.7 प्रतिशत था जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर 45.1 प्रतिशत हो गया। प्राथमिक विद्यालय के मुस्लिम बच्चों का नामांकन वर्ष 2005– 06 में 9.4 था जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर 14.4 प्रतिशत हो गया।

सर्व शिक्षा अभियान तथा विद्यालय में सुविधाएं संकेतक

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत में विद्यालय के बुनियादी सुविधाओं में बहुत सुधार हुआ है। इसके अंतर्गत विद्यालयों में विद्यालय भवन, स्वच्छ पेयजल, बालक–बालिका के लिए अलग–अलग शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय, विद्यालय की चाहरदीवारी, खेलकूद की सामग्री आदि सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे विद्यालय का वातावरण शिक्षण के अनुरूप बनाया जा सके।

तालिका संख्या 2.2 : भारत में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय में सुविधा संकेतक

क्र.सं.	विद्यालय में सुविधा संकेतक	वर्ष	
		2005–06	2015–16
1.	सुविधा संकेतक	39	27
2.	पेयजल की सुविधा (प्रतिशत में)	83.1	96.8
3.	बालक शौचालय (प्रतिशत में)	–	97.1
4.	बालिका शौचालय (प्रतिशत में)	37.4	97.6

स्रोत–भारत में प्रारम्भिक शिक्षा की प्रवृत्ति–2017,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

तालिका संख्या 2.2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2005–06 में भारत में छात्र–कक्षा अनुपात जो 39 था उसमें लगातार सुधार हो रहा है, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत नये अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण लगातार किया जा रहा है। इसलिए 2015–16 में कक्षा–छात्र अनुपात 27 हो गया है। वर्ष 2005–06 में जहां पेयजल की सुविधा 83 प्रतिशत विद्यालयों में थी उसमें सुधार हुआ और 2015–16 में लगभग 97 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था हो गयी। बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए बालिका शौचालय होना अति आवश्यक था क्योंकि कई सर्वे में इन बात का उल्लेख किया गया था कि विद्यालय में शौचालय न होने की वजह से बालिकाओं के अभिभावक उनको विद्यालय नहीं भेजते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बालिकाओं को प्राथमिक विद्यालय नहीं भेजते है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बालिकाओं की प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण वर्ष 2005–06 में 37 प्रतिशत से बढ़कर 2015–16 तक लगभग 97 प्रतिशत हो गया।

सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षकों का विवरण

तालिका संख्या 2.3 : भारत में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों का विवरण

क्र.सं.	प्रा0वि0 में शिक्षकों का विवरण	वर्ष	
		2005– 06	2015– 16
1.	कुल शिक्षक (अंकों में)	4,69,0176	80,76,756
2.	सरकारी शिक्षक (प्रतिशत में)	69.3	57.9
3.	महिला शिक्षक (प्रतिशत में)	40.3	48

स्रोत– भारत में प्रारम्भिक शिक्षा की प्रवृत्ति–2017,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

तालिका संख्या 2.3 से यह स्पष्ट हो रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2005–06 में लगभग 46 लाख शिक्षक थे जो 2015–16 में बढ़कर 80 लाख हो गये। अगर बात की जाये सरकारी शिक्षकों की तो तालिका से स्पष्ट है कि लगभग 69 प्रतिशत सरकारी शिक्षक थे जो घटकर लगभग 58 प्रतिशत हो गये है जो दिखता है कि शिक्षा का विकास हो रहा है क्योंकि निजी क्षेत्र भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। एक लक्ष्य था कि प्राथमिक शिक्षा में महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ाकर लगभग 50 प्रतिशत तक करना जो संख्या लगभग पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। वर्ष 2005–06 में प्राथमिक विद्यालयों में 40.3 प्रतिशत महिला शिक्षक थी जो 2015–16 में 48 प्रतिशत हो गया है।

सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा की प्रवृत्ति

तालिका संख्या 2.4 : भारत में प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा की प्रवृत्ति

क्र.सं.	प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा की प्रवृत्ति	वर्ष	
		2006– 07	2015– 16
1.	कुल विद्यालय (अंकों में)	11,96,663	14,490,78
2.	सरकारी प्राथमिक विद्यालय (अंकों में)	9,66,903	10,76,994
4.	एकल शिक्षक विद्यालय (प्रतिशत में)	10.5	6.2
5.	विद्यालय जहां छात्र नामांकन 50(प्रतिशत में)	25.0	33.5
6.	विद्यालय जहां महिला शिक्षक (प्रतिशत में)	71.7	74.9

स्रोत–भारत में प्रारम्भिक शिक्षा की प्रवृत्ति–2017,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य था कि सभी बच्चों तक शिक्षा पहुँचना जिसके लिए जरूरी था कि एक किमी. की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय खोले जाये ताकि सभी बच्चें (6–14 वर्ष तक) निःशुल्क शिक्षा ले सके और प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ायी जाये। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुल विद्यालयों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है साथ ही महिला शिक्षकों की संख्या में भी प्रगति देखने को मिली है। तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2005–06 में जहां 11 लाख प्राथमिक विद्यालय थे अब उनकी संख्या 2015–16 में बढ़कर 14 लाख हो गयी है। सरकारी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की संख्या लगभग 9 लाख 66 हजार से बढ़कर लगभग 10 लाख, 76 हजार हो गयी है।

तालिका संख्या 2.4 से स्पष्ट है कि जहा नामांकन 15 छात्र से अधिक था उन प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 2006–07 में लगभग 10 प्रतिशत थी जिनकी संख्या 2015–16 में लगभग 6 प्रतिशत रह गयी है। प्राथमिक विद्यालय जहाँ नामांकन 50 छात्र से कम थी उन विद्यालयों की संख्या वर्ष 2006–07 में लगभग 25 प्रतिशत थी जबकि 2015–16 में इसमें सुधार हुआ और इसकी संख्या लगभग 33 प्रतिशत हो गयी। भारत में प्राथमिक विद्यालय जहां महिलायें शिक्षक है। उनकी संख्या 2006–07 में लगभग 71 प्रतिशत थी जो बढ़कर 2015–16 में लगभग 75 प्रतिशत हो गयी।

उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को एक निर्धारित समय अविध में प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2001–2002 में

16 जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान संचालित किया गया। ये जनपद कानपुर नगर, लखनऊ, इलाहाबाद, कौशाम्बी, सीतापुर, गोरखपुर, बाँदा, चित्रकूट, इटावा, औरैया, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर, वाराणसी, चन्दौली तथा भदोही हैं। वर्ष 2002–2003 से सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है। व्यापक रूप से सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य शिक्षा को स्थायी विकास के लिए प्रदेश, जनपद और उप जनपद स्तर पर प्रबन्धकीय और व्यवसायिक क्षमता का निर्माण करना। 6–14 वर्ष के आयु सभी बालक–बालिकाओं को सार्थक व लाभदायक शिक्षा प्रदान करना, ड्राप आउट दर को कम करने के साथ ही प्राथमिक शिक्षा की पहुँच में सुधार करना तथा विद्यालयों के प्रबन्ध समुदाय की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक क्षेत्रीय तथा लिंग अन्तर को समाप्त करना है।

सर्व शिक्षा अभियान का संचालन प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश 'शिक्षा परियोजना परिषद' तथा जिला स्तर पर 'जिला शिक्षा परियोजना समिति' करती है। वित्तीय अनुपात नौवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र 85 प्रतिशत तथा राज्य 15 प्रतिशत था जबकि 2014–15 में 65 प्रतिशत केन्द्र तथा 35 प्रतिशत राज्य का है। यह धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा 2001– 2002 में 76.63 करोड़ तथा राज्य सरकार द्वारा 13.52 करोड़ था जो 2014–15 में बढ़कर केन्द्र सरकार के 4498.68 करोड़ तथा 2067.88 करोड़ राज्य की हिस्सेदारी है।

पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में तेजी से प्रगति देखने को मिल है। 2011 के जनगणना क अनुसार, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर लगभग 70.1 है, जिसमें पुरूष साक्षरता दर लगभग 80 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर लगभग 60 प्रतिशत है। इस प्रगति में सर्व शिक्षा

अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 351 मिलियन बच्चे विद्यालय जा रहे हैं यह कुल बच्चों का लगभ 93 प्रतिशत है। अतः नामांकन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। लेकिन इसके साथ ही गुणवत्ता का स्तर सरकारी विद्यालयों में कम हुआ है।

तालिका संख्या 2.5 : उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति

क्र.सं.	विद्यालय की स्थिति	वर्ष		
		2002– 03	2009– 10	2015–16
1.	कुल विद्यालय	99778	1,32,297	1,55,756
2.	सरकारी विद्यालय	88,844	1,05,278	1,13,947
3.	निजी विद्यालय	10, 934	27019	39,363

स्रोत –यू–डीआईएसई,2002–03, 2009–10 तथा 2015–16,भारत में प्राथमिक शिक्षाः राज्य की रिपोर्ट कार्ड,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

तालिका संख्या 2.5 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हुयी है। वर्ष 2002–03 में कुल विद्यालयों की संख्या लगभग 99 हजार थी जो 2009–10 में लगभग 1 लाख 32 हजार तथा वर्ष 2015–16 में लगभग 1 लाख 55 हजार पहुँय गयी। सरकारी विद्यालयों की संख्या वर्ष 2002–03 में लगभग 88 हजार तथा निजी विद्यालयों की संख्या लगभग 10 हजार थी जो 2015–16 में बढ़कर 1 लाख हो गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालयों की संख्या प्रदेश में लगातार बढ़ी है।

तालिका संख्या 2.6 : उत्तर प्रदेश में कुल शिक्षक, छात्र–शिक्षक अनुपात तथा छात्र–कक्षा अनुपात

क्र. सं.	छात्र–शिक्षक(अनुपात)	2002–03	2009–10	2015–16
1.	कुल शिक्षक (सरकारी)	2,22,90	3,65,933	3,54,874
2.	छात्र–शिक्षक (अनुपात)	67.0	46.0	39
3.	छात्र–कक्षा (अनुपात)	64.0	39.0	29.0

स्रोत –यू–डीआईएसई, 2002–03, 2009–10 तथा 2015–16,भारत में प्राथमिक शिक्षाः राज्य की रिपोर्ट कार्ड,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

उपरोक्त तालिका संख्या 2.6 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की संख्या लागातार बढ़ी है। वही प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या लगातार बढ़ी है। वर्ष 2002–03 में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या लगभग 02 लाख 22 हजार थी जो 2015–16 में बढ़कर लगभग 3 लाख 54 हजार पहुँच गयी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के तहत छात्र–शिक्षक अनुपात प्राथमिक विद्यालय में 35 होना चाहिये। तालिका से स्पष्ट है कि छात्र–शिक्षक अनुपात में लगातार सुधार हुआ है। वर्ष 2002–03 में छात्र–शिक्षक अनुपात 67 से घटकर वर्ष 2015–16 में 39 हो गया है। छात्र–कक्षा अनुपात जो वर्ष 2002–03 में 64 था वह 2015–16 में 29 हो गया है।

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन की स्थिति

तालिका संख्या 2.7 : उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन की स्थिति का विवरण

क्र.सं.	प्राथमिक विद्यालय में नामांकन की स्थिति	2002–03	2009–10	2015–16
1.	सकल नामांकन	1,83,14,668	2,19,90,009	2,13,92,915
2.	सरकारी विद्यालयों में नामांकन	1,60,32,426	1,56,62,777	2,09,64,590
3.	निजी विद्यालयों में नामांकन	22,82,242	63,27,232	83,09,800
4.	बालिका नामांकन (प्रतिशत में)	47.4	49.7	49.2

स्रोत –यू–डीआईएसई, 2002–03, 2009–10 तथा 2015–16,भारत में प्राथमिक शिक्षा–राज्य की रिपोर्ट कार्ड,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

उपरोक्त तालिका संख्या 2.7 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का सकल नामांकन लागातार बढ़ रहा है। वर्ष 2002–03 में सकल नामांकन 1 करोड़ 83 लाख था जो 2015–16 में बढ़कर लगभग 2 करोड़ 13 लाख हो गया। सरकारी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों का नामांकन निजी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों से अधिक है। तालिका से यह स्पष्ट है कि सरकारी क्षेत्र में वर्ष 2002–03 में एकल नामांकन लगभग 1 करोड़ 60 हजार था वहीं निजी प्राथमिक विद्यालयों में उसी वर्ष सकल नामांकन लगभग 22 लाख था। सकल नामांकन सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का बढ़कर वर्ष 2015–16 में लगभग 2 करोड़ 9 लाख हो गया वही निजी क्षेत्र में उसी वर्ष

सकल नामांकन लगभग 83 लाख हो गया। प्राथमिक विद्यालयों में बालिका नामांकन में बढ़ोत्तरी देखने की मिली, वर्ष 2002–03 में लगभग 47 प्रतिशत बालिका नामांकित थी जो 2015–16 में बढ़कर 49 प्रतिशत हो गयी है।

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति

तालिका संख्या 2.8 : उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का विवरण

क्र. सं.	प्रा0वि0 बुनियादी सुविधाओं की स्थिति	वर्ष		
		2002–03	2009–10	2015–16
1.	एक कक्षा के कमरे वाले विद्यालय (प्रतिशत में)	2.7	1.0	0.6
2.	पेयजल की सुविधा (प्रतिशत में)	91	99.3	98.9
3.	बालिका शौचालय वाले विद्यालय (प्रतिशत में)	40.9	64.9	99.8
4.	विद्यालय में बालक शौचालय (प्रतिशत में)	55.0 (सामान्य शौचालय)	92.1 (सामान्य शौचालय)	99.7

स्रोत –यू–डीआईएसई, 2002–03, 2009–10 तथा 2015–16, भारत में प्राथमिक शिक्षाः राज्य की रिपोर्ट कार्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

तालिका संख्या 2.8 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय जहां एक कमरा वाले विद्यालय है उनकी संख्या वर्ष 2002–03 में 2.7 प्रतिशत थी जो घटकर वर्ष 2015–16 में 0.6 प्रतिशत रह गयी है। पेयजल की सुविधा वर्ष 2002–03 में लगभग 91 प्रतिशत विद्यालयों में थी जो बढ़कर लगभग 99 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय में हो गयी है। तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2002–03 में लगभग 40 प्रतिशत विद्यालयों में शौचालय था जो 2015–16 में बढ़कर 99.8 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2009–10 तक सामान्य शौचालय

(बालक और बालिका दोनों के लिए) की संख्या 92 प्रतिशत थी वही 2015–16 में बालक शौचालय की संख्या 99.7 प्रतिशत हो गयी है।

तालिका संख्या 2.9 : उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की सामान्य स्थिति

क्र.सं.	विद्यालय के संकेतक	2002–03	2009–10	2015– 16
1.	**एकल शिक्षक विद्यालय (प्रतिशत में)**	15.9	2.7	8.5
2.	**विद्यालय जहां 50 से कम बच्चें नामांकित (प्रतिशत में)**	4.5	7.3	12
3	**विद्यालय जहां बच्चें शिक्षक अनुपात 100 से अधिक**	24.2	8.1	0.0
4	**महिला शिक्षक (प्रतिशत में)**	27.5	41.3	45.0

स्रोत –यू डी आइ ए्स ई, 2002–03, 2009–10 तथा 2015–16,भारत में प्राथमिक शिक्षाः राज्य की रिपोर्ट कार्ड,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

तालिका संख्या 2.9 से स्पष्ट है कि 2002–03 में एक शिक्षक वाले विद्यालयों की संख्या लगभग 16 प्रतिशत थी जो 2015–16 में घटकर लगभग आधी (8.5 प्रतिशत) रह गयी है। विद्यालय जहां 50 से कम बच्चें नामांकित है उनकी संख्या 2002–03 में 4.5 प्रतिशत थी, जो बढ़कर 2015–16 में 12 प्रतिशत हो गयी है। विद्यालय जहां छात्र शिक्षक अनुपात 100 से अधिक था, उनकी संख्या वर्ष 2002–03 में 24 प्रतिशत थी, जो 2015–16 में शून्य रह गयी है। अगर महिला शिक्षक की संख्या प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2002–03 में लगभग 27.5 प्रतिशत था, जो बढ़कर 2015–16 में 45 प्रतिशत पहुँच गयी।

रायबरेली जनपद में सर्व शिक्षा अभियान

रायबरेली जनपद 4043 वर्ग किमी. के क्षेत्र में फैला है। जनपद की मुख्य भाषा अवधी तथा हिन्दी है। रायबरेली जनपद का कुल जनसंख्या 29,03507 है, जिसमें गांव की जनसंख्या 26,22,247 तथा शहरी क्षेत्र की 2,81,260 है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 8,88,004 (30.60 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1618 (1.8 प्रतिशत) है। जनपद में लिंगानुपात 941 है। पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2006 में रायबरेली जनपद को 250 अति पिछड़े जनपदो में शामिल किया था जिसमें उत्तर प्रदेश के 34 जनपद शामिल थे। राज्य सरकार ने रायबरेली जनपद को स्मार्ट सिटी के रूप में शामिल किया है, जो केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही एक योजना है। जिले में एन.टी.पी.सी. द्वारा ऊँचाहार में एक थर्मल पावर चलाया जा रहा है। रायबरेली जनपद की 3,29,310 जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे, अपना जीवन यापन कर रही है जिसमें गॉव की 3,16,950 जनसंख्या तथा शहरी क्षेत्र की 12,360 जनसंख्या शामिल है। यहाँ बेहटापुल, इन्दिरा गार्डेन, समसपुर पक्षी विहार, प्रमुख दार्शनिक स्थल है।

तालिका संख्या 2.10 : रायबरेली जनपद के प्राथमिक विद्यालय के संकेतक

क्र.सं.	प्राथमिक विद्यालय के संकेतक	2002 – 03	2009 – 10	2016–17
1.	कुल विद्यालय	1696	2223	2455
2.	सरकारी विद्यालय	1526	1763	1986
3.	निजी विद्यालय	170	460	461

स्रोत – यू डी आई एस ई 2002–03, 2009–10 तथा 2016–17, डिस्ट्रिक्ट एलीमेंट्री एजुकेशन रिपोर्ट कार्ड,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

रायबरेली जनपद में प्राथमिक विद्यालयों के संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। तालिका संख्या 2.10 में स्पष्ट है कि वर्ष 2002–03 में कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या लगभग 1996 थी जहां सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1526 तथा उसी वर्ष निजी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 170 थी। अगर वर्ष 2016–17 की बात करे तो पता चलता है कि प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 2455 थी जिसमें सरकारी तथा निजी क्षेत्र के विद्यालयों की संख्या क्रमशः 1986 तथा 461 पहुँची गयी है।

तालिका संख्या 2.11 : रायबरेली जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	2002–03	2009–10	2016–17
1.	कुल शिक्षक (सरकारी विद्यालय में)	4320	6820	6557
2.	एकल शिक्षक विद्यालय (प्रतिशत में)	10.5	1.3	6.6
3.	महिला शिक्षक (प्रतिशत में)	26.5	44.7	36.6
4.	शिष्य शिक्षक अनुपात	68	42	35
5.	विद्यालय जहां छात्र शिक्षक अनुपात (50 प्रतिशत में)	1.9	4.8	4.4
6.	विद्यालय जहां छात्र शिक्षक अनुपात 100	24.6	7.2	–

स्रोत – यू डी आई एस ई 2002–03, 2009–10 तथा 2016–17, डिस्ट्रिक्ट एलीमेंट्री एजुकेशन रिपोर्ट कार्ड,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

तालिका संख्या 2.11 से स्पष्ट है कि रायबरेली जिले के प्राथमिक विद्यालयों (सरकारी) के संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हुयी है। वर्ष 2002–03 में कुल सरकारी शिक्षक 4320 थे जिनको वर्ष 2016–17 में संख्या बढ़कर 6557 पहुँच गयी। एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में आय वर्ष 2002–03 में कुल लगभग 10 प्रतिशत ऐसे विद्यालय थे जिनकी संख्या वर्ष 2016–17 में 6.6 प्रतिशत रह गयी है। प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षक को संख्या में बढ़ोत्तरी हुयी क्योंकि वर्ष 2002–03 में कुल लगभग 26 प्रतिशत महिला शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में थी जिनकी संख्या वर्ष 2016–17 में बढ़कर 36. 6 प्रतिशत हो गयी है।

छात्र शिक्षक अनुपात में कमी आयी है जो प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिक कदम है। वर्ष 2002–03 में छात्र शिक्षक अनुपात 68 था जो वर्ष 2016–17 में 35 रह गया है जो शिक्षा के अधिकार कानून 2010 के अनुरूप है। ऐसे विद्यालय जहां 50 से कम छात्र नामांकित है उनकी प्रतिशत में बढ़ोत्तरी हुयी है। तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2002–03 में जहां 50 से कम छात्र नामांकित है उन विद्यालयों का प्रतिशत 1.9 था जो बढ़कर 2016–17 में 4.4 प्रतिशत हो गया है। ऐसे विद्यालय जहां छात्र शिक्षक अनुपात वर्ष 2002–03 में 100 से अधिक था उनका प्रतिशत लगभग 24 प्रतिशत था उसमें सुधार हुआ और वर्ष 2016– 17 में ऐसे विद्यालयों की संख्या शून्य रह गयी है।

तालिका संख्या 2.12 : रायबरेली जनपद के प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति

क्र.सं.	प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं	2002–03	2009–10	2016– 17
1.	एक कक्षा के कमरे वाले विद्यालय (प्रतिशत में)	10.5	1.3	6.6
2.	विद्यालय जहां पेयजल सुविधा उपलब्ध है (प्रतिशत में)	–	99.4	98.8
3.	विद्यालय जहां बालिका शौचालय उपलब्ध है ((प्रतिशत में)	22.3	19.8	99.6
4.	विद्यालय जहां बालक शौचालय उपलब्ध है (प्रतिशत में)	34.1	9.8	99.6
5.	छात्र–कक्षा अनुपात	72	38	26

स्रोत – यू डी आई एस ई 2002–03, 2009–10 तथा 2016–17, डिस्ट्रिक्ट एलीमेंट्री एजुकेशन रिपोर्ट कार्ड,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

सर्व शिक्षा अभियान के तहत रायबरेली जिले के प्राथमिक विद्यालयों के बुनियादी सुविधाओं में काफी सुधार देखने को मिला है। तालिका संख्या 2.12 से स्पष्ट है कि ऐसे विद्यालय जहां एक कमरे का विद्यालय था उनकी संख्या वर्ष 2002–03 में 10.5 प्रतिशत था वह घटकर 2016–17 में 6.6 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2016– 17 तक 98.8 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। जहां बालिका शौचालय वर्ष 2002–03 में लगभग 22 प्रतिशत विद्यालयों में था, उनकी संख्या बढ़कर वर्ष 2016–17 में 99.6 प्रतिशत पहुँच गयी है। वर्ष 2016–17 तक बालक शौचालय प्राथमिक विद्यालय के 99.6 प्रतिशत विद्यालयों में उपलब्ध है। छात्र कथा अनुपात में भी काफी सुधार हुआ है। वर्ष 2002–03 में छात्र–कक्षा अनुपात 72 था जो घटकर वर्ष 2016–17 में 26 रह गया है।

तालिका संख्या 2.13 : रायबरेली जनपद के प्राथमिक विद्यालय में नामांकन की स्थिति

क्र.सं.	नामांकन की स्थिति	2002– 03	2009– 10	2016– 17
1.	सकल नामांकन	3,31,818	3,50,971	2,35,971
2.	सरकारी विद्यालय में	2,99,443	2,64594	1,67,935
3.	निजी विद्यालय	32375	86197	68036
4.	सरकारी विद्यालय में नामाकन की स्थिति (प्रतिशत में)	90.2	75.4	–
5.	बालिका नामांकन (प्रतिशत में)	48.3	50.0	51.2

स्रोत – यू डी आई एस ई 2002–03, 2009–10 तथा 2016–17, डिस्ट्रिक्ट एलीमेंट्री एजुकेशन रिपोर्ट कार्ड,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

तालिका संख्या 2.13 से स्पष्ट है कि वर्ष 2002–03 में एकल नामांकन लगभग 3 लाख 31 हजार था जो वर्ष 2016–17 में घटकर लगभग 2 लाख 99 हजार था जो घटकर 1 लाख 67 हजार हो गया है। जबकि निजी प्राथमिक विद्यालयों में एकल नामांकन वर्ष 2002–03 में लगभग 32 हजार था जो बढ़कर 2016–17 में लगभग 68 हजार पहुँच गया है इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक सरकारी विद्यालयों में अभिभावकों की रूचि कम हो रही है। बालिका नामांकन लगभग 48 प्रतिशत था जो बढ़कर 2016–17 में लगभग 51 प्रतिशत हो गया है।

निष्कर्ष

सर्व शिक्षा अभियान की शुरूआत एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 2001 में की गयी। इसका प्रमुख उद्देश्य 2010 तक 6–14 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। सर्वशिक्षा अभियान अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में काफी हद तक सफल रहा है लेकिन इसकी कुछ कमियां भी सामने आयी है। सर्वशिक्षा अभियान के तहत देश के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का सार्थक प्रयास किया है। यह कार्यक्रम बुनियादी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का काम करता है। सर्व शिक्षा अभियान में लैंगिक तथा सामाजिक भेदभाव को समाप्त कर सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का सार्थक प्रयास किया है। यह कार्यक्रम बुनियादी शिक्षा के माध्यम से लैंगिक तथा सामाजिक भेदभाव को समाप्त कर सभी को गुणवत्तापूर्ण तथा जीवनोपयोगी शिक्षा दने पर बल दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई हैं तथा बीच में विद्यालय छोड़ने का सिलसिला में कम हुआ है। विद्यालयों के संस्थापक ढांचे का विकास किया गया है। विद्यालय विहीन क्षेत्रों में विद्यालयों को स्थापना पुराने विद्यालयों के भवनों की मरम्मत, पेयजल, शौचालय की सुविधा, मुक्त पुस्तकें, यूनिफार्म, जूते–मोजे तथा सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक विद्यालय देश में 12 राज्यों में बच्चों में विद्यालय छोड़ने (ड्राप आउट) की दर में कमी आयी है।

हालांकि सर्व शिक्षा अभियान देश के कई राज्यों में पिछले कई वर्षों से चलाया जा रहा है, प्रदेश का हर बालक–बालिका शिक्षित हो, इसके लिए सरकार द्वारा मोटी धन राशि भी व्यय की जा रही है लेकिन इस योजना में कही न कही समन्वय की कमी देखने को मिलती है। कई स्वयंसेवी संस्थाएं इस अभियान को सफल बनाने योगदान कर रही है, परन्तु अभी भी शिक्षा का प्रवाह नगर और शहरों तक ही सिमट कर रह गया है। गावों, आदिवासी सूदूर अंचलों में सरकार की सर्व शिक्षा अभियान का असर पूर्ण रूप से नहीं पड़ा है। गौर से देखा जाए तो इसमें कुछ दोष नजर आते है। प्राथमिक विद्यालय अपेक्षित रूप से अपने काम का दायित्व पूरा नहीं कर पा रहे है।। ये विद्यालय अपनी अधिगम एवं जनसंपर्क में आने वाले कठिनाइयों पर विचार विमर्श न करके सरकारी परिपत्रों के वाचन एवं विद्यालय प्रदत्त विभिन्न मदों की राशि के उपयोग एवं उनकी प्रगति का रिपोर्ट एकत्र करने पर जोर देते है। फलतः विद्यालय के शिक्षक अपने शिक्षण अनुभवों के आदान–प्रदान से, प्रशिक्षण प्राप्त करने से वंचित रह जाते है। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। विश्व बैंक के रिपोर्ट ' वर्ल्ड डेवलेपमेंट रिपोर्ट 2018 लर्निंग टू रियलाइज एूजकेशन प्रॉमिस'' के अनुसार ''ग्रामीण भारत में तीसरी कक्षा के तीन चौथाई छात्र दो अंकों का घटाने वाले सवाल को हल नहीं कर सकते है। प्रस्तुत अध्याय के अगले अध्याय में सरेनी ब्लॉक के चयनित परिषदीय विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं तथा शिक्षकों की योग्यता का प्राथमिक तथ्यों के आधार पर संकलित किये गए आकड़ों के द्वारा किया गया है।

अध्याय–3

सरेनी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी सुविधाएं तथा शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता

सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है। नये विद्यालय खोलना, विद्यालय भवनों का निर्माण, अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, शौचालय, पेयजल की सुविधा, शिक्षकों की सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, शैक्षिक संसाधनों में सहायता, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और वर्दी, अध्ययन उपलब्धि स्तरों में सुधार हेतु सहायता, अनुसंधान, मूल्यांकन, मॉनीटरिंग तथा बच्चों के अधिगम गुणवत्ता पर ध्यान देना मुख्य रूप से शामिल हैं। प्रस्तुत अधयाय में सरेनी ब्लाक के आठ प्राथमिक विद्यालयों के बुनियादी सुविधाओं का अध्ययन तथा शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता का विवरण दिया गया है ।

विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का प्राथमिक सर्वे का अवलोकन

तालिका संख्या 3.1 : विद्यालय में कक्षा के कमरे की स्थिति तथा छात्रों के बैठने की व्यवस्था

क्र.सं.	कक्षा के लिए कमरे	हाँ	नहीं	कुल
1.	प्रत्येक कक्षा के लिए कमरे की उपलब्धता	6 (75.00)	2 (25.00)	8 (100.00)
2.	कक्षा में छात्रों को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान	6 (75.00)	2 (25.00)	8 (100.00)
नोट –कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते हैं।				

स्रोत – सर्वेक्षेत्र (2018–19)

तालिका संख्या 3.1 विद्यालय में कक्षा के कमरे की स्थिति तथा छात्रों के बैठने की व्यवस्था के विवरण से सम्बन्धित है। तालिका से स्पष्ट है कि कुल 8 विद्यालयों में से सर्वाधिक 75 प्रतिशत विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा के लिए कमरें उपलब्ध है तथा 25 प्रतिशत विद्यालयों में सभी कक्षा के लिए कमरे उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि 75 प्रतिशत विद्यालयों में छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है तथा 25 प्रतिशत विद्यालयों में पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। सभी विद्यालय के कमरे पक्के हैं।

तालिका संख्या 3.2 : कक्षा में छात्रों के बेठने के लिए मिलने वाली सुविधा

क्र.सं.	बैठने की सुविधा	संख्या	प्रतिशत
1.	**फर्नीचर**	0	0.00
2.	**टाटपट्टी**	2	25.00
3.	**चटाई**	6	75.00
	कुल	8	100.00

स्रोत – सर्वेक्षेत्र (2018–19)

तालिका संख्या 3.2 कक्षा में छात्रों के बैठने के लिए मिलने वाली सुविधा सें सम्बन्धित है। तालिका से स्पष्ट होता है कि 75 प्रतिशत विद्यालयों में छात्रों के बैठने के लिए चटाई का उपयोग किया जाता है तथा 25 प्रतिशत विद्यालयों में छात्रों के बैठने के लिए टाटपट्टी का उपयोग किया जाता है। इन विद्यालयों में से किसी में भी फर्नीचर का इस्तेमाल छात्रों के बैठने के लिए नहीं किया जाता है।

तालिका संख्या 3.3 : फर्नीचर टाटपट्टी तथा चटाई की स्थिति

क्र.सं.	बैठने की सुविधा	संख्या	प्रतिशत
1.	अच्छा	1	12.50
2.	संतोषजनक	6	75.00
3.	असंतोषजनक	1	12.50
	कुल	8	100.00

स्रोत – सर्वेक्षेत्र (2018–19)

उपरोक्त तालिका संख्या 3.3 फर्नीचर टाटपट्टी तथा चटाई की स्थिति से सम्बन्धित है। तालिका से स्पष्ट है कि 12.5 प्रतिशत विद्यालयों में इनकी स्थिति अच्छी है तथा 75 प्रतिशत विद्यालयों में फर्नीचर, टाटपट्टी तथा चटाई की स्थिति संतोषजनक है। इसी प्रकार तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि 12.5 प्रतिशत विद्यालयों में इनकी स्थिति असंतोषजनक है। अतः इस विवरण में पला चलता है सर्वाधिक विद्यालयों में इनकी स्थिति संतोषजनक है।

तालिका संख्या 3.4 : छात्रों के लिए फर्नीचर, टाट्पट्टी तथा चटाई की समुचित व्यवस्था

क्र.सं.	फर्नीचर/टाटपट्टी/ चटाई	हाँ	नहीं	कुल
1	समुचित व्यवस्था	8(100.00)	0(0.00)	8 (100.00)
2	छात्रों द्वारा स्वयं की चटाई	0(0.00)	0(0.00)	0 (0.00)
नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत को दर्शाते हैं।				

स्रोत – सर्वेक्षेत्र (2018–19)

तालिका संख्या 3.4 छात्रों के लिए फर्नीचर टाटपट्टी तथा चटाई की समुचित व्यवस्था के विवरण से सम्बन्धित है। सभी 100 प्रतिशत विद्यालयों में छात्रों के बैठने के लिए चटाई तथा टाटपट्टी की समुचित व्यवस्था है। किसी भी छात्र को स्वयं की चटाई या अन्य वस्तुएँ नहीं लानी पड़ती है।

तालिका संख्या 3.5 : विद्यालय के कक्षाओं में प्रकाश की उचित व्यवस्था

क्र.सं.	प्रकाश की व्यवस्था	हाँ	नहीं	कुल
1	खिड़की तथा रोशनदान	8 (100.00)	0(0.00)	8 (100.00)
2.	विद्यालय विद्युतीकृत	8 (100.00)	0(0.00)	8 (100.00)
3.	सभी कक्षाओं में लाइट (बल्ब)	8 (100.00)	0(0.00)	8 (100.00)

नोट– कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत को दर्शाते हैं।
स्रोत – सर्वेक्षेत्र (2018–19)

उपरोक्त तालिका संख्या 3.5 विद्यालय के कक्षाओं में प्रकाश की उचित व्यवस्था के विवरण से सम्बन्धित है। तालिका से स्पष्ट होता है कि सभी 100 प्रतिशत विद्यालयों के कमरे में खिड़की तथा रोशन–दान उपलब्ध है। 100 प्रतिशत विद्यालय विद्युतीकृत है, तथा विद्यालय के सभी कक्षाओं में बल्ब (लाइट) लगी हुई है। अतः विवरण से स्पष्ट होता है कि सभी विद्यालयों में प्रकाश की उचित व्यवस्था है।

तालिका संख्या 3.6 : कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड की सुविधा

क्र.सं.	ब्लैक बोर्ड	हाँ	नहीं	कुल
1	कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड की उपलब्धता	8 (100.00)	0(0.00)	8 (100.00)
2.	सभी छात्रों को ब्लैक बोर्ड का लाभ	8 (100.00)	0(0.00)	8 (100.00)

नोट– कोष्ठक में लिखे गये अंक प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत – सर्वेक्षेत्र (2018–19)

तालिका संख्या 3.6 विद्यालयों की कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड की सुविधा के विवरण से सम्बन्धित है। तालिका से पता चलता है कि सभी 100 प्रतिशत विद्यालयों की कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड की उपलब्धता है तथा सभी 100 प्रतिशत छात्रों को ब्लैक बोर्ड का लाभ मिलता है। अर्थात् सभी छात्र ब्लैक बोर्ड पर लिखे विषयवस्तु ठीक प्रकार से देख सकते हैं।

तालिका संख्या 3.7 : ब्लैक बोर्ड की स्थिति

क्र.सं.	ब्लैक बोर्ड की स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	अच्छा	1	12.50
2.	संतोषजनक	7	87.50
3.	असंतोषजनक	0	0.00
	कुल	8	100.00

स्रोत– सर्वेक्षेत्र (2018–19)

तालिका संख्या 3.7 विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड की स्थिति के विवरण से सम्बन्धित है। तालिका से स्पष्ट है कि 12.5 प्रतिशत ब्लैक बोर्ड की स्थिति अच्छी है तथा 87.5 प्रतिशत विद्यालयों की अच्छी है तथा 87.5 प्रतिशत विद्यालयों की ब्लैक बोर्ड की स्थिति संतोषजनक है।

तालिका संख्या 3.8 : विद्यालय में पेयजल की सुविधाएं

क्र.सं.	पेयजल की सुविधा	हाँ	नहीं	कुल
1.	**पेयजल की उपलब्धता**	8 (100.00)	0(0.00)	8 (100.00)
2.	**पेयजल का उपयोग**	8 (100.00)	0(0.00)	8 (100.00)
3.	**नियमित सफाई एवं देखभाल**	4 (50.00)	4(50.00)	8 (100.00)

नोट– कोष्ठक में लिखे गये अंक प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत – सर्वेक्षेत्र (2018–19)

तालिका संख्या 3.8 विद्यालय में पेयजल की सुविधाओं के विवरण से सम्बन्धित है। तालिका से स्पष्ट है कि सभी 100 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है तथा सभी बच्चे इनका उपयोग करते है। जहां तक पेयजल की साफ–सफाई का प्रश्न है तो तालिका से स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल की नियमित साफ सफाई एवं देखभाल की जाती है तथा 50 प्रतिशत विद्यालय में इसकी नियमित साफ–सफाई तथा देखभाल नहीं की जाती है।

तालिका संख्या 3.9 : पेयजल के स्रोत

क्र.सं	स्रोत	संख्या	प्रतिशत
1.	हैण्डपम्प	8	100.00
2.	नल	0	0.00
3.	अन्य	0	0.00
	कुल	8	100.00

स्रोत – सर्वेक्षेत्र (2018–19)

तालिका संख्या 3.9 विद्यालय के पेयजल के स्रोत के विवरण से सम्बन्धित है। तालिका से स्पष्ट है कि सभी 100 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल हैण्डपंप का स्रोत है।

तालिका संख्या 3.10 : विद्यालय में शौचालय सुविधाएं

क्र.सं.	शौचालय सुविधा	हाँ	नहीं	कुल
1.	विद्यालय में शौचालय की उपलब्धता	8(100.00)	0 (0)	8 (100.00)
2.	विद्यालय में सामान्य शौचालय की उपलब्धता	1(12.50)	7(87.50)	8 (100.00)
3.	बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय की उपलब्धता	7(87.50)	1(12.50)	8 (100.00)
4.	शौचालय की दीवार पर बालक/बालिका अंकित	5(71.40)	2(28.60)	7(100.00)

नोट– कोष्ठक में लिखे गये अंक प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत –सर्वेक्षेत्र (2018–19)

उपरोक्त तालिका संख्या 3.10 विद्यालय में शौचालय सुविधओं के के विवरण से सम्बन्धित है। तालिका से स्पष्ट है कि सभी 100 प्रतिशत विद्यालयों में शौचालय की उपलब्धता है। इसमें से 12.5 प्रतिशत विद्यालयों में सामान्य शौचालय तथा 87.5 प्रतिशत विद्यालयों में बालक बालिका के लिए अलग–अलग शौचालय उपलब्ध है। इसी प्रकार 71.40 प्रतिशत शौचालय की दीवार पर बालक/बालिका अंकित है तथा 28.60 प्रतिशत शौचालय की दीवारों पर बालक बालिका अंकित नहीं है।

तालिका संख्या 3.11 : विद्यालय में उपलब्ध शौचालयों की स्थिति

क्र.सं.	शौचालयों की स्थिति	हाँ	नहीं	कुल
1.	**शौचालय का उपयोग**	8(100.00)	0(0.00)	8(100.00)
2.	**शौचालय में ताला**	1(12.50)	7(87.50)	8 (100.00)
3.	**शौचालय में नल से पानी की व्यवस्था**	0(0.00)	8(100.00)	8 (100.00)
4.	**शौचालयों की सफाई एवं रख–रखाव की व्यवस्था**	4 (50.00)	4(50.00)	8 (100.00)

नोट– कोष्ठक में लिखे गये अंक प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत – सर्वेक्षेत्र (2018–19)

तालिका संख्या 3.11 विद्यालय में उपलब्ध शौचालयों की स्थिति के विवरण से सम्बन्धित है। तालिका से स्पष्ट है कि सभी 100 प्रतिशत विद्यालयों में शौचालयों का उपयोग बच्चे कर रहे है। इनमें से 12.5 शौचालयों में ताला लगा हुआ है क्योंकि बाहर के लोग उन्हें गन्दा कर देते है। समस्त अर्थात 100 प्रतिशत विद्यालय के शौचालयों में नल से पानी की व्यवस्था नहीं है। तालिका से यह

भी स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत शौचालयों की सफाई एंव रख–रखाव की व्यवस्था की गयी है तथा 50 प्रतिशत शौचालयों की सफाई एवं रख–रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है।

तालिका संख्या 3.12 : विद्यालय में पुस्तकालय

क्र.सं.	पुस्तकालय	हाँ	नहीं	कुल
1.	पुस्तकालय की उपलब्धता	5(62.50)	3(37.50)	8(100.00)
2.	छात्रों को आवश्यक किताबों की उपलब्धता	2(25.00)	6(75.00)	8(100.00)

स्रोत – सर्वेक्षेत्र (2018–19)

तालिका संख्या 3.12 विद्यालयों में पुस्तकालय की सुविधा से सम्बन्धित है। तालिका से स्पष्ट है कि कुल आठ में 62.5 प्रतिशत विद्यालयों में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है तथा 37.5 प्रतिशत विद्यालयों में यह सुविधा मौजूद नहीं है। तालिका द्वारा यह भी स्पष्ट होता है कि केवल 25 प्रतिशत विद्यालयो में छात्रों को उनकी आवश्यकतानुसार किताबें मिलती है जबकि 75 प्रतिशत विद्यालयों द्वारा छात्रों को आवश्यक किताबें उपलब्ध नहीं करायी जाती है। पुस्तकालय की उपलब्ध किताबें अलमारी में रखी जाती है।

तालिका संख्या 3.13 : खेल के मैदान की स्थिति

क्र. सं.	खेल का मैदान	हाँ	नहीं	कुल
1.	खेल का मैदान की उपलब्धता	2(25.00)	6(75.00)	8(100.00)
2.	खेल सामग्री की उपलब्धता	2(25.00)	6(75.00)	8(100.00)
3.	नियमित रूप से खेलों का आयोजन	2(25.00)	6(75.00)	8(100.00)

नोट– कोष्ठक में लिखे गये अंक प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत – सर्वेक्षेत्र (2018–19)

तालिका संख्या 3.13 से स्पष्ट है कि 25 प्रतिशत विद्यालयों में खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार तालिका में यह भी स्पष्ट है कि 25 प्रतिशत विद्यालयों में ही खेल का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है जबकि 75 प्रतिशत विद्यालयों में नियमित रूप से खेलों का आयोजन नहीं होता है। केवल 25 प्रतिशत विद्यालयों में ही केवल 25 प्रतिशत छात्रों के लिए खेल की सामग्री उपलब्ध है। जबकि 75 प्रतिशत में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

विद्यालयों में शिक्षकों को शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता का विवरण

देश की संघीय ढांचे में हालांकि शिक्षक शिक्षा पर विस्तृत नीतिगत और विधिक ढांचा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, फिर भी विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का कार्यान्वयन प्रमुखतः राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। स्कूली बच्चों की शिक्षा उपलब्धियों के सुधार के विस्तृत उद्देश्य की दोहरी कार्यनीति है– (क) स्कूल प्रणाली के लिए अध्यापकों को तैयार करना (सेवा पूर्व प्रशिक्षण) और (ख) मौजूदा स्कूल अध्यापकों की क्षमता में सुधार करना (सेवाकालीन प्रशिक्षण)। सेवा पूर्व प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एन सी टी ई), जो केन्द्र सरकार का सांविधिक निकाय है, देश में शिक्षक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास का जिम्मेदार है। एन सी टी ई विभिन्न शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के मानक एवं मानदंड, शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताएं, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, छात्र–अध्यापकों के प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम एवं घटक तथा अवधि एवं न्यूनतम योग्यता निर्धारित करती है। यह ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करने की इच्छुक संस्थाओं (सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्व–वित्तपोषित) को मान्यता भी प्रदान करता है और उनके मानदंड और गुणवत्ता विनियमित करने और उन पर निगरानी के निमित्त व्यवस्था है।

तालिका संख्या 3.14 : विद्यालयों में शिक्षकों को शैक्षणिक योग्यता का विवरण

जाति/श्रेणी	स्नातक		परास्नातक		कुल	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
सामान्य	4	6	12	3	16	9
अन्य पिछड़ा वर्ग	2	4	1	0	3	4
अनुसूचित जाति	1	0	2	1	3	1
कुल	7	10	15	4	22	14

स्रोत – सर्वेक्षेत्र (2018–19)

तालिका संख्या 3.14 से स्पष्ट है कि कुल शिक्षकों की संख्या 35 है जिसमें 21 पुरूष शिक्षक तथा 14 महिला शिक्षक है। स्नातक की योग्यता रखने वाले शिक्षकों की संख्या 17 है जिसमें 7 पुरूष तथा 10 महिला शिक्षक है। परास्नातक की योग्यता रखने वाले शिक्षकों की संख्या 18 है जिसमें पुरूष तथा महिला शिक्षकों के संख्या क्रमशः 14 तथा 4 है। यदि इसी तालिका में श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण करे तो पता चलता है कि सामान्य वर्ग में कुल 25 शिक्षक है जिसमें 15 पुरूष तथा 9 महिला शिक्षक है। स्नातक की योग्यता रखने वाले सामान्य वर्ग के शिक्षकों में 4 पुरूष तथा 6 स्त्री है जबकि परास्नातक योग्य शिक्षकों में 11 पुरूष तथा 3 महिला है। पिछड़ा वर्ग में कुल 7 शिक्षक है जिसमें 3 पुरूष तथा 4 महिला शिक्षक है। स्नातक की योग्यता रखने वाले शिक्षकों में 2 पुरूष तथा 4 महिला जबकि परास्नातक की योग्यता रखने वाले शिक्षकों में पुरूष शिक्षक की संख्या एक है तथा महिला शिक्षक कीसंख्या शून्य है। अनुसूचित जाति में कुल 4 शिक्षक है जिसमें 3 पुरूष तथा 1 महिला शिक्षक है। स्नातक की योग्यता रखने वाले पुरूष शिक्षक की संख्या 1 है जबकि महिला शिक्षक की संख्या शून्य है।

शिक्षकों के प्रशिक्षण योग्यता का विवरण

तालिका संख्या 3.15 : शिक्षकों के प्रशिक्षण योग्यता का विवरण

जाति / श्रेणी	बी.एड.		बी.टी.सी.		टी.ई.टी.	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
सामान्य	7	4	8	8	6	4
अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	2	4	4	2
अनुसूचित जाति	3	1	4	2	2	1
अल्पसंख्यक वर्ग	0	0	0	0	0	0
कुल	10	5	14	14	12	7

स्रोत – सर्वेक्षेत्र (2018–19)

तालिका संख्या 3.15 से स्पष्ट है कि कि सामान्य वर्ग शिक्षक जो बी.एड. है उनकी संख्या 11 है जिसमें 7 पुरूष तथा 4 महिलायें है। इसी प्रकार बी.टी. सी. की योग्यता रखने वाले अध्यापकों को कुल संख्या 16 है जिसमें 8–8 क्रमशः पुरूष तथा महिला है। टी0ई0टी0 की योग्यता रखने वालें कुल शिक्षकों की संख्या 10 है जिसमें 6 पुरूष तथा 4 महिलायें है। अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों की बात करें तो यह दिखता है कि बी.एड. की योग्यता रखने वाले महिला तथा पुरूषा की संख्या शून्य है। बी.टी.सी. को योग्यता रखने वालों में 2 पुरूष तथा 4 महिला हैं। टी.ई.टी. की योग्यता रखने वाले शिक्षकों में 4 पुरूष तथा 2 महिला है। अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षकों की बात करें तो

यह स्पष्ट होता है कि बी.एड. की योग्यता रखने वाले शिक्षकों ने 3 पुरूष तथा 1 महिला शामिल है। बी.टी.सी. की योग्यता रखने वाले शिक्षकों में 4 पुरूष तथा 2 महिला है। इसी प्रकार टी.ई.टी. की योग्यता रखने वाले पुरूष तथा महिला शिक्षकों की संख्या क्रमशः 2 तथा 1 है।

विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति एवं उपस्थिति की स्थिति

तालिका संख्या 3.16 : विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति एवं उपस्थिति की स्थिति

प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक	विद्यालय में नियुक्ति किये गये शिक्षक			विद्यालय में उपस्थित शिक्षक		
	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल
प्रधानाध्यापक	7	1	8	7	1	8
नियमित	10	4	14	8	4	12
अनुबंध शिक्षक	4	9	13	4	9	13
कुल	21	14	35	19	14	33

स्रोत – सर्वेक्षेत्र (2018–19)

तालिका संख्या 3.16 से स्पष्ट है कि समस्त विद्यालयों में 35 शिक्षक नियुक्त किये गये है। जिसमें प्रधानाध्यपक की संख्या 8 (22.85 प्रतिशत), नियमित शिक्षकों की संख्या 14 (40 प्रतिशत) तथा अनुबंध शिक्षक 13 (37.14 प्रतिशत) है। समस्त विद्यालयों में 7 (87.5) विद्यालयों में पुरूष प्रधानाध्यापक नियुक्त है जबकि 1(12.5) विद्यालय में महिला प्रधानाध्यापक नियुक्ति है। कुल नियमित शिक्षकों में 10 (71.42 प्रतिशत) पुरूष तथा 4 (28.57 प्रतिशत) महिला शिक्षक है। कुल अनुबंध शिक्षकों (13) में नियुक्ति किये गये

पुरूष शिक्षक (30.76 प्रतिशत) तथा महिला शिक्षक 14 (69.23 प्रतिशत) है। समस्त शिक्षकों में 35 (100 प्रतिशत) में पुरूष शिक्षक 21 (60 प्रतिशत) तथा महिला 14 (40 प्रतिशत) है। तालिका से स्पष्ट है कि समस्त शिक्षकों (35) में केवल 33 शिक्षक (94.28 प्रतिशत) उपस्थित है अर्थात् लगभग 6 प्रतिशत विद्यालय में अनुपस्थित मिले। प्रधानाध्यापक तथा अनुबंध सभी पुरूष तथा महिला शिक्षकों में उपस्थित मिले जिसमें सभी महिला शिक्षक उपस्थिति थी लेकिन 10 में केवल 8 पुरूष शिक्षक ही उपस्थित मिले।

निष्कर्ष

अध्याय के विवरण द्वारा हमें यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि शोध अध्ययन क्षेत्र के 75 प्रतिशत विद्यालयों में सभी कक्षाओं के लिए कमरे उपलब्ध तथा इसमें बैठने का पर्याप्त स्थान भी है। इन विद्यालयों में छात्रों के बैठने के लिए चटाई का 75 प्रतिशत उपयोग किया जाता है तथा 25 प्रतिशत विद्यालयों में टाट्पट्टी का प्रयोग किया जाता है, जिनकी स्थिति संतोषजनक है। सभी विद्यालयों की कक्षाओं में प्रकाश की उचित व्यवस्था की गयी है। सभी विद्यालया विद्युतीकृत है। सभी विद्यालयों में ब्लैकबोर्ड की उपलब्धता एवं स्थिति अच्छी है। इसी प्रकार 100 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल की उपलब्धता है परन्तु केवल 50 प्रतिशत विद्यालयों में ही इनकी सफाई एवं नियमित देखभाल की जाती है। वे सभी विद्यालयों में पेयजल का मुख्य स्त्रोत हैण्डपम्प है। यदि शौचालय की उपलब्धता की बात की जाए तो सभी विद्यालयों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। इसमें से 87.50 प्रतिशत

विद्यालयों में बालक–बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय उपलब्ध है। केवल 50 प्रतिशत शौचालयों की नियमित सफाई एवं देखभाल की जाती है। किसी भी शौचालय में नल पानी की व्यवस्था नहीं है।

तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि 62.5 प्रतिशत विद्यालयों में शौचालय की सुविधा है। 25 प्रतिशत विद्यालयों में ही छात्रों को अपनी आवश्यकता के अनुसार किताबें उपलब्ध होती है। शोध अध्ययन क्षेत्र के केवल 25 प्रतिशत विद्यालयों में खेल के मैदान उपलब्ध है तथा 75 प्रतिशत विद्यालयों में नहीं उपलब्ध है। वही 75 प्रतिशत विद्यालयों में खेलों का आयोजन नहीं होता है तथा केवल 25 प्रतिशत विद्यालय ही बच्चों के लिए खेलों का आयोजन होता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षकों में से 10 महिला शिक्षक तथा 7 पुरूष शिक्षक है, वही परास्नातक स्तर में 15 पुरूष तथा 4 महिला शिक्षक है अर्थात कुल शिक्षकों में 14 महिलाएं तथा 22 पुरूष शिक्षकों विद्यालयों में नियुक्त किये गये है। यदि शिक्षकों के प्रशिक्षण योग्यता के विवरण देखे तो कुल 15 बी0एड्द्ध प्रशिक्षित शिक्षकों में 10 पुरूष तथा 5 महिला शिक्षक हैं वही 28 बी0टी0सी0 प्रशिक्षित शिक्षकों में 14 महिला तथा 14 पुरूष शिक्षा नियुक्त है। 17 टी0ई0टी0 उत्तीर्ण शिक्षको में से 12 पुरूष तथा 7 महिला शिक्षक है। विद्यालय में नियुक्त किये गये 35 शिक्षकों में से 21 पुरूष तथा 14 महिलाएं है। 8 प्रधानाध्यापक में केवल 1 महिला प्रधानाध्यापक है। यदि नियमित शिक्षकों की संख्या पर गौर करे तो कुल 14 शिक्षकों में से 10 पुरूष तथा 4 महिलाएं है। इसी प्रकार

अनुबंध शिक्षकों की संख्या 13 है जिसमें 4 पुरूष एवं 9 महिलाएं है। यदि शिक्षकों की उपस्थिति के विवरण देखे तो स्पष्ट होता है कि सभी 8 प्रधानाध्यापक उपस्थित पाये गये। 14 नियमित शिक्षकों में से 12 उपस्थित थे। इसी प्रकार सभी 13 अनुबंध शिक्षक भी उपस्थित थे। अतः कुल उपस्थित शिक्षकों की संख्या 33 है।

अध्याय–4

परिषदीय विद्यालयों के बालिकाओं के अभिभावकों की सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति तथा बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता

देश के प्रत्येक नागरिक की पहचान उसके समाज में मिलने वाली स्थिति के आधार पर होती है। इस स्थिति का निर्धारण व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के आधार पर होती है। व्यक्ति को समाज में निम्न या उच्च प्रस्थिति के निर्धारण में सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रस्तुत अध्याय में परिषदीय विद्यालयों के बालिकाओं के अभिभावकों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति तथा बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका संख्या 4.1 : बालिकाओं के अभिभावकों की आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति

अभिभावकों की शिक्षा

शिक्षा	पिता	माता
अशिक्षित	33(25.4)	59(45.4)
प्राथमिक	31(23.8)	23(17.7)
उच्च प्राथमिक	20(15.4)	12(9.2)
हाई स्कूल	27(20.8)	29(22.3)
इण्टरमीडिएट	14(10.8)	7(5.4)
स्नातक	5(3.8)	0(0.0)
कुल	130(100.00)	130(100.00)

स्रोत – सर्वेक्षेत्र (2018–19)

अभिभावकों का व्यवसाय

व्यवसाय	पिता	माता
कृषि	41(31.6)	23(17.7)
मजदूरी	48(36.9)	15(11.5)
सरकारी नौकरी	1(0.8)	0(0.0)
निजी नौकरी	9(6.9)	4(3.1)
व्यवसाय	26(20.6)	1(0.8)
बेरोजगार /गृहणी	5(3.8)	87(66.9)
कुल	130(100.00)	130(100.00)

स्रोत – सर्वेक्षेत्र (2018–19)

उपरोक्त तालिका संख्या 4.1 अभिभावकों की शिक्षा से संबंधित है। इस तालिका से यह ज्ञात होता है कि कुल 25.4 प्रतिशत बालिकाओं के पिता अशिक्षित है तथा 23.8 प्रतिशत ने प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की है। इसी प्रकार 15.4 प्रतिशत उच्च प्राथमिक, 20.8 प्रतिशत हाई स्कूल, 10.8 प्रतिशत इण्टरमीडिएट तथा 3.8 प्रतिशत स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त किये हैं। वही यदि माताओं की शिक्षा स्तर का विश्लेषण करे तो ज्ञात होता है कि 45.4 प्रतिशत माताएं अशिक्षित है। 17.7 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा, 9.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक, 22.3 प्रतिशत हाई स्कूल, 5.4 प्रतिशत इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की है। कोई भी माता स्नातक स्तर की शिक्षा ग्रहण नहीं की है। अतः यह ज्ञात होता है कि अधिकांश अभिभावक अशिक्षित है।

तालिका संख्या 4.1 अभिभावकों के व्यवसाय से संबंधित है। इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि 31.6 प्रतिशत बालिकाओं के पिता का व्यवसाय कृषि है। 36.9 प्रतिशत मजदूरी, 0.8 प्रतिशत सरकारी नौकरी, 6.9

प्रतिशत निजी नौकरी, 20 प्रतिशत स्वयं के व्यवसाय तथा 3.8 प्रतिशत बेरोजगार है। इसी प्रकार माताओं के व्यवसाय से यह ज्ञात होता है कि 66.9 प्रतिशत गृहणी हैं, वही 17.7 प्रतिशत कृषि में, 11.5 प्रतिशत मजदूरी, 3.1 प्रतिशत निजी नौकरी, 0.8 प्रतिशत माताएं व्यवसाय विवरण से यह स्पष्ट है कि सर्वाधिक पिता का व्यवसाय मजदूरी है तथा अधिकांश माताएं गृहणी है।

तालिका संख्या 4.2 : परिवार का स्वरूप

क्रम संख्या	परिवार में व्यक्तियों की संख्या	परिवार का स्वरूप		कुल
		एकांकी परिवार	संयुक्त परिवार	
1	2	1	0	3
2	4	9	0	9
3	5	23	0	23
4	6	22	21	43
5	7	5	16	21
6	8	3	17	20
7	9	0	10	10
8	10	0	3	3
	कुल	63	67	130

स्रोत – सर्वेक्षेत्र (2018–19)

उपरोक्त तालिका संख्या 4.2 बालिकओं के परिवार के स्वरूप से संबंधित है। समस्त बालिकओं के पारिवारिक स्वरूप का प्राथमिक सर्वे से यह पता चलता है कि 63 एकांकी परिवार से तथा 67 संयुक्त परिवार से सम्बन्धित है। 6

सदस्यों वाले परिवारों की संख्या सबसे अधिक है जबकि जहाँ परिवार में 2 सदस्य है उनकी संख्या एक है।

तालिका संख्या 4.3 : बालिकाओं के अभिभावकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति

	सामाजिक–आर्थिक स्थिति	बालिकाओं की संख्या	प्रतिशत
धर्म	हिन्दू	117	90.00
	मुस्लिम	13	10.00
	कुल	130	100.00
जाति श्रेणी	सामान्य	14	10.8
	अन्य पिछड़ा वर्ग	65	50.00
	अनुसूचित जाति	38	29.00
	अल्पसंख्यक वर्ग	13	10.00
	कुल	130	100.00
मासिक आय	0–5000	69	53.08
	5001–10000	57	43.85
	10001–15000	3	2.31
	15000 से ऊपर	1	0.77
	कुल	130	100.00

स्रोत – सर्वेक्षेत्र (2018–19)

तालिका संख्या 4.3 से स्पष्ट है कि कुल बालिकाओं (130) में 117 हिन्दू धर्म (90 प्रतिशत) तथा 13 मुस्लिम धर्म (10 प्रतिशत) से सम्बन्धित है। तालिका से

स्पष्ट है कि कुल 130 बालिकाओं में सामान्य वर्ग की 14 (10.8 प्रतिशत) बालिकायें पिछड़ा वर्ग की 65 (50 प्रतिशत), अनुसूचित जाति 38 (29 प्रतिशत) तथा अल्पसंख्यक वर्ग की 13 (10.00) प्रतिशत बालिकायें है। तालिका दिखाता है कि कुल 130 बालिकाओं के अभिभावक में से जिनकी आय 0–5000 है उन अभिभावकों की संख्या 69 (53.08 प्रतिशत), 5001–10,000 आय वर्ग के 57 (43.85 प्रतिशत), 10,001–15000 आय वर्ग में 3 (2.31 प्रतिशत) अभिभावकों तथा 15001 से ऊपर आय कमाने वाले अभिभावकों की संख्या 1 (0.77 प्रतिशत) है।

श्रेणी एवं लिंग के आधार पर बालक–बालिकाओं का नामांकन तथा उपस्थिति का विवरण

तालिका संख्या 4.4 : श्रेणी एवं लिंग के आधार पर बालक–बालिकाओं का नामांकन तथा उपस्थिति

क्र.स.	श्रेणी एवं लिंग	श्रेणी एवं लिंग के आधार पर बालक–बालिकाओं का नामांकन तथा उपस्थिति									
		सामान्य		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनु0 जाति		अल्पसंख्यक वर्ग		कुल	
		नामा0	उप0	नामा0	उप0	नामा0	उप0	नामा0	उप0	नामा0	उप0
1	बालक	42 (8.59)	28 (8.48)	252 (51.53)	173 (52.42)	144 (29.45)	87 (26.36)	57 (11.66)	38 (11.52)	489 (100.00)	330 (100.00)
2	बालिका	67 (9.54)	57 (10.82)	354 (50.43)	269 (51.04)	209 (29.77)	148 (28.08)	74 (10.54)	55 (10.44)	702 (100.00)	527 (100.00)
	कुल	109 (9.15)	85 (9.92)	606 (58.88)	442 (51.58)	353 (29.64)	235 (27.42)	131 (11.00)	93 (10.85)	1191 (100.00)	857 (100.00)

नोट– कोष्ठक में लिखे गये अंक प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत – सर्वेक्षेत्र (2018–19)

तालिका संख्या 4.4 विद्यालय के जाति श्रेणी के आधार पर बालक–बालिकाओं का नामांकन तथा उपस्थिति के विवरण से संबंधित है। तालिका से स्पष्ट है कि विद्यालय के कक्षा पाँच तक के कक्षाओं में कुल नामांकित बालकों में से 8.59 प्रतिशत सामान्य जाति श्रेणी के, 51.53 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के 29. 45 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 11.66 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग के बालक है। यदि उपस्थिति का विवरण देखें तो कुल उपस्थित बालकों में से 8.48 प्रतिशत बालक सामन्य श्रेणी के थे। 52.42 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 26.36 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 11.52 प्रतिशत, अल्पसंख्यक वर्ग के बालक उपस्थित है। नामांकन एवं उपस्थिति में सर्वाधिक प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के बालकों का है।

इसी प्रकार यदि तालिका में बालिकाओं के नामांकन तथा उपस्थिति के विवरण देखे तो नामांकित बालिकाओं में से 9.54 प्रतिशत सामान्य जाति श्रेणी के, 50.43 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के, 29.77 प्रतिशत अनुसूचित जाति के तथा 10.54 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाएं शामिल है। तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि कुल उपस्थित बालिकाओं में से 10.82 प्रतिशत सामान्य श्रेणी की, 50.43 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 28.08 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 10.44 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाएं शामिल है। बालक–बालिकाओं के नामांकन के कुल योग से ज्ञात होता है कि कुल नामांकित बालक–बालिकाओं में 9.15 प्रतिशत सामान्य श्रेणी के, 58.88 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के 29.64 प्रतिशत अनुसूचिज ताति के तथा 11.00 अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे शामिल है। इसी प्रकार कुल उपस्थित बालक–बालिकाओं में 9.92 सामान्य श्रेणी के, 51.58 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग

के, 27.42 प्रतिशत अनुसूचित जाति के तथा 10.85 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग के बालक– बालिका शामिल है।

परिषदीय विद्यालयों की बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता का विवरण

तालिका संख्या 4.5 : जाति श्रेणी के आधार पर बालिकाओं का हिन्दी पढ़ने का ज्ञान

हिन्दी पढ़ने का ज्ञान	जाति श्रेणी के आधार पर बालिकाओं का हिन्दी पढ़ने का ज्ञान				
	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु0 जाति	अल्पसंख्यक वर्ग	कुल
अक्षर ज्ञान	14 (100.0)	60 (92.3)	37 (97.4)	13 (100.0)	124 (95.4)
शब्द ज्ञान	11 (78.5)	48 (73.8)	19 (50.0)	9 (69.2)	87 (66.9)
पैराग्राफ	10 (71.4)	38 (58.5)	14 (36.8)	6 (46.2)	68 (52.3)
कहानी	7 (50.0)	25 (38.5)	11 (28.9)	5 (38.5)	48 (36.9)

नोट– कोष्ठक में लिखे गये अंक प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत – सर्वेक्षेत्र (2018–19)

तालिका संख्या 4.5 विद्यालय में बालिकाओं द्वारा हिन्दी विषय को पढ़ने की ज्ञान के विवरण से सम्बन्धित है। तालिका में जाति श्रेणी के आधार पर

बालिकाओं के हिन्दी पढ़ने की समझ का परीक्षण किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के कुल सौ प्रतिशत बालिकाओं को अक्षर का ज्ञान (समझ) है ,जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 92.3 प्रतिशत बालिकाओं ने अक्षर को पढ़ा है। अनुसूचित जाति के 97.4 प्रतिशत बालिकाओं को अक्षर का ज्ञान (समझ) है ,वही अल्पसंख्यक वर्ग में 100 प्रतिशत बालिकाओं को अक्षर ज्ञान है। समस्त बालिकाओं में कुल 95.4 प्रतिशत बालिकाओं को अक्षर का ज्ञान है । सामान्य श्रेणी के 78.5 प्रतिशत बालिकाओं को शब्द ज्ञान है, वही अन्य पिछड़ वर्ग में 73.8 प्रतिशत बालिकाओं को शब्दों को पढ़ने की समझ है। अनुसूचित जाति की केवल 50 प्रतिशत बालिकाएं शब्द पढ़ पायी है।अल्पसंख्यक वर्ग में 69.2 प्रतिशत बालिकाओं ने शब्द पढ़े। समस्त बालिकाओं में से कुल 66.9 प्रतिशत बालिकाओं ने शब्द पढ़े। तालिका के विवरण से स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के 71.4 प्रतिशत बालिकाओं ने पैराग्राफ पढ़ा है, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग में 58.5 प्रतिशत बालिकाओं ने पैराग्राफ पढ़ा है, अनुसूचित जातियों की बालिकाओं में से 36.8 प्रतिशत ने पैराग्राफ को पढ़ा, वही अल्पसंख्यक वर्ग में 46.2 प्रतिशत बालिकाओं ने पैराग्राफ पढ़ा। कुल बालिकाओं में से 52.3 प्रतिशत ने पैराग्राफ पढ़ा। इसी प्रकार कहानी पढ़ने का विवरण देखा जाए तो 50 प्रतिशत सामान्य जाति श्रेणी की बालिकाओं ने कहानी पढ़ा, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग में 38.5 प्रतिशत बालिकाओं ने कहानी पढ़ा है। अनुसूचित जाति के 28.9 प्रतिशत बालिकाओं ने कहानी पढ़ा है। अल्पसंख्यक वर्ग के 38.5 प्रतिशत बालिकाओं ने कहानी पढ़ा है। इस प्रकार कुल संख्या का केवल 36.9 प्रतिशत बालिकाओं ने ही कहानी पढ़ा।

तालिका संख्या 4.6 : जाति श्रेणी के आधार पर बालिकाओं का अंग्रेजी पढ़ने का ज्ञान

अंग्रेजी पढ़ने का ज्ञान	जाति श्रेणी के आधार पर बालिकाओं का अंग्रेजी पढ़ने का ज्ञान				
	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु0 जाति	अल्पसंख्यक	कुल
बड़ी अक्षरों का ज्ञान	14 (100.0)	53 (81.5)	28 (73.7)	9 (69.2)	104 (80.4)
छोटी अक्षरों का ज्ञान	13 (92.1)	45 (69.2)	22 (57.9)	7 (53.8)	87 (66.9)
शब्द ज्ञान	7 (50.0)	11 (16.9)	5 (36.8)	2 (15.3)	25 (19.2)
पैराग्राफ	0 (0.0)	2 (3.1)	1 (2.6)	1 (7.7)	4 (3.1)
कहानी	0 (0.0)	2 (3.1)	1 (2.6)	1 (7.7)	4 (3.1)

नोट– कोष्ठक में लिखे गये अंक प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत – सर्वेक्षेत्र (2018–19)

तालिका संख्या 4.6 विद्यालय में बालिकाओं द्वारा अंग्रेजी विषय को पढ़ने की ज्ञान के विवरण से सम्बन्धित है। तालिका में जाति श्रेणी के आधार पर बालिकाओं के अंग्रेजी पढ़ने की समझ का परीक्षण किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि सामान्य जाति श्रेणी के समस्त सौ प्रतिशत बालिकाओं को अंग्रेजी में लिखावट के बड़ी अक्षरों का ज्ञान है.वही अन्य पिछड़ा वर्ग में 81.5:

प्रतिशत बालिकाओं को अंग्रेजी में लिखावट के बड़ी अक्षरों का ज्ञान है, अनुसूचित जाति 73.7 प्रतिशत तथा अल्पसंख्यक वर्ग में 69.2 प्रतिशत बालिकाओं को लिखावट के बड़ी अक्षरों को समझने तथा पढ़ने का ज्ञान है। इसी प्रकार सामान्य श्रेणी के 92.8 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के 69.2 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के 57.9 प्रतिशत तथा अल्पसंख्यक वर्ग 53.8 प्रतिशत बालिकाओं ने लिखावट के छोटी अक्षरों का ज्ञान है। शब्द ज्ञान की बात करे तो 50 प्रतिशत सामान्य 16.9 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, तथा 13.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 15.3 प्रतिशत अल्पंसख्यक वर्ग की बालिकाओं को शब्दों का ज्ञान है। तालिका के विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि सामान्य श्रेणी की कोई भी बालिका पैराग्राफ नहीं पढ़ पायी है तथा 3.1 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग 2.6 प्रतिशत अनुसूचित तथा 7.7 प्रतिशत अल्पसंख्यक पैराग्राफ को पढ़ सकती है। इसी प्रकार की स्थिति इन बालिकाओं की अंग्रेजी की कहानी पढ़ने की है। सामान्य श्रेणी की कोई भी बालिका कहानी नहीं पढ़ पायी है वही 3.1 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग 2.6 प्रतिशत अनुसूचित तथा 7.7 प्रतिशत अल्पसंख्यक बालिकाओं ने अंग्रेजी की कहानी को पढा़ है।

तालिका संख्या 4.7 : जाति श्रेणी के आधार पर बालिकाओं का गणितीय क्षमता का ज्ञान

गणितीय क्षमता का ज्ञान	जाति श्रेणी के आधार पर बालिकाओं का गणितीय क्षमता का ज्ञान				
	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु0 जाति	अल्पसंख्यक वर्ग	कुल
0–9 तक की संख्या का ज्ञान	14 (100.0)	53 (81.5)	37 (97.4)	12 (92.3)	116 (89.2)
10–99 तक की संख्याओं का ज्ञान	12 (85.7)	50 (76.9)	27 (71.1)	11 (84.6)	100 (76.9)
जोड़	11 (78.6)	49 (75.4)	28 (73.7)	11 (84.6)	99 (76.2)
घटाना	8 (57.1)	31 (47.7)	11 (29.0)	5 (38.4)	55 (42.3)
गुणा	6 (42.9)	13 (20.0)	5 (13.2)	2 (15.4)	26 (20.0)
भाग	5 (35.7)	13 (20.0)	5 (13.2)	2 (15.4)	25 (19.2)

नोट– कोष्ठक में लिखे गये अंक प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत – सर्वेक्षेत्र (2018–19)

तालिका 4.7 विद्यालय में बालिकाओं के गणितीय क्षमता का ज्ञान के परीक्षण से सम्बन्धित है। तालिका से स्पष्ट है कि 100 प्रतिशत सामान्य श्रेणी की बालिकाओं को 0–9 तक की संख्या का ज्ञान है तथा 85.7 अन्य पिछड़ा वर्ग

97.4 प्रतिशत अनुसूचति जाति तथा 92.3 प्रतिशत अल्पसंख्य वर्ग की बालिकाओं को 0–9 तक की संख्या का ज्ञान है वही 85.7 प्रतिशत सामान्य श्रेणी की बालिकाओं को 10–99 तक की संख्या का ज्ञान है तथा, 76 .9 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग 71.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 84.6 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को 10–99 तक की संख्याओं का ज्ञान है। तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि 78.6 प्रतिशत सामान्य 75.4 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 73.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 84.6 प्रतिशत बालिकाएं दो अंको के जोड़ को हल कर सकती है । इसी प्रकार यदि दो अंको के घटना की बात करे तो 57.1 प्रतिशत सामान्य श्रेणी, 47.7 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 29.0 प्रतिशत अनुसूचित जाति 38.9 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं ने घटना हल किया है ।तालिका में गुणा के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 42.9 प्रतिशत सामान्य, 20 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 13.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति 15.4 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग की बालिका ने गुणा को हल किया । यदि भाग की बात की जाए तो 35.7 प्रतिशत सामान्य, 20.0 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 13.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 15.4 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाएँ भाग को हल कर सकी।

तालिका संख्या 4.8 : विद्यालय में बुनियादी सुविधाओ की स्थिति एवं शिक्षक की गुणवत्ता का बालिकाओ की अधिगम गुणवत्ता से सम्बन्ध

	विद्यालय में बालिकाओ की अधिगम गुणवत्ता					
		खराब	अच्छा	कुल	χ^2 का मान	P का मान
बुनियादी सुविधाओ की स्थिति	खराब	50	7	57	2.89	0.002
	औसत	44	5	49		
	अच्छा	14	10	24		
	कुल	108	22	130		
शिक्षक की गुणवत्ता	खराब	27	7	34	1.592	0.451
	औसत	53	12	65		
	अच्छा	28	3	31		
	कुल	108	22	130		

स्रोत – सर्वेक्षेत्र (2018–19)

विद्यालय में बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता तथा बुनियादी सुविधाओं की स्थिति एवं शिक्षक की गुणवत्ता का सम्बन्ध दिखाया गया है। तालिका संख्या 4.8 विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति तथा शिक्षक की गुणवत्ता का बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव से सम्बन्धित है। तालिका से स्पष्ट है कि जिन विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं स्थिति अच्छी नहीं है। वहाँ के बालिकाओं को अधिगम गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है कुल 57 बालिकाओं में से केवल 7 बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता अच्छी है तथा 50 की खराब है। वहीं जिन विद्यालयों की स्थिति औसत है वहाँ 49 बालिकओं में से 44 खराब है तथा 5 की अच्छी है। जिन विद्ययालयों

की अधिगम गुणवत्ता की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति अच्छी है वहाँ की बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता भी अपेक्षाकृत अच्छी है। कुल 24 में से 10 बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता अच्छी नहीं है तथा 4 बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता अच्छी नहीं है। अर्थात् 130 बालिकाओं में से केवल 22 बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता अच्छी है। जबकि 108 की खराब है। जहाँ काई स्क्वायर का परीक्षण करने पर उसका मान 12.89 तथा P का मान 0. 002 है जो धनात्मक स्थिति को स्पष्ट करता है। P का मान उसके अनुकूलतम स्तर 0.05 से कम है। अतः विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं तथा बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता के बीच धनात्मक सम्बन्ध है।

इसी प्रकार यदि शिक्षक की गुणवत्ता एवं बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता के बीच सम्बन्ध का विश्लेषण करे तो यह स्पष्ट होता है कि ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है वहाँ 34 में से 27 बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता खराब है तथा केवल 7 बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता अच्छी है। वही यदि औसत शिक्षक गुणवत्ता वाले विद्यालयों की बात करें तो 65 में से 53 बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता अच्छी नहीं है तथा 12 की अच्छी है। अच्छी शिक्षक गुणवत्ता वाले विद्यालयों में 31 में से 28 बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता अच्छी नहीं है। केवल 3 बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता अच्छी है। यहाँ काई स्क्वायर का मान 1.592 है तथा P का मान 0.451 है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षक की गुणवत्ता एवं बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता के बीच विपरीत (नकारात्मक) सम्बन्ध है। क्योंकि यहाँ P का मान अपने अनुकूलतम वैल्यू से अधिक है।

तालिका संख्या 4.9 : बालिकाओं के अभिभावकों की सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता से सम्बन्ध

	विद्यालय में बालिकाओ की अधिगम गुणवत्ता					
		खराब	अच्छी	कुल	χ^2 का मान	P का मान
आय	आय ≤ 5000	65	4	69	12.9479	0.001
	आय ≥ 5001+	43	18	61		
	कुल	108	22	130		
माता की शिक्षा	अशिक्षित	59	0	59	35.392	0.001
	प्राथमिक	21	2	23		
	उच्च प्राथमिक	8	4	12		
	हाईस्कूल	17	12	29		
	इंटरमीडिएट	3	4	7		
	कुल	108	22	130		
पिता की शिक्षा	अशिक्षित	33	0	33	45.753	0.001
	प्राथमिक	30	1	31		
	उच्च प्राथमिक	19	1	20		
	हाईस्कूल	19	8	27		
	इंटरमीडिएट	6	8	14		
	स्नातक	1	4	5		
	कुल	108	22	130		
माता का व्यवसाय	कृषि	23	0	23	6.462	0.167
	मजदूरी	13	2	15		
	निजी नौकरी	3	1	4		
	व्यवसाय	1	0	1		
	गृहिणी	68	19	87		
	कुल	108	22	130		
पिता का व्यवसाय	कृषि	33	8	41	8.216	0.145
	मजदूरी	43	5	48		
	सरकारी नौकरी	0	1	1		
	निजी नौकरी	7	2	9		
	व्यवसाय	20	6	26		
	बेरोजगार	5	0	5		
	कुल	108	22	130		
परिवार के सदस्यों की संख्या	सदस्यों की संख्या ≤ 5	27	7	34	.542	0.462
	सदस्यों की संख्या ≥ 5	81	15	96		
	कुल	108	22	130		
परिवार का स्वरुप	एकांकी परिवार	50	13	63	1.198	0.274
	संयुक्त परिवार	58	9	67		
	कुल	108	22	130		

स्रोत – सर्वेक्षेत्र (2018–19)

तालिका संख्या 4.9 विद्यालय में बालिकाओं की अभिभावकों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता से संबंध को स्पष्ट करती है। इस तालिका में विद्यालय में बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता तथा अभिभावकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के बीच संबंध को दिखाया गया है ।उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिन अभिभावकों की आय 5000 से कम है उन बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता अच्छी नहीं है। कुल 69 बालिकाओं के अभिभावकों की आय 5000 से कम है जिनमें से 65 बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता खराब है ,तथा 4 बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता अच्छी पायी गई है। इसी प्रकार जिन अभिभावकों की आय 5000 से अधिक है, उनमें से अधिकांश बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता भी अच्छी है, कुल 61 बालिकाओं के अभिभावकों की आय 5000 से अधिक हैं जिनमें से 43 बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता खराब है तथा 18 बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता अच्छी है अतः यह स्पष्ट है कि जिन अभिभावकों की आय 5000 से अधिक है उनके बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता भी अच्छी है। अतः कुल 130 में से 108 बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता खराब है तथा केवल 22 बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता अच्छी हैं अतः हम कह सकते हैं कि जिन बालिकाओं के अभिभावकों की आय अच्छी है, उन बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता भी अच्छी है ।यहां काई स्क्वायर का परीक्षण करने पर उसका मान 12.9479 तथा P का मान 0.001 है जो धनात्मक स्थिति को स्पष्ट करता है क्योंकि P का मान उसके अनुकूलतम स्तर 0.05 से कम है। अतः अभिभावकों की आय तथा बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता के बीच धनात्मक संबंध है।

तालिका संख्या 4.9 से स्पष्ट है कि अभिभावकों की शैक्षणिक स्थिति का प्रभाव भी बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता पर पड़ता है। माता की शिक्षा का विवरण देखें तो यह स्पष्ट होता है कि 59 माताएं अशिक्षित है जिनके सभी 59 बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता खराब है। इसी प्रकार प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त माताओं में से 21 बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता खराब है, केवल दो बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता अच्छी है। कुल 12 माताएं उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की हैं जिनमें से 8 की बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता खराब है तथा 4 की अधिगम गुणवत्ता अच्छी है। हाईस्कूल स्तर की शिक्षा प्राप्त 29 माताओं में से 17 की बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता खराब है तथा केवल 12 बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता अच्छी है, वहीं यदि इंटरमीडिएट स्तर की माताओं की शिक्षा की बात करें तो 7 माताओं में से केवल 3 माताओं की बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता खराब है तथा 4 की अच्छी है अतः कुल 130 में से 108 बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता खराब है तथा केवल 22 बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता अच्छी है। जहां काई स्क्वायर के परीक्षण करने पर उसका मान 35.392 तथा P का मान 0.001 है जो धनात्मक स्थिति को दर्शाता है क्योंकि P का मान उसके अनुकूलतम स्तर 0.05 से कम है। अतः विद्यालय की माता की शिक्षा तथा बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता के बीच धनात्मक संबंध है।

इसी प्रकार पिता के शिक्षा तथा बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता का संबंध देखने से ज्ञात होता है कि कुल 33 अशिक्षित पिता के सभी बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता खराब है, वही 31 प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त पिता के बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता का निरीक्षण करें तो ज्ञात होता है कि उनमें से 30 बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता खराब है, केवल एक बालिका

के अधिगम गुणवत्ता अच्छी है। उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षा प्राप्त करने वाले पिता की संख्या 20 है जिनमें से 19 की बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता खराब है तथा केवल एक बालिका की अधिगम गुणवत्ता अच्छी है, 27 हाईस्कूल स्तर के शिक्षा प्राप्त पिताओं में से 19 बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता खराब है तथा 8 की अधिगम गुणवत्ता अच्छी है। इसी प्रकार इंटरमीडिएट स्तर के शिक्षा प्राप्त करने वाले पिताओं की संख्या 14 है, जिसमें से 6 की बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता खराब है तथा 8 लोगों की बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता अच्छी है। स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले पिताओं की संख्या 5 है जिसमें केवल एक बालिका की अधिगम गुणवत्ता खराब है, 4 बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता अच्छी है। जहां काई स्क्वायर के परीक्षण करने पर उसका मान 45.753 तथा P का मान 0.001 है जो धनात्मक स्थिति को दर्शाता है क्योंकि P का मान उसके अनुकूलतम स्तर 0.05 से कम है। अतः विद्यालय की पिता की शिक्षा तथा बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता के बीच धनात्मक संबंध है। जो यह दिखाता है कि बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता पर माता–पिता की शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव है।

तालिका संख्या 4.9 यह प्रदर्शित करता है कि माता–पिता के व्यवसाय का बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि माता के व्यवसाय की P वैल्यू का मान 0.167 तथा पिता के व्यवसाय की P का मान 1.45 है जो P की अनुकुलतम स्तर 0.05 के मान से अधिक है। इसी प्रकार परिवार के सदस्यों की संख्या जहां पाँच से कम तथा 5 से अधिक सदस्य है और परिवार के प्रकार चाहे संयुक्त परिवार हो या एकाकी परिवार हो,

बालिकाओ की अधिगम गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि यहां P का मान क्रमशः 0.46 तथा 0.274 है, जो P की अनुकुलतम स्तर 0.05 के मान से अधिक है।

अधिगम गुणवत्ता को बढ़ाने मे हितधारकों की भूमिका

प्रधानाध्यापक के साथ गहन साक्षात्कार

प्रश्न–सर्व शिक्षा अभियान बालिकाओं की शिक्षा के विकास में किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ है?

उत्तर–प्रस्तुत शोध अध्ययन के अनुसार अधिकांशतः प्रधानाध्यापकों का यह मानना है कि सर्व शिक्षा अभियान बालिकाओं की शिक्षा के विकास में बहुत महत्वूपर्ण योगदान दे रहा है। आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को मुफ्त, किताबे, वर्दी, तथा अन्य सुविधायें मिलने से उनका नामांकन बढ़ा है। विद्यालय घर के पास होने से बालिकाओं का विशेष तौर से नामांकन बढ़ा है। विद्यालय की बुनियादी सुविधाएं जैसे बालक–बालिका के लिए अलग–अलग शौचालय, खेल सामग्री मिलने से भी बालिकाओं को प्रोत्साहन मिला है। महिला शिक्षक की नियुक्ति भी बालिका शिक्षा में मददगार सिद्ध हो रही है। कुछ प्रधानाध्यापकों का यह भी मानना है कि यह अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा के विकास में अधिक सहायक सिद्ध हुआ है। उनके अनुसार विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी हुई है। योग्य शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

प्रश्न– सर्व शिक्षा अभियान का बालिकाओं के नामांकन पर क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर– प्रस्तुत शोध अध्ययन के अनुसार अधिकांशतः प्रधानाध्यापकों का यह मानना है कि सर्व शिक्षा अभियान का बालिकाओं के नामांकन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह अभियान बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दे रहा हैं तथा अधिकांशतः नामांकित बालिकाएं समय से विद्यालय में आती है।

प्रश्न– आप विद्यालय में बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने के लिए क्या सुझाव देगें ?

उत्तर–विद्यालयों में किये गये इस शोध अध्ययन से यह पता चलता है कि अधिकांश प्रधानाध्यापकों का विचार है कि बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने के लिए विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाए। जैसे बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर, अलग से बालिका शौचालय, साफ पेयजल खेल का मैदान, पुस्तकालय तथा आवश्यक किताबें उपलब्ध हो। प्रधानाध्यापकों का यह भी सुझाव है कि शिक्षकों की संख्या, विशेष तौर महिला शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाए। शिक्षकों के द्वारा बालिकाओं के अभिभावकों को जागरूक किया जाए। जागरूकता रैली निकाली जाये। अवैध रूप से चल रहे निजी विद्यालयों को बंद किया जाए। बालिका शिक्षा के प्रति समाज को जागरूक किया जाए तथा बालिकाओं के शिक्षित होने के महत्व से उनको अवगत कराये जाए सभी बालिकाएँ विद्यालय में प्रवेश ग्रहण कर सकेगी।

प्रश्न–सर्व शिक्षा अभियान का बालिकाओं की उपस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर– प्रस्तुत शोध अध्ययन के अनुसार अधिकांशतः प्रधानाध्यापकों का यह मानना है कि सर्व शिक्षा अभियान का बालिकाओं की उपस्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जबकि 50 प्रतिशत का मानना है कि इस कार्यक्रम का बालिकओं की उपस्थिति पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है। इन सभी में से किसी ने भी नकारात्मक प्रभाव का विवरण नहीं दिया है।

प्रश्न–विद्यालय में बालिकाओं की उपस्थिति बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए?

उत्तर–प्रस्तुत शोध अध्ययन के विवरण से स्पष्ट है कि अधिकांशतः प्रधानाध्यापकों का मानना है कि विद्यालय के संसाधनों में वृद्धि की जाए। विद्यालय की कायाकल्प योजना शुरू की जाए जिससे विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि हो सके। कुछ विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के अनुसार पेयजल, शौचालय की सफाई नियमित रूप से करने की सुविधा प्रदान की जाए। बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय हो। पुस्तकालय तथा पुस्तके उपलब्ध हो। खेल का मैदान तथा खेल सामग्री उपलब्ध हो। शिक्षकों से शिक्षणेत्तर कार्यों में अधिक सहयोग न लिया जाए। प्रधानाध्यापकों का यह भी कहना है कि बालिकाओं के अभिभावकों को उनसे घरेलू काम, खेल तथा छोटे भाई बहनों की देखभाल के काम न लिया जाए तथा उन्हें समय से विद्यालय में भेजे। शिक्षण को रूचिकर बनाया जाए।

प्रश्न–बालिकाओं में अधिगम की गुणवत्ता कम क्यों हो रही है ?

उत्तर–प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट है कि अधिकांशतः प्रधानाध्यापकों के अनुसार बालिकाओं में अधिगम गुणवत्ता की कमी का प्रमुख कारण विद्यालयों में उनकी अनुपस्थिति से है। अभिभावक बच्चों को पढ़ाई का समय एवं सहयोग नहीं देते है। सरकार द्वारा समय से किताबे तथा अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं करायी जाती है। विद्यालयों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या नहीं है। बालिकाएं नियमित रूप से विद्यालय में नहीं आती है। अभिभावकों द्वारा बच्चों से घरेलू काम लिया जाते हैं। विद्यालय में आधारभूत संरचना की कमी। अशिक्षित परिवारों के बच्चों को सीखने में परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक जिम्मेदार है।

प्रश्न–बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता में सुधार कैसे किया सकता है?

उत्तर–प्रस्तुत अध्ययन के चयनित विद्यालयों के अधिकांशतः प्रधानाध्यापकों ने बताया कि बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता में सुधार के लिए अभिभावकों को जागरूक किया जाए कि वे अपनी बालिकाओं को समय से तथा नियमित रूप से विद्यालय भेजे तथा पढ़ाई में सहयोग करें। अधिक घरेलू कार्य न लिया जाए। सरकार द्वारा विद्यालय को कुछ आधारभूत सुविधाएं जैसे विद्यालयो में फर्नीचर, टी.एल.एम., तथा समय पर पुस्तके विद्यालय में उपलब्ध कराई जाएँ।

शिक्षकों के साथ केन्द्रित समूह चर्चा

प्रश्न–सर्व शिक्षा के द्वारा विद्यालय की शैक्षणिक स्थिति में क्या–क्या परिवर्तन हुआ है?

उत्तर– प्रस्तुत शोध अध्ययन के चयनित विद्यालयों की अधिकांशतः शिक्षकों ने बताया है कि बालिकाओं का नामांकन बढ़ रहा है उनकी उपस्थिति में भी पहले की तलना में अधिक वृद्धि हुई है। आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को लाभ मिल रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा विद्यालय की आधारभूत संरचना में भी बदलाव आया है। अब प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षकों की नियुक्ति पर बल दिया जा रहा है। सामुदायिक भागीदारी बढ़ी है। लोग बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे है।

प्रश्न– विद्यालय में बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने के लिए आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे है?

उत्तर– प्रस्तुत शोध अध्ययन के चयनित विद्यालयों की अधिकांशतः शिक्षकों ने बताया है कि विद्यालय में बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, बालिकाओं के अभिभावकों को बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में बताकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है, बालिकाओं के लिए विद्यालय में अलग से शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी गई है, चयनित विद्यालयों की अधिकांश महिला शिक्षकों ने बताया कि वह बालिकाओं के पढ़ने–लिखने में यथासंभव सहयोग करती है, तथा बालिकाओं के माता–पिता को उन्हें शिक्षित करने के लिए जागरूक करती है, और उन्हें बताती हैं कि अपने बच्चों को शिक्षित करना सभी माता–पिता का कर्तव्य है तथा उन्हें

शिक्षा के महत्व का भी अहसास कराया जाता है। समाज को बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है

प्रश्न–आप लोगों के द्वारा बालिकाओं की उपस्थिति बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

उत्तर–शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकांशतः शिक्षकों ने बताया कि वह बालिकाओं के अभिभावकों को उनकी शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। कक्षा शिक्षण को रूचिकर बनाकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। कुछ शिक्षकों का मानना है कि वह बालिकाओं के लिए विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, आदि बनवाने पर बल दे रहे है।

प्रश्न–आप बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता से संन्तुष्ट है ? यदि असन्तुष्ट है तो कारण बताइए ?

उत्तर– शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकांशतः शिक्षकों ने बताया कि बालिकाओं के अभिभावक उन्हें समय से एवं नियमित विद्यालय नही भेजते हैं, उन्हें घरेलू तथा खेती–किसानों के कार्यों में लगाया जाता है। अशिक्षा तथा गरीबी के कारण अभिभावक अपनी बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अधिकांश शिक्षकों का यह भी मानना है कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, शिक्षकों को शिक्षणेत्तर कार्यों में लगाना भी अधिगम में कमी का प्रमुख कारण है। विद्यालय में शिक्षण अधिगम सामग्री की भी कमी है। शिक्षा की नयी तकनीक उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न –बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता में सुधार कैसे किया जा सकता है ?

उत्तर–प्रस्तुत शोध अध्ययन के चयनित विद्यालय के अधिकतर शिक्षकों का मानना है कि बालिका नियमित एवं समय से विद्यालय में नहीं आती है, अतः उनके अभिभावकों को नियमित एवं समय से विद्यालय में भेजने के लिए प्रेरित किया जाता है। विद्यालय के वातावरण को शिक्षा के योग्य बनाकर शिक्षण को बाल केंद्रित एवं रुचिकर बनाकर पढ़ाया जाता है। सभी को विद्यालय में समय से किताबें, वर्दी एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। अभिभावकों को समय–समय पर बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है कुछ शिक्षकों का यह भी मानना है कि शिक्षणेत्तर कार्यों की अधिकता होने के कारण वह विद्यालय के शिक्षण के लिए कम समय निकाल पाते है, अतः इसका भी बच्चों की अधिगम गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है

विद्यालय प्रबंध समिति के साथ केन्द्रित समूह चर्चा

प्रश्न–विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर– प्रस्तुत शोध अध्ययन से स्पष्ट है कि अधिकाशतः समिति के सदस्यों का मानना है कि सर्व शिक्षा अभियान का विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पिछड़े वर्गों के बच्चों को विशेष लाभ हुआ है। निःशुल्क शिक्षा एवं शिक्षण सामग्री के मिलने से इनको आर्थिक रूप से मदद मिली है। अधिकतर सदस्यों ने यह भी माना कि योग्य शिक्षकों की नियुक्ति से बच्चों की पढ़ाई बेहतर हुई है। बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

प्रश्न– यदि आपके विद्यालय की बुनियादी सुविधाएं सही नहीं हैं तो आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है?

उत्तर–शोध अध्ययन के विवरण से स्पष्ट है कि कुछ विद्यालय के समिति के सदस्यों ने बताया कि विद्यालय में बुनियादी सुविधाएँ, अच्छी नहीं होने की स्थिति में हम उन समस्याओं पर मीटिंग में चर्चा करते हैं तथा उन्हें प्रशासन के सामने रखने पर हर सम्भव प्रयास किया जाता है।

प्रश्न–विद्यालय में नामांकन बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए?

उत्तर–अध्ययन के विवरण से स्पष्ट है कि अधिकतर विद्यालयों के समिति के सदस्यों ने बताया की नामांकन बढ़ाने के लिए विद्यालय की सभी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना चाहिए। शिक्षकों को बच्चों की शिक्षण को रूचिकर बनाना चाहिए उन्हें बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा का महत्व समझाना चाहिए। प्रधानाध्यपकों को विद्यालय को हर सम्भव सुव्यवस्थित रखने का प्रयास करना चाहिए।

प्रश्न–विद्यालय में उपस्थिति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए ?

उत्तर– प्रस्तुत शोध अध्ययन के चयनित विद्यालयों के अधिकतर विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का मानना है कि विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाने के लिए उसकी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना होगा। शौचालय एवं पेयजल की साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। बच्चों के लिए समय–समय पर खेल कूद का आयोजन करना चाहिए। विद्यालय में बालिकाओं की उपस्थिति बढ़ाने के लिए उनके अभिभावकों को जागरूक करना चाहिए, कि वह बालिकाओं को घरेलू कार्यों एवं खेती–किसानी के कार्यों से मुक्त रखें जिससे वह समय से एवं नियमित रूप से विद्यालय में आ

सके। शिक्षकों को पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित एवं रुचिकर बनाकर पढ़ाना चाहिए। समाज को भी बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए।

प्रश्न–बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता में कमी के क्या कारण है?

उत्तर– प्रस्तुत शोध अध्ययन के चयनित विद्यालयों की अधिकांश विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का मानना है कि शिक्षक बच्चों की पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं लेते है। वह समय से विद्यालय में नहीं आते है, अभिभावकों द्वारा भी बालिकाओं की शिक्षा में कोई विशेष रूचि नहीं ली जाती है। अभिभावक बालिकाओं को समय से एवं नियमित रूप से विद्यालय में नहीं भेजते है, उन्हें घरेलू एवं खेती किसानी के कार्य में लगाया जाता है, तथा छोटे भाई–बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होती है। घर पर पढ़ाई का वातावरण एवं उचित सहयोग नहीं मिलता है ।विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं है। प्रत्येक कक्षा के लिए पर्याप्त कमरे, खेल का मैदान, पुस्तकालय, विद्यालय की चारदीवारी, शौचालय, पेयजल की साफ–सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक कक्षा के लिए शिक्षकों की कमी है, महिला शिक्षकों का अभाव है। यह सभी कारण बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता में कमी कर रही है।

ग्राम प्रधान के साथ गहन साक्षात्कार

प्रश्न–विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान का क्या प्रभाव पड़ा है ?

उत्तर– प्रस्तुत शोध अध्ययन में अधिकांशतः ग्राम प्रधानों ने यह स्वीकार किया कि सर्व शिक्षा अभियान का विद्यालयों की शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। गरीब छात्रों का आसानी से मिल रही हैं मुफ्त शैक्षणिक सुविधाएं मिलने से खास तौर से गरीब परिवार की बालिकाओं को शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं में कमी आयी है। आर्थिक रूप से पिछड़े, परिवार के बच्चों की शिक्षा में सुधार हुआ है।

प्रश्न– विद्यालय में बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए?

उत्तर– प्रस्तुत शोध अध्ययन में शामिल ग्राम पंचायतों के अधिकतर ग्राम प्रधानों का मानना है कि विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं में उचित मात्रा में वृद्धि किया जाए । शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्यों में रुचि लेना चाहिए। अभिभावकों को भी अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। सरकारी विद्यालयों में भी निजी विद्यालयों जैसी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाए। समय–समय पर बालिका शिक्षा के महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। बच्चों के अभिभावकों को उनके शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना चाहिए।

प्रश्न–विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं में क्या–क्या परिवर्तन किया जा सकता है?

उत्तर–प्रस्तुत अध्ययन में रायबरेली जनपद के सरेनी प्रखण्ड के चयनित पंचायतों के ग्राम प्रधानों के अनुसार विद्यालयों की बुनियादी सुविधाएं संतोषजनक नहीं है तथा इसमें सुधार की आवश्यकता है। अधिकांशतः ग्राम प्रधानों ने बताया कि विद्यालय में शौचालय तथा पेयजल की व्यवस्था असंतोषजनक है। शौचालयों का उपयोग एवं साफ–सफाई की व्यवस्था की जाए। विद्यालयों में साफ पानी की व्यवस्था की जाए। बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। गर्मियों के लिए पंखों की व्यवस्था हो। कुछ कमरे की व्यवस्था की जाए तथा जहां बालक–बालिका के लिए अलग–अलग शौचालय नहीं है वहां शौचालय की व्यवस्था की जाए। बच्चों को खेलने के लिए खेल का मैदान तथा खेल सामग्री की व्यवस्था की जाए।

प्रश्न– बालिकाओं की शिक्षा के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए ?

उत्तर– प्रस्तुत शोध अध्ययन के चयनित विद्यालयों की ग्राम पंचायतों के अधिकांशतः ग्राम प्रधानों का मानना है कि बालिकाओं के शिक्षा के प्रति समाज जागरुक नहीं है, इसके लिए समय–समय पर समाज को बालिकाओं की शिक्षा के महत्व के बारे में अवगत कराया जाता है तथा उन्हें सरकार द्वारा चलायी जाने वाली शिक्षा के विशेष योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है।

माता–पिता के साथ केन्द्रित समूह चर्चा

प्रश्न–आप अपनी बालिका को परिषदीय विद्यालय में क्यों भेजती है?

उत्तर–अध्ययन के विवरण से ज्ञात होता है कि अभिभावकों के पास अपनी बालिका को परिषदीय विद्यालयों में भेजने के अनेक कारण उपलब्ध है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के गरीबी प्रमुख कारण है। अधिकांशतः अभिभावकों ने यह बताया कि उनके पास निजी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए अपनी बालिकाओं को परिषदीय विद्यालयों में भेजते हैं। कुछ अभिभावकों ने बताया कि उनके गाँव में निजी विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा वह उनके निवास स्थान से दूर है। इसके अलावा परिषदीय विद्यालयों में सभी शिक्षण सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध है।

प्रश्न–सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा आपकी बालिका की शिक्षा में क्या–क्या सुधार हुआ है?

उत्तर–अध्ययन के विवरण से यह स्पष्ट है कि अधिकाशतः माता–पिता को सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। परन्तु विद्यालय में मिलने वाली निःशुल्क सुविधाओं से उनकी बालिकाओं को शिक्षित करना सम्भव हुआ है। अधिकतर अभिभावकों ने स्वीकार किया कि विद्यालय से मिलने वाली निःशुल्क सुविधाएं उनके बच्चों की शिक्षा में काफी मददगार सिद्ध हुई है तथा वो अपनी बालिकाओं को शिक्षित कर पाये हैं।

प्रश्न– क्या आप लोग बालिकाओं को घर में पढ़ाई का वातावरण एवं सहयोग देते हैं?

उत्तर– शोध अध्ययन के विवरण से यह सिद्ध होता है कि लगभग समस्त अभिभावक बालिकाओं को घर में पढ़ने–लिखने का वातावरण उपलब्ध कराते हैं तथा समय–समय पर उन्हें पढ़ाई में सहयोग भी देते हैं। उन्हें समय से विद्यालय भेजते है।

प्रश्न– क्या बालिकाओं को घरेलू एवं खेती किसानी के कार्यों में लगाया जाता है?

उत्तर– प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष से यह ज्ञात हुआ है कि अधिकांश अभिभावक यह मानते हैं कि वह बालिकाओं से घरेलू या खेती किसानी का काम नहीं लेते हैं तथा उन्हें समय से विद्यालय में भेजते हैं और उनकी पढ़ने लिखने में मदद करते हैं। परन्तु कुछ अभिभावकों विशेषकर एकांकी परिवारो ने स्वीकार किया कि वह कभी–कभी बालिकाओं से घरेलू कार्य कराते है।

प्रश्न– क्या आप विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं से सन्तुष्ट है?

उत्तर– शोध अध्ययन से स्पष्ट है कि लगभग आधे से अधिक अभिभावक विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं से संतुष्ट नहीं है उनके अनुसार विद्यालयों में शौचालय एवं पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं है, वही बच्चों को खेलने के लिए खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है। विद्यालयों में चहार दीवारी की सुविधा नहीं उपलब्ध है। अधिकांश विद्यालयों में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बच्चों के लिए खेलों का आयोजन नहीं किया जाता है।

प्रश्न– क्या बालिकाओं को विद्यालय द्वारा समय से किताबें एवं वर्दी उपलब्ध करायी जाती है?

उत्तर– शोध अध्ययन के अभिभावकों के साक्षात्कार से सम्बन्धित प्रश्नों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि अधिकाशतः अभिभावकों का मानना है कि

विद्यालय द्वारा समय से किताबें एवं वर्दी उपलब्ध नहीं करायी जाती है तथा बच्चों को कुछ, महीनों तक इसी प्रकार विद्यालय जाना पड़ता है। उनके पढ़ाई का काफी नुकसान होता है। बालिकाएं पुस्तकों के अभाव में पाठ्यक्रम को समझ नहीं पाती है। ठण्डी और सेक्टर भी समय से उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्याय परिषदीय विद्यालयों के बालिकाओं के अभिभावकों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति तथा बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता से संबंधित है। अध्याय के तथ्यों से स्पष्ट है कि चयनित विद्यालयों में मुख्य रूप से हिन्दू तथा मुस्लिम धर्म की बालिकाएं अध्ययनरत है। जिसमें 90 प्रतिशत हिन्दू तथा 10 प्रतिशत मुस्लिम बालिकाएं है। श्रेणी के आधार पर स्पष्ट करें तो सामान्य श्रेणी के 10.8, अन्य पिछड़ा वर्ग की 50 प्रशित तथा अनुसूचित जाति की 29 प्रतिशत बालिकाएं शामिल है। मासिक आय का विश्लेषण करे तो 53.08 प्रतिशत अभिभावको की आय 5000 से कम है तथा केवल 0.77 प्रतिशत की आय 15000 से अधिक है। इसी प्रकार यदि अभिभावकों की शिक्षा का विश्लेषण करें तो यह ज्ञात होता है कि 24.6 प्रतिशत पिता तथा 45.4 प्रतिशत माता निरक्षर है, वही 24.6 प्रतिशत पिता तथा 17.7 प्रतिशत माता प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की है इसी प्रकार 15. 4 प्रतिशत पिता तथा 9.2 प्रतिशत माताएं उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की है। बहुत ही कम संख्या में अभिभावक स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त किये हैं। अतः यह स्पष्ट है कि अभिभावकों की शैक्षिक स्तर अच्छी नहीं है। वहीं यदि उनके व्यवसाय का विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि

सबसे अधिक अभिभावको का व्यवसाय कृषि तथा मजदूरी है। वहीं अधिकांश माताए गृहणी है, केवल 0.8 प्रतिशत पिता की सरकारी नौकरी है।

यदि बालक–बालिकाओं की नामांकन एवं उपस्थिति का विवरण देखें तो यह श्रेणी एवं लिंग के आधार पर किया गया है। इसके विवरण`स स्पष्ट है कि कुल बालकों में से 8.59 प्रतिशत सामान्य जाति के हैं जिसमें से 8.48 प्रतिशत उपस्थित है। 51.53 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 29.45 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 11.66 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग के बालक नामांकित है। इसी प्रकार 9.54 प्रतिशत सामान्य श्रेणी, 50.43 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 29.77 प्रतिशत अनुसूचित तथा 10.54 प्रतिशत अल्पसंख्याक वर्ग की बालिकाएं नामांकित हैं। यदि बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करें तो ज्ञात होता है कि 95.4 प्रतिशत बालिकाओं को अक्षर ज्ञान, 66.9 प्रतिशत को शब्द ज्ञान है। इसी प्रकार 52.3 प्रतिशत पैराग्राफ तथा 36.9 प्रतिशत बालिकाएं कहानी पढ़ सकती हैं। यदि बालिकाओं के अंग्रेजी पढ़ने का ज्ञान का विश्लेषण करें तो 80.4 प्रतिशत बालिकाओं को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का ज्ञान 66.9 प्रतिशत को छोटी अक्षरों का ज्ञान तथा 19.2 प्रतिशत को शब्द का ज्ञान है तथा 3.1 प्रतिशत बालिकाएं पैराग्राफ और कहानी पढ़ सकती हैं। गणितीय क्षमता के ज्ञान का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि 89.2 प्रतिशत बालिकाओं को 0–9 तक की संख्याओं का ज्ञान है, 76.9 प्रतिशत को 10–99 तक की संख्या का ज्ञान है। इसी प्रकार 76.2 प्रतिशत जोड़, 42.3 प्रतिशत घटाना, 20 प्रतिशत गुणा तथा 19.2 प्रतिशत भाग को हल कर सकती है। अगले अध्याय में विभिन्न अध्यायों से संबंधित निष्कर्ष एवं सुझाव को प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय–5

निष्कर्ष
एवं सुझाव

प्रस्तुत शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि किसी भी देश की समृद्धि एवं विकास में वहां की प्राथमिक शिक्षा की प्रगति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करती है। इस प्रकार शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए देश में सभी स्तरों पर शिक्षा की समुचित व्यवस्था और सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गो के विकास एवं पूर्ण साक्षरता की प्राप्ति के लिए संविधान में शिक्षा से संबंधित अनेक प्रावधान का निर्माण किया गया। इसके अंतर्गत देश के समस्त बच्चों के लिए संविधान लागू होने के 10 वर्षो के अंदर निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सभी को शिक्षा के समान अवसर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, हिंदी भाषा का विकास तथा मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए अनेक प्रावधान बनाए गए है। संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 (भाग 4) में प्रत्येक राज्य को 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। निर्धारित लक्ष्यों को तीव्र गति से पूरा करने के लिए संसद द्वारा सन 2002 में 86 वें संविधान संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है।

संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत की गई व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के साथ–साथ शिक्षा के सभी स्तरों पर मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक आयोग,

समितियों योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संचालन के माध्यम से अनेक प्रयास किए गए, इसके तहत उच्च शिक्षा के लिए राधाकृष्णन आयोग (1948–49) माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार के लिए मुदालियर आयोग (1952–53) का गठन किया गया । इसी प्रकार कोठारी आयोग (1964–66) ने शिक्षा के प्रत्येक स्तर का विस्तृत अध्ययन किया और 10+2+3 शिक्षा प्रणाली, प्राथमिक शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा, शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, कंप्रिहेंसिव विद्यालय, त्रिभाषा सूत्र, पत्राचार पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु अनेक सुझाव दिए। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति(1986) की घोषणा की गई इसके अंतर्गत देश में पाठ्यक्रम/शैक्षिक अवसरों की समरूपता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली अर्थात कोर पाठ्यक्रम की संकल्पना, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, तकनीक एवं व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, अखिल भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, ग्रामीण बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना, महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों की शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की उचित व्यवस्था करना इस शिक्षा नीति के प्रमुख तत्व है।

नई शिक्षा नीति 1986 में यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 5 वर्षों में इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा कई समितियों का गठन भी किया गया। इसी कड़ी में श्री जनार्दन रेड्डी के अध्यक्षता में 'कैब कमेटी' का गठन किया गया, जिसके द्वारा प्रस्तुत सुझाव को संशोधित शिक्षा नीति (1992) अर्थात कार्य योजना (1992) भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत अनेक सुझाव

प्रस्तुत किए गए। शिक्षा के क्षेत्र का सार्वभौमीकरण करने तथा सामाजिक एवं लैंगिक असमानता को दूर करने, देश के सभी बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों की भी घोषणा की, इसके अंतर्गत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1994), सर्व शिक्षा अभियान (2001), कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (2004), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (2009), राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (2013), आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल है।

इन्हीं कार्यक्रमों के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान की शुरूआत एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 2001 में की गयी। इसका प्रमुख उद्देश्य 2010 तक 6–14 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। सर्वशिक्षा अभियान अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में काफी हद तक सफल रहा है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी सामने आयी है। यह कार्यक्रम बुनियादी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का कार्य करता है। सर्व शिक्षा अभियान में लैंगिक तथा सामाजिक भेदभाव को समाप्त कर देश के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण तथा जीवनोपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराने का सार्थक प्रयास किया है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। तथा बीच में विद्यालय छोड़ने का सिलसिला भी कम हुआ है। विद्यालयों के आधारभूत ढांचे का विकास किया गया है। विद्यालय विहीन क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना, पुराने विद्यालय भवनों की मरम्मत, पेयजल, शौचालय की सुविधा, मुक्त पुस्तकें, वर्दी,जूते–मोजे तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी है। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के 12 राज्यों में बच्चों में विद्यालय छोड़ने (ड्राप आउट) की दर में कमी आयी है।

हालांकि सर्व शिक्षा अभियान देश के कई राज्यों में पिछले कई वर्षों से चलाया जा रहा है, प्रदेश के सभी बालक–बालिका शिक्षित हो, इसके लिए सरकार द्वारा मोटी धन राशि भी व्यय की जा रही है लेकिन इस योजना में कही न कहीं समन्वय की कमी देखने को मिलती है। कई स्वयंसेवी संस्थाएं इस अभियान को सफल बनाने में योगदान कर रही है, परन्तु अभी भी शिक्षा का प्रवाह नगर और शहरों तक ही सिमट कर रह गया है। गावों, आदिवासी सूदूर अंचलों में सरकार के सर्व शिक्षा अभियान का असर पूर्ण रूप से नहीं पड़ा है। गौर से देखा जाए तो इसमें कुछ दोष नजर आते है। प्राथमिक विद्यालय अपेक्षित रूप से अपने काम का दायित्व पूरा नहीं कर पा रहे है। ये विद्यालय अपनी अधिगम एवं जनसंपर्क में आने वाले कठिनाइयों पर विचार–विमर्श न करके सरकारी परिपत्रों के वाचन एवं विद्यालय प्रदत्त विभिन्न मदों की राशि के उपयोग एवं उनकी प्रगति का रिपोर्ट एकत्र करने पर जोर देते है। फलतः विद्यालय के शिक्षक अपने शिक्षण अनुभवों के आदान–प्रदान से, प्रशिक्षण प्राप्त करने से वंचित रह जाते है। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार ''ग्रामीण भारत में तीसरी कक्षा के तीन चौथाई छात्र दो अंकों का घटाने वाले सवाल को हल नहीं कर सकते है।''

प्रस्तुत शोध अध्ययन वर्तमान समय में 'सर्व शिक्षा अभियान तथा बालिकाओं में अधिगम गुणवता' के क्षमता परीक्षण से सम्बन्धित है। यह अध्ययन रायबरेली जनपद के सरेनी ब्लाक के परिषदीय विद्यालयों का समाजशास्त्रीय अध्ययन पर आधरित है। इस अध्ययन में सर्व शिक्षा अभियान तथा बालिकाओं में अधिगम गुणवत्ता की स्थिति सम्बन्धी विवरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस शोध अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र के रूप में

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद के सरेनी ब्लाक का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से किया गया है। शोध अध्ययन की प्रविधि में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। इसमें अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शोध प्रारूप का प्रयोग किया गया है। तथ्य संकलन के स्रोंत के रूप में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोंतों का प्रयोग किया गया है। आकड़ों के एकत्र करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। सरेनी ब्लाक के आठ परिषदीय विद्यालयों का चयन दैव निदर्शन के आधार पर किया गया है। अध्ययन के निर्देशन के रूप में 130 बालिकाओं का चयन किया गया है। इसके अलावा बालिकाओं के अभिभावक, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय प्रबंध समिति तथा ग्राम प्रधान को शामिल किया गया है। इनके द्वारा प्राप्त आंकड़ों का विवरण इस प्रकार किया गया है :

विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि चयनित विद्यालयों में यदि कक्षा के कमरों की उपलब्धता को देखा जाए तो 25 प्रतिशत विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा के लिए कमरें उपलब्ध नही है तथा छात्रों को बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था भी नहीं है। कक्षाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कक्षाओं में प्रकाश की उचित व्यवस्था है। विद्यालय की सभी कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड की सुविधा उपलब्ध है जिसमें से अधिकाशतः की स्थिति संतोषजनक है। चयनित सभी विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध हैं। लेकिन उनकी नियमित साफ सफाई नहीं होती है। पेयजल का मुख्य स्रोत हैण्डपम्प है। सभी चयनित विद्यालयों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। सर्वाधिक विद्यालय में बालक–बालिका के लिए अलग–अलग शौचालय है। तथा इनका उपयोग भी हो रहा है। किसी भी

शौचालय में नल से पानी की व्यवस्था नहीं है। इन विद्यालयों में से लगभग पचास प्रतिशत विद्यालयों में शौचालय की साफ–सफाई एवं रख–रखाव की उचित व्यवस्था नहीं है।चयनित विद्यालयों की पुस्तकालयों की स्थिति बहुत दयनीय है। छात्रों की आवश्यक किताबें से उपलब्ध नहीं है। सर्वाधिक विद्यालयों में खेल का मैदान नहीं है तथा खेल सामग्री भी उपलब्ध नहीं है। बच्चों के लिए खेलों का आयोजन नहीं होता है। यदि शिक्षकों को शैक्षणिक योग्यता को का विवरण देखे तो निष्कर्ष निकलता है कि सभी शिक्षक स्नातक तथा परास्नातक है। समस्त शिक्षक प्रशिक्षित है, तथा अधिकाशतः शिक्षक विद्यालय में उपस्थित पाये गये।

बालिकाओं के परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के विवरण से ज्ञात होता है कि चयनित विद्यालयों में हिन्दू तथा मुस्लिम धर्म की बालिकाएं ही मुख्य से नामांकित है। यदि जाति श्रेणी के आधार पर देखा जाए तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाएं अध्ययन कर रही है। जिसमें सामान्य जाति के 14, अन्य पिछड़ा वर्ग की 65, अनुसूचित जाति की 38 तथा अल्प संख्यक वर्ग की 13 बालिकाएं शामिल है। बालिकाओं के परिवार का स्वरूप संयुक्त तथा एकांकी दोनों प्रकार का है जिसमें 67 परिवार संयुक्त तथा 63 एकांकी है। बालिकाओं के अभिभावकों की शैक्षणिक स्थिति का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि अधिकांश बालिकाओं के अभिभावक अशिक्षित हैं तथा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किये है। बहुत कम स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त की है बालिकाओं के माता की शैक्षणिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। 130 माताओं में से 59 अशिक्षित है किसी ने भी स्नातक नहीं किया है। बहुत ही कम संख्या में अभिभावक हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट स्तर की शिखा ग्रहण की है। बालिकाओं के

अभिभावकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनके व्यवसाय के विवरण से ज्ञात होता है कि अधिकाशतः बालिकाओं के पिता का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा मजदूरी है। इसके अलावा ड्राइवर, अण्डे की दुकान, फूल माला की दुकान, तांगा चालक, पान की दुकान, पेन्टर, सब्जी तथा फल विक्रेता के रूप में कार्यरत है। बालिकाओं के माताओं का व्यवसाय देखने से ज्ञात होता है कि अधिकाशंतः माताए गृहणी है, इसके अतिरिक्त कुछ माताए कृषि एवं मजदूरी का कार्य भी करती है। बालिकाओं के अभिभावकों की मासिक आय के विवरण से पता चलता है कि सर्वाधित अभिभावकों की मासिक आय 5 हजार तक ही है। इसके बाद 5 हजार से 10 हजार के आय वर्ग के लोग शामिल है। दस हजार से अधिक कमाने वाले अभिभावकों की संख्या बहुत ही कम है। बालिका के नामांकन तथा उपस्थिति का विवरण श्रेणी एवं लिंग के आधार पर किया गया है। यदि नामांकन की स्थिति का के विवरण से पता चलता है कि इन विद्यालयों में बालको की तुलना में बालिकाओं की संख्या अधिक है। यदि श्रेणी के आधार पर विश्लेषण करे तो सामान्य श्रेणी के 109 नामांकन बालिकाओं में से 85 बालिकाएं उपस्थित है। वही अन्य पिछड़ा वर्ग में 606 में से 442 बालिकाए उपस्थित है। अनुसूचित जाति में कुल 353 में 235 तथा अल्पसंख्यक वर्ग की 131 में 93 बालिकाएं उपस्थित है। इसी प्रकार चयनित विद्यालयों के बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता के विवरण करने से स्पष्ट होता है कि यदि हिन्दी पढ़ने की ज्ञान की बात करे तो कुल 130 बालिकाओं में 124 बालिकाओं को अक्षर ज्ञान है। 87 को शब्द ज्ञान, 68 को पैराग्राफ पढ़ने का ज्ञान तथा 48 को कहानी पढ़ने का ज्ञान है।

इसी प्रकार बालिकाओं के अंग्रेजी पढ़ने की ज्ञान के विवरण से ज्ञात होता है कि कुल 130 बालिकाओं में से 104 को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का

ज्ञान है, 87 को छोटी अक्षरों का, 25 बालिकाओं को शब्दों का ज्ञान है तथा केवल 4 बालिकाएं ही पैराग्राफ एवं कहानी पढ़ सकी है। गणित की स्थिति के विवरण से ज्ञात होता है कि कुल 130 बालिकाओं में से 116 को 0–9 तक की संख्या का ज्ञान है, 100 को 10–99 बालिकाओं को जोड़, 55 को घटाना, 26 को गुणा तथा 25 को भाग का हल करने का ज्ञान है।

इसके अलावा यदि विद्यालय की बुनियादी सुविधा एवं शिक्षकों का बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव को देखे तो जिन विद्यालयों की बुनियादी सुविधा अच्छी है। वहां बालिका की अधिगम गुणवत्ता अच्छी है। अतः विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं का सीधा प्रभाव बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता पर पड़ता है। काई स्क्वायर का परीक्षण करने पर उसका मान 12.89 तथा P का मान 0.002 है जो धनात्मक स्थिति को स्पष्ट करता है। P का मान उसके अनुकूलतम स्तर 0.05 से कम है। अतः विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं तथा बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता के बीच धनात्मक सम्बन्ध है। जबकि अध्ययन क्षेत्र में शिक्षकों की शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता का अधिगम गुणवत्ता से कोई सम्बन्ध नहीं प्राप्त हुआ। जिन बालिकाओं के अभिभावकों की आय अच्छी है, उन बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता भी अच्छी है। यहां काई स्क्वायर का परीक्षण करने पर उसका मान 12.9479 तथा P का मान 0.001 है जो धनात्मक स्थिति को स्पष्ट करता है क्योंकि P का मान उसके अनुकूलतम स्तर 0.05 से कम है। अतः अभिभावकों की आय तथा बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता के बीच धनात्मक संबंध है। विद्यालय की माता की शिक्षा तथा बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता के बीच धनात्मक संबंध है। जहां काई स्क्वायर के परीक्षण करने पर उसका मान 35.

392 तथा P का मान 0.001 है जो धनात्मक स्थिति को दर्शाता है क्योंकि P का मान उसके अनुकूलतम स्तर 0.05 से कम है।

इसी प्रकार पिता के शिक्षा तथा बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता का संबंध देखने से ज्ञात होता है, जहां काई स्क्वायर के परीक्षण करने पर उसका मान 45.753 तथा P का मान 0.001 है जो धनात्मक स्थिति को दर्शाता है क्योंकि P का मान उसके अनुकूलतम स्तर 0.05 से कम है। अतः विद्यालय की पिता की शिक्षा तथा बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता के बीच धनात्मक संबंध है। इस प्रकार बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता पर माता–पिता की शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव है। माता–पिता के व्यवसाय का बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि माता के व्यवसाय की P वैल्यू का मान 0.167 तथा पिता के व्यवसाय की P का मान 1.45 है जो P की अनुकुलतम स्तर 0.05 के मान से अधिक है। इसी प्रकार परिवार के सदस्यों की संख्या जहां 5 से कम तथा 5 से अधिक सदस्य है और परिवार के प्रकार चाहे संयुक्त परिवार हो या एकांकी परिवार हो, बालिकाओ की अधिगम गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि यहां P का मान क्रमशः 0.46 तथा 0.274 है, जो P की अनुकुलतम स्तर 0.05 के मान से अधिक है। जो P की अनुकुलतम स्तर 0.05 के मान से अधिक है।

सुझाव :

प्रस्तुत शोध प्रबंध के उपलब्ध आकड़ों के विवरण आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं जो इस प्रकार है :

1. विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाया जाना चाहिए तथा विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं में बदलाव आवश्यक है। सभी कक्षाओं के लिए कमरे उपलब्ध हो, कक्षाओं में छात्रों को बैठने के लिए फर्नीचर की

व्यवस्था की जानी चाहिए। गर्मियों के लिए कक्षा–कक्षा में पंखो की व्यवस्था की जानी चाहिए। बच्चों का शारिरिक विकास के लिए खेल–कूद का नियमित आयोजन किया जाना चाहिए। तकनीकी सुविधाएं बढ़ायी जाए।

2. शिक्षण पूर्ण रूप से शिक्षण कार्यों पर ध्यान दे सके, इसके लिए उन्हें शिक्षणोत्तर कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। सभी कक्षाओं के लिए पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
3. शिक्षा को भयमुक्त नहीं किया जाना चाहिए। परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत बच्चों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण करने की व्यवस्था हो। बच्चों के शिक्षण का सतत मूल्यांकन हो। बच्चों को समय से शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जाए।
4. शिक्षकों को चाहिए कि वह शिक्षा के प्रति समाज को जागरूक करे। पढ़ाई में कमजोर बच्चों को अधिक समय दें, तथा शिक्षा को बाल केन्द्रित बनाए।
5. कम बच्चों की संख्या वाले विद्यालय को बन्द कर दिया जाए तथा एक ग्राम सभा के एक से अधिक विद्यालयों को बन्द किया जाए ।
6. बालिकाओं के शिक्षा के प्रति अभिभावकों को जागरूक किया जाना चाहिए कि वो उनके पढ़ाई मे सहयोग करें।

ग्रन्थ सूची

1. Adhikari, Tejaswini. (2001*), Study of five NMMC schools in Navi Mumbai*. *Mumbai*, Tata Insof Social Sciences, pg. 14
2. Aggrawal, Yash. (2001), *Progress towards universal access and retention. New Delhi*, National Institute of Educational Planning and Administration, pg.194
3. Banerji, Rukmini. (2000), *Poverty and primary schooling: field studies from Mumbai andDelhi*, Economic and Political Weekly, 35(10) , 795-802.
4. Chand, Vijiya Sherry and Amin - Choudhury, Geeta, (2006), *Shiksha sangam :Innovations under the Sarva Shiksha Abhiyan*., - Indian Institute of Management Ahmedabad,Ahmedabad.
5. Devaraj, Amaidhi et al. (2005), *Quality education in Chamarajanagar district: district quality education project/, Vidyankura. Bangalore:* National Institute of Advanced Studies, pg.43
6. India, Ministry of Human Resource Development, and National Literacy, (1999), *Reaching the unreached: innovative strategies for providing out of school children with access to basic education. New Delhi*, NLM. pg. 102
7. Indian Institute of Education, Pune., (2006), A *Study of the extent and causes of dropouts inprimary schools in rural*

Maharashtra with special reference to girl dropouts., Pune :IIE,pg. 155

8. Kothari, (2004), *Challenge of universalization of elementary education in India.* , Journal of Educational Planning and Administration, 18(3), pg. 85-94
9. Mehta, Arun, (2008), Elementary education in India : analytical report 2006-07 : progresstowards UEE., National University of Educational Planning and Administration, New Delhi: NUEPA.
10. Mehta, Arun, (2006), Elementary education in India analytical report 2004-05 : progress towards UEE, National Institute of Education Planning and Administration. , pg.373
11. Mhrd Deeal, (2001), Educating adolescent girls : opening windows., Ministry of Human Resource Development, Dept of Elementary Education and Literacy, New Delhi, pg.80
12. National Institute of Education Planning and Administration, New Delhi., (2004),Elementary education in India - where do we stand, Analytical report 2003. New Delhi:NIEPA, 0.219
13. Plan India, New Delhi., (2009), why are children out of school? : a summary of the study 'Participatory approach to identify reasons for exclusion among out of school children' conducted in 4 states of India., New Delhi : PI. , 20.

14. Pratham, New Delhi. (2006), Annual status of education report: January 17, 2006:provisional, : ASER 2005rural. New Delhi: Pratham. , pg. 130.
15. Pratham, New Delhi. (2007), Annual status of education report (rural) 2006: provisional:January 5, 2007. , New Delhi: Pratham, pg.174
16. Pratham, New Delhi. (2009), Annual status of education report (rural) 2008 : provisional :January 13, 2009., New Delhi : Pratham., pg.193
17. Rajaram, (2000), *Educational level, school attendance and school continuation in India:evidence from the National Family Health Survey 1992-93.*, Demography India, , 29(2) ,223-42.
18. Reddy, (2001), *Primary education in Manipur: a study of two districts. , Social Welfare*,48(1), 28-34.
19. Saroja, (1999), *School related factors affecting the female school drop-out phenomenon inrural areas: a case study, .* Journal of Education and Social Change, 12(14), 28-37.
20. Sharma, Suresh. , (2009), *Literacy and school attendance in India.* , New Delhi: Institute ofEconomic Growth, pg. 35
21. Singh,Joshi, and Garia, (2003), *Social acceptability of parishadiya primary schools incomparison with other type of*

schools functioning in the same area. Lucknow,: GiriInstitute of Development Studies,pg.195

22. Sudhakar, Umamohan and Sugunakumari, (1999), *Universalization of girls' education:community participation.* Journal of Education and Social Change,, 12(4) , pg.14-27.
23. Women's Empowerment and Human Resource Development Centre of India,Thiruvananthapuram.(2001), *Functional efficiency of DPEP schools in Kerala.Thiruvanthapuram, Kerala:* WEHRDCI. , pg. 110
24. Yadappanavar, (2002), *Factors influencing elementary schools*. , Social Welfare, 48(10),pg.10-14.

25. उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, (2015) वार्षिक आख्या, 2014–15 ''सर्व शिक्षा अभियान'' उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

26. जनगणना ,भारत सरकार (2011) ।

27. त्यागी, गुरसरनदास. (2011): ''भारत में शिक्षा का विकास'' अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, पृष्ठ संख्या 277–307।

28. तातेड़, सोहन राज एवं दुबे अरूणा. (2015), ''भारतीय समाज और शिक्षा'' अपोलो प्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ संख्या 65–90।

29. देसाई, नीरा. एवं ठक्कर, ऊषा. (2011), ''भारतीय समाज में महिलाएं'' नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 39–59 ।

30. भार्गव, लक्ष्मी. (2013) ''भारतीय शिक्षा व्यवस्था : एक परिदृश्य'' वंदना प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 221–270 ।

31. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (2016) वार्षिक रिपोर्ट 2015–16, ''स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग'' भारत सरकार, नई दिल्ली।

32. यादव, नीतू. (2014) '' भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास'' यूनिवर्सिटी प्रकाशन नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 218–286 ।

33 .विश्व बैंक रिपोर्ट ,(2018),लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ।

34. सारस्वत, एम. एवं सिंह मधुरिमा. (2012) ''भारतीय शिक्षा का विकास एवं सामायिक समस्यायें'' आलोक प्रकाशन, लखनऊ, पृष्ठ संख्या 205–221।

35. सारस्वत, एम. एवं सिंह मधुरिमा. (2012)'' शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा'' आलोक प्रकाशन, लखनऊ, पृष्ठ संख्या 246–294।

एम. फिल. शोध–प्रबन्ध

साक्षात्कार अनुसूची

सर्व शिक्षा अभियान तथा बालिकाओं में अधिगम गुणवत्ताः रायबरेली जनपद के सरेनी ब्लाक के परिषदीय विद्यालयों का समाजशास्त्रीय अध्ययन

प्रो0 बीरेन्द्र नारायण दुबे
(शोध निर्देशक)
समाजशास्त्र विभाग

श्वेता सिंह
शोधार्थी (एम.फिल)
समाजशास्त्र विभाग

1.चयनित विद्यालय की जानकारी

प्राथमिक विद्यालय का नाम	:
ग्राम पंचायत	:
शोधार्थी का नाम /हस्ताक्षर	:
सर्वेक्षण की तिथि	:
विद्यालय के प्रधानाध्यापक का नाम	:
उत्तर देने वाला अध्यापक का नाम	:

2 विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति

2.1 विद्यालय में बैठने की व्यवस्था और कक्षा के कमरे की स्थिति

- क्या विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए कमरे उपलब्ध है? (हां–1/नहीं–2) ☐
  यदि नहीं तो कौन सी कक्षा?
- कक्षा में प्रत्येक छात्र के बैठने के लिए पर्याप्त जगह है? (हां–1 नहीं–2) ☐

- कक्षा में बैठने के लिए क्या उपयोग किया जाता है ? (फर्नीचर–1 / टाटपट्टी–2 / चटाई–3) ☐
- क्या छात्रों के लिए फर्नीचर टाटपट्टी चटाई की समुचित व्यवस्था है ? (हां–1 / नहीं–2) ☐
- फर्नीचर / टाटपट्टी / चटाई की स्थिति (अच्छा–1 / संतोषजनक–2 / असंतोषजनक–3) ☐
- क्या विद्यालय में बैठने के लिए छात्र स्वयं की चटाई / बोरी / अन्य वस्तु लाते हैं? (हां–1 / नहीं–2) ☐
- कक्षाओं में प्रकाश की उचित व्यवस्था है? (हां–1 / नहीं–2) ☐
- क्या विद्यालय विद्युतीकृत हैं ?(हां–1 / नहीं–2) ☐
- यदि हाँ तो सभी कक्षाओं में बल्ब है ?(हां–1 / नहीं–2) ☐

2.2 कक्षाओं में ब्लैकबोर्ड की स्थिति

- क्या सभी कक्षाओं में ब्लैकबोर्ड उपलब्ध है? (हां–1 / नहीं–2) ☐
- क्या सभी छात्र ब्लैकबोर्ड का लाभ ले सकते ह? (हां–1 / नहीं–2) ☐
- ब्लैकबोर्डों की स्थिति (अच्छा–1 / संतोषजनक–2 / असंतोषजनक–3) ☐

2.3 विद्यालय में पेयजल सुविधाएं

- क्या विद्यालय में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है?(हां–1 / नहीं–2) ☐
- पीने के पानी का स्रोत हैं ?(हैण्डपम्प–1 / नल–2 / अन्य –3) ☐
- क्या छात्र उपलब्ध पेयजल का उपयोग करते हैं ?(हां–1 / नहीं–2) ☐
- क्या पेयजल की नियमित सफाई एवं देखभाल की जाती है? (हां–1 / नहीं–2) ☐
- क्या छात्र घरों से पीने का पानी लाते हैं? (हां–1 / नहीं–2) ☐

2.4 विद्यालय में शौचालय सुविधाएं

- क्या विद्यालय में शौचालय उपलब्ध है? (हां–1 / नहीं–2) ☐
- क्या विद्यालय में सामान्य (बालक एवं बालिका दोनों के लिए एक) शौचालय उपलब्ध है? (हां–1 / नहीं–2) ☐
- क्या विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय उपलब्ध है?(हां–1 / नहीं–2) ☐
- यदि हाँ, तो क्या शौचालय की दीवार पर बालक / बालिका अंकित है ? (हां–1 / नहीं–2) ☐
- क्या विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं हेतु उपलब्ध शौचालयो का समुचित उपयोग हो रहा है ? (हां–1 / नहीं–2) ☐
  यदि नहीं तो कारण लिखे.....
- क्या शौचालय में ताला लगा हुआ है ? (हां–1 / नहीं–2) ☐
- क्या शौचालय में नल से पानी की व्यवस्था उपलब्ध है?(हां–1 / नहीं–2) ☐
- क्या शौचलयों की सफाई एवं देखभाल ठीक प्रकार से किया जा रहा है ? (हां–1 / नहीं–2) ☐

2.5 विद्यालय में पुस्तकालय

- क्या विद्यालय में पुस्तकालय उपलब्ध है (हां–1 / नहीं–2) ☐
- यदि हाँ, तो किताबें कहां रखीं गयी है ? विवरण.....
- क्या छात्रों को उनकी जरूरतों के अनुसार किताबें मिलती हैं ? (हां–1 / नहीं–2) ☐

2.6 खेल का मैदान

- क्या विद्यालय में खेल का मैदान है? (हां–1 / नहीं–2) ☐
- क्या छात्रों के लिए नियमित रूप से खेलो का आयोजन किया जाता है? (हां–1 / नहीं–2) ☐
- क्या छात्रों को विद्यालय में खेलने के लिए पर्याप्त खेल सामग्री उपलब्ध है? (हां–1 / नहीं–2) ☐

3.1 विद्यालय में शिक्षको की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता

क्र0 सं0	शिक्षक का नाम	लिंग	श्रेणी	शैक्षिक योग्यता	क्या शिक्षक प्रशिक्षित है ?			
					B.Ed.	**BTC**	**TET**	**Others** (In sense of training)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

3.2 विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति एवं उपस्थिति

शिक्षक (टिक(√) करे)	नियुक्त किये गए		उपस्थिति	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
प्रधानाध्यापक (कार्यकारी प्रधानाध्यापक शामिल नहीं है)				
नियमित सरकारी शिक्षक (प्रधानाध्यापक शामिल नहीं है)				
अनुबंध शिक्षक				
कुल				

4.1 अभिभावकों की व्यक्तिगत जानकारी

बालिका का नाम	:
विद्यालय का नाम	:
गॉव का नाम	:
पिता का नाम	:
माता का नाम	:
परिवार में सदस्यों की संख्या	:
परिवार की संरचना	एकांकी ( ) संयुक्त ( )

4.2 पिता की शिक्षा :
(अशिक्षित 1/ प्राथमिक 2/ उच्च प्राथमिक 3 /हाई स्कूल 4/ इंटरमीडिएट 5 /स्नातक 6) ☐

4.3 माता की शिक्षा :
(अशिक्षित 1/ प्राथमिक 2 /उच्च प्राथमिक 3 /हाई स्कूल 4/ इंटरमीडिएट 5 /स्नातक 6) ☐

4.4 पिता का व्यवसाय :
(कृषि 1 /मजदूरी 2 /सरकारी नौकरी 3 /निजी नौकरी 4 /व्यवसाय 5/ बेरोजगार 6) ☐

4.5 माता का व्यवसाय :

(कृषि 1/मजदूरी 2/सरकारी नौकरी 3/निजी नौकरी 4 /व्यवसाय 5/गृहणी 6) ☐

4.6 अभिभावकों का धर्म :
(हिंदू 1/ मुस्लिम 2) ☐

4.8 अभिभावकों की जाति / श्रेणी :
(सामान्य 1 / अन्य पिछड़ा वर्ग 2 / अनुसूचित जाति / अल्पसंख्यक वर्ग 4) ☐

4.9 अभिभावकों की मासिक आय :

(0–5000 (1) / 5001–10000 (2) / 10001–15000 (3) / 15001 से अधिक (4) ☐

5 लिंग / जाति श्रेणी के अनुसार नामांकन एवं उपस्थित अनुपात

कक्षा	लिंग	सामान्य		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनुसूचित जाति		अल्पसंख्यक वर्ग		कुल	
		नमा0	उप0	नमा0	उप0	नमा0	उप0	नमा0	उप0	नमा0	उप0
सभी कक्षाओं में	बालक										
	बालिका										
	कुल										

6 विद्यालय में बालिकाओ की अधिगम गुणवत्ता

	हिंदी /अंग्रेजी और गणित का ज्ञान परीक्षण के लिए स्कोरिंग सिस्टम, टिक(√) करे																
	Reading (Hindi) (Tick the highest level)						**Reading(English)** (Tick the highest level)					**Math Level** (Tick the highest level)					
Student Name	Category	Age	Alphabet Reccg.	Word Recog.	Paragraph	Story	Alphabet Capital	Alphabet Small	Word Recog.	Paragraph	Story	No. Recognition (0 - 9)	No. Recognition (10- 99)	Addition	Subtraction	Multiply	Division

7. अधिगम गुणवत्ता को बढ़ाने में हित धारकों(Stakeholders) की भूमिका

7.1 प्रधानाध्यापक के साथ ग्रहण साक्षात्कार(In depth interview)

- प्रश्न– सर्व शिक्षा अभियान बालिकाओं की शिक्षा के विकास में किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ है?.....
- प्रश्न– सर्व शिक्षा अभियान का बालिकाओं के नामांकन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?.....
- प्रश्न–आप विद्यालय में बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने के लिए क्या सुझाव देगें?.....
- प्रश्न– सर्व शिक्षा अभियान का बालिकाओं की उपस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है ?.....
- प्रश्न– विद्यालय में बालिकाओं की उपस्थिति बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए?.....

- प्रश्न– बालिकाओं में अधिगम गुणवत्ता कम क्यों हो रही है ?.....
  .....
- प्रश्न– बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता में सुधार कैसे किया जा सकता है?....
  .....

7.2 शिक्षकों के साथ केंद्रित समूह चर्चा (focused group discussion)

- प्रश्न– सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा विद्यालय की शैक्षणिक स्थिति में क्या–क्या परिवर्तन हुआ है?.....
- प्रश्न– विद्यालय में बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने के लिए आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे है?.....

  .
- प्रश्न– आप लोगों के द्वारा बालिकाओं की उपस्थिति बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?.....
- प्रश्न– क्या आप बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता से संतुष्ट है? यदि असंतुष्ट है तो कारण बताइए ?.....
- प्रश्न –बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता में सुधार कैसे किया जा सकता है ?...

  .....

7.3 विद्यालय प्रबंध समिति के साथ केंद्रित समूह चर्चा (focused group discussion)

- प्रश्न विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान का क्या प्रभाव पड़ा है?.....
- प्रश्न– यदि आपके विद्यालय की बुनियादी सुविधाएं सही नहीं है तो आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?.....
- प्रश्न– विद्यालय में नामांकन बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए?.....
  .....

- प्रश्न–विद्यालय में उपस्थिति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए ?.....

  .....

- प्रश्न–बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता में कमी के क्या कारण है?.....

  .....

7.4 ग्राम प्रधान के साथ गहन साक्षात्कार (In depth interview)

- प्रश्न विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान का क्या प्रभाव पड़ा है?.....
- प्रश्न– विद्यालय में बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए?.....
- प्रश्न– विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं में क्या–क्या परिवर्तन किया जा सकता है?.....
- प्रश्न– बालिकाओं की शिक्षा के प्रति समाज को जागरूक करने के

  लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए ?.....

7.5 माता–पिता के साथ केंद्रित समूह चर्चा (focused group discussion)

- प्रश्न– आप अपनी बालिका को परिषदीय विद्यालय में क्यों भेजते है ?.....
  .....
- प्रश्न– सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा आपकी बालिका के शिक्षा में क्या–क्या सुधार हुआ है ?.....
- प्रश्न– क्या आप लोग बालिकाओं को घर में पढ़ाई का वातावरण सहयोग देते हैं ?.....
- प्रश्न– क्या बालिकाओं को घरेलू एवं खेती किसानी के कार्यों में लगाया जाता है ?.....
- प्रश्न– क्या आप विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं से संतुष्ट हैं?.....
- प्रश्न– क्या बालिकाओं को विद्यालय द्वारा समय से किताबें एवं वर्दी उपलब्ध करायी जाती है?.....